(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] पंचम् विधान सभा के दशम् सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

मंगलवार,

6 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक म.पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(विद्युत, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज-कल्याण, श्रम, सिचाई, पर्यटन, गृह, यातायात, उद्योग एवं आबकारी-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

कोटा में थरमल पॉवर प्लॉन्ट की योजना

1. **श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा में प्रस्तावित थरमल पॉवर प्लांट स्थापित करने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(2) क्या केन्द्रीय सरकार एवं योजना कमीशन ने इस योजना को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है ?

(3) क्या राजस्थान सरकार इस थरमल प्लांट की स्थापना के लिए कटिबद्ध है ?

विद्युत मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) कोटा में प्रस्तावित थरमल पॉवर प्लांट की योजना केन्द्रीय सरकार एवं योजना कमीशन में विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्थान सरकार इस ओर पूर्ण रूपेण प्रयत्नशील है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : क्या मंत्री महोदय यह बताना पसंद करेंगे कि ऊर्जा मंत्रालय और सी. एच. एल. ने अभी तक इसको क्लियर नहीं किया ? सर्वे का रुपया उन्होने क्यों वापस कर दिया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो प्रश्न विचाराधीन है। यह योजना राज्य सरकार से भेजी गई है, प्लानिंग कमीशन में विचाराधीन है। जो हमने एडवांस भेज दिया था वह उन्होंने वापस इसलिए कर दिया कि प्लानिंग कमीशन और ऊर्जा मंत्रालय ने लिख दिया था कि यह स्कीम क्लियर नहीं हुई है। इस-लिए उन्होंने पैसा वापस लौटा दिया। कुछ दिन पहले राज्य सरकार की ऊर्जा मंत्रालय से बातचीत हुई उससे आशा बंधी है कि कोटा थरमल पॉवर प्लांट के लिए क्लियरेंस मिल जाएगा।

Page No 2

(2)

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : जब राज्य सरकार और बी. एच. ई. एल. का एग्रीमेंट हो गया तो वह एग्रीमेंट बी.एच.ई.एल. ने क्यों तोड़ा और सरकार इसके लिए क्या सोचती है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वह तो ऊर्जा मंत्रालय और बी. एच. ई. एल. को लिख दिया था कि क्योंकि कोटा थरमल पॉवर प्लांट सेंक्शन्ड नहीं है इसलिए वहां ज्यादा बॉयलर्स और टर्बाइन्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब टर्बाइन्स और बायलर्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं तो उन्होंने पैसा लौटाने की बात की और हमने वापिस ले लिया।

श्री ओंकार लाल चौहान (डग) : फाईनल निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, फाइनल निर्णय हमारा तो हो चुका। अब भारत सरकार का निर्णय होना बाकी है। मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि बी. एच. ई. एल. ने क्या किया। मुख्य प्रश्न यह है कि प्लानिंग कमीशन और ऊर्जा मंत्रालय इसको क्लियर कर दे राज्य सरकार इसके लिए जो भी प्रयत्न हो सकते हैं, हर तरह से कर रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बून्दी) : राज्य सरकार का जो उत्तरदायित्व है वह तो है ही कि इसका निर्णय जल्दी से जल्दी करवाए। और यह प्रश्न तीन वर्षों से चल रहा है, उसका कोई कारण सरकार दे सकती है ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसे राष्ट्रीय प्रश्न तीन साल तो क्या अनेक वर्षों तक सॉल्व नहीं होते हैं और यही मुख्य चीज है कि वहां से स्कीम मंजूर नहीं हुई तब भी हम बराबर परस्यू करते चले जा रहे हैं।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : इस प्रश्न पर इमर्जेन्सी लागू नहीं होगी ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : प्लानिंग कमीशन ने उसको मंजूर नहीं किया, उसका प्रॉपर जस्टीफिकेशन है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : टेक्निकली जस्टीफिकेशन नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने टेक्निकली इसको माना है, लेकिन देश में थरमल पॉवर प्रोजेक्ट कहां हो, कितनी कैपेसिटी के हों, यह दूसरा प्रश्न है जो विचाराधीन है।

श्री हरिदेव जोशी : इस प्रश्न को सुलझाने के लिए lesser we talk the better it is.

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

तहसील बाड़मेर के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था।

2. **श्री गंगाराम चौधरी** (गुडामालानी) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील बाड़मेर के ग्राम लूणवी जागीर, भिडाणा आदि के निकट कितने गांवों में पीने का पानी में फ्लोराइड मिला हुआ है जो अस्वास्थ्यकर है, तथा इन गांवों में शुद्ध जल उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य सरकार की क्या योजना है ? एवं वह इसे कब तक हाथ में ली जायगी ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दन मल बैद): तहसील बाड़मेर में कुल लगभग 349 ग्रामों में पेयजल समस्या है। तहसील बाड़मेर में अब तक कुल 127 ग्रामों के लिए जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। ग्राम लूणवा जागीर, भिडाणा की जल-प्रदाय योजना अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है। नई ग्रामीण जल–प्रदाय योजनायें जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार स्वीकृत की जाती हैं। उक्त दोनों ग्रामों के लिए फिलहाल जिला आयोजना समिति का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री गंगाराम चौधरी : जहां फ्लोराइड के अलावा पानी है उस इलाके में तो प्राथमिकता दी जायगी जिला कमेटी की सिफारिश न होने के उपरांत भी ?

श्री चन्दनमल बैद : बाड़मेर तहसील में 349 गांवों में पानी की समस्या है। उनमें से जिला आयोजना समिति जिस तरह से प्रॉयोरिटी देकर प्रस्ताव भेजती है, उसी प्रॉयोरिटी के अनुसार हम योजनायें स्वीकार करते हैं। इसके लिए न तो उन्होंने 1975-76 में न 1976–77 के लिए प्रॉयोरिटी देकर भेजा है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि राज्य सरकार जिला कमेटी को जो गाइड लाइन्स देती हैं उनमें जरूर लिखा है कि एकार्डिंग टु फ्लोराइड कन्टेंट्स इन्टेंसिटी हो उसके अनुसार प्रॉयोरिटी तय हो ? अगर है तो राज्य आयोजना समिति ने जो सिफारिश भेजी है उसमें जिन गांवों के लिए सिफारिश भेजी उनमें फ्लोराइड कन्टेंट क्या है और इनमें कितना है ?

श्री चन्दन मल बैद : हमने उनको निर्देश दिया है कि जो प्रॉब्लम विलेजेज हैं उनको पहले लिया जाए। बाड़मेर तहसील में ऐसे 349 गांव हैं। तो जो योजनायें स्वीकृत की हैं वे प्रॉब्लम विलेजेज की हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अगर जिला समिति प्रॉब्लम विलेजेज को न लेकर दूसरों के लिए सिफारिश करती है तो राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है कि ....

श्री गंगाराम चौधरी : प्रॉब्लम विलेजेज पानी की तंगी से भी होते हैं लेकिन फ्लोराइड कन्टेंट्स पर जो प्राथमिकता देते हैं, दे मस्ट बी गिविन फर्स्ट प्रॉयोरिटी। मैं जानना चाहता हूं कि जिला कमेटियों ने जिन नामों की सिफारिश की है उनमें फ्लोराइड कन्टेंट इन्टेंसिटी क्या है और जिन गांवों के नाम लिखे हैं उनकी इन्टेंसिटी में क्या फर्क है ?

श्री चन्दन मल बैद : प्रॉब्लम विलेजेज होने चाहिएं। यह नहीं है कि जो फ्लोराइड वाले हों उनको ही प्राथमिकता दी जाय, औरों को भी प्राथमिकता दी जाती है।

प्रश्न संख्या 3

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुल चन्द।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

श्री सांवरमल मोर।

शिक्षण संस्थाओं को सहायता

4. **श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त

(श्री सांवरमल मोर)

निजी शिक्षण संस्थाओं को सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो सीकर जिले में किन-किन शिक्षा संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि, किस-किस अनुपात में चालू वित्तीय वर्ष में दी जावेगी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन शिक्षा संस्थाओं को उचित सहायता मिले इस निमित्त राज्य सरकार ने जांच कर इनका पुनः वर्गीकरण किया है ? यदि हां तो ऐसी संस्थाओं को क्या चालू वित्तीय वर्ष में वर्गीकरण के मुताबिक सहायता जैसी कि घोषणा की गई थी, दी जा सकेगी या नहीं ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन): (1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सूची में जो भुगतान की राशि दर्शाई गई है वह प्रॉवीजनल है क्योंकि वर्ष 1974–75 के व्यय के आंकड़े अभी फाइनल नहीं हो पाए हैं।

(2) जी हां। पुनः वर्गीकरण कराया गया है। पुनःवर्गीकरण के अनुसार जिन संस्थाओं का अनुदान कम किया जाना था या बंद किया जाना था उनके आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन संस्थाओं का अनुदान बढ़ाना है उनको आर्थिक स्थिति के कारण इस वर्ष अधिक राशि देना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

मरु विकास मण्डल

5. **श्री मोहनराज (जालौर) :** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मरु विकास मंडल (आयोग) की स्थापना कब की गई ? इसकी स्थापना संबंधी विज्ञप्ति की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें—साथ ही इसके पदाधिकारी एवं सदस्यों की सूची भी प्रदान करें।

(2) स्थापना के बाद क्या इस आयोग की बैठकें हुई हैं ? यदि हां तो कब-कब ?

(3) इस आयोग ने इस वर्ष मरु विकास से संबंधित क्या क्या कार्यक्रम लिए है ? इसका वार्षिक बजट क्या है ? आगामी वर्ष हेतु यदि कोई योजना बनाई हो तो कृपया उसकी रूपरेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : क्योंकि इसका कृषि विभाग से संबंध है, इसका बाद में उनके टर्न पर जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचंद्र जैन।

अपंग एवं वृद्धों की सहायता के नियम

6. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :** क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपंग एवं वृद्धों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के नियमों को सरल करने का आश्वासन सदन के प्रांगण पर दिया था

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
यदि हां, तो नियमों के सरलीकरण करने में अब तक क्या प्रगति हुई ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती कमला) : जी हां। राज्य सरकार द्वारा अपंग एवं वृद्धों को दी जाने वाली पेन्शन के नियमों में सरलीकरण कर दिया गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सरलीकरण के नियमों की कापी मुझे मिलनी चाहिए थी तो मैं प्रश्न पूछ सकता था।

श्रीमती कमला : विशेष तौर से जो परिवर्तन हुए हैं उनमें यह है कि पहले तो जो उम्मीदवार प्रार्थना-पत्र देता वह पहले एस. डी. ओ. के पास जाते थे अब तहसीलदार के यहां दे सकता है। उसके बाद सुनवाई का काम अब कलेक्टर के बजाय एस. डी. ओ. करेगा, वही जांच पड़ताल करके डिस्पोजल कर देगा। इसके अलावा जो कनेक्शन्स रिलेशन्स थे उसमें स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर वगैरह लिखे हुए थे जिससे काफी दिक्कत होती थी, उसको हमने हटा दिया। चौथी बात, उसको पहले ही फोटो देना पड़ता था लेकिन अब मंजूर हो जाने के बा जब वह अपना स्टाइपेंड लेने आता है उस समय अपनी एक फोटो देनी पड़ती है, उसका भी एक रुपया कास्ट सरकार देगी। इस तरह से 3—4 बातों से खास तौर से लोगों को दिक्कत होती थी, उनमें परिवर्तन कर दिया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : अवधि की आप बात कह रहे हैं तो कितनी अवधि है क्या कोई अवधि बढ़ाई गयी है। आपने जो अवधि रखी है उसका आधार क्या रखा है ? आखिर आपका कोई आधार तो होना चाहिये।

श्रीमती कमला : अवधि वैसे 60 दिन की है एप्लीकेशन देने के 60 दिन बाद उसको स्टाईपेन्ड मन्जूर हो जाना चाहिये।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या आपने नियमों के सरलीकरण में पहले जो एज थी उसमें भी कोई रिलेक्शन किया है ? एज में भी आपने कोई परिवर्तन किया है क्या ?

श्रीमती कमला : इस वक्त जो एज है उसके नियमों में परिवर्तन····

समाज कल्याण मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : एज में परिवर्तन किया है, अध्यक्ष महोदय। पहले एज जो थी वह 60-65 साल की थी वह अब 55 से 58 कर दिया है। जहां तक नियमों के सरलीकरण का सवाल है एप्लीकेशन देने के 60 दिन के भीतर-भीतर उस केस का डिस्पोजल हो जाना चाहिये। तहसीलदार और एस. डी. ओ. उसकी इन्क्वयारी करते हैं उसके बाद में वह कलेक्टर के पास आ जानी चाहिये और इस प्रकार विदइन 60 दिन में फैसला हो जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : अगर इस अवधि में उसका डिस्पोजल नहीं किया जाय तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, अगर वित्तीय प्रावधान नहीं हो या समाप्त हो गया हो तो बात अलग है हम यहां से सारे डिस्ट्रिक्ट वाईज एप्लीकेशन्स करते हैं। अभी तक तो कहीं से भी यह

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
सूचना नहीं आयी कि कोई वित्तीय प्रावधानों की अभाव की वजह से किसी को स्टाईपेन्ड नहीं मिला हो। ऐसी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई इत्तिला नहीं है कि कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है और अगर माननीय सदस्य के पास कोई इत्तिला हो तो हमें दे दें हम उसके लिये वित्तीय प्रावधान कराने की कोशिश करेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या कोई अधिकारियों की नेग्लीजेन्स की वजह से एक्शन नहीं लिया गया हो और वहां पर दो साल से लोगों की एप्लीकेशन्स पड़ी हुों तो उसके लिये क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ में एक्शन लेने को तैयार हैं? राज्य सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी केस का डिस्पोजल वहां के अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है और माननीय सदस्य की जानकारी में कोई सूचना हो तो आप देवें हम उनके खिलाफ में कार्यवाही करेंगे। लेकिन यहां बैठकर सिर्फ आप अन्दाजा लगाकर ही बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कोई खास सूचना आप राज्य सरकार को दें तो जरूर एक्शन लिया जायेगा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मेरी जानकारी के अनुसार कह सकता हूं कि हमारे करनपुर में 50-60 एप्लीकेशन्स पिछले दो साल से पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उन पर वहां के अधिकारी लोग कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं आप चाहे तो मंगाकर देख सकते हैं।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मन्त्री महोदय ने फरमाया कि राज्य सरकार को आप इत्तिला दें तो मैं समझता हूं कि बजाय आपको हम इत्तिला दें राज्य सरकार के पास काफी साधन है आपको ज्यादा जल्दी इत्तिला मिल सकती है। आपके साधन है अगर आप ही इसके लिए कार्यवाही करें तो उत्तम रहेगा।

श्री नत्थीसिंह यादव (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल एप्लीकेशन्स पेन्डिंग का है मैं आपको भरतपुर जिले के बारे में स्पष्ट तौर से कह सकता हूं कि वहां पर पचासों एप्लीकेशन्स आयी हुई पिछले दो तीन साल से पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई एक्शन आज तक उन पर नहीं हुआ है इसके लिए राज्य सरकार को वहां के अधिकारियों के खिलाफ में सूचना मंगाकर एक्शन लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहरसिंह।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, नियम तो 60 दिन का है लेकिन आपने इसमें यह नहीं दिया कि अगर 60 में निर्णय नहीं लिया तो उस अधिकारी के खिलाफ में एक्शन लिया जायेगा। इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे है? ऐसा नियमों में प्रावधान अभी नहीं हैं उसके क्या आप कोई प्रावधान करने जा रहे हैं?

श्रीमती कमला : नियमों के अन्तर्गत, उपाध्यक्ष महोदय···

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय ऐसा नियमों में प्रावधान हो सकता है। लेकिन उनको मुझे मोटो मिल जाय ऐसा नहीं क्यों नहीं हो रहा उसका कारण यह है कि जो भी तहसीलदार और एस. डी.ओ. इन्क्वायरी करते हैं उनकी रिपोर्ट कलेक्टर के पास आती है और कलेक्टर उस पर एक्शन लेता है ऐसा प्रावधान उसमें दिया हुआ है वह एक्शन ले सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या सात। ट।

श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु

7. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 16–12–75 को जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल वर्क लोड के कारण एक श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई ?

(2) क्या यह सही है कि दुर्घटना के बाद व्यवस्थापकों ने तथा कथित इन्टक के नेताओं व जी.डी. के लोगों ने मिलकर श्रमिक की लाश को गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश की ? यदि हां, तो लाश हटाने वाले लोग कौन थे ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि गैर कानूनी तरीके से लाश उठाने का सामूहिक विरोध उस कारखाने में काम करने वाले अन्य श्रमिकों ने किया जिसके फलस्वरूप 24 घन्टे कारखाना बन्द रहा ? यदि हां, तो ऐसे व्यवस्थापकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्यमंत्री, श्रम (श्रीमती कमला) : (1) यह सही है कि दिनांक 16-12-75 को जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल, जयपुर में एक श्रमिक श्री भगता राम की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उक्त श्रमिक जब कार्डिंग मशीन की कार्डिंग सिलेन्डर पुली पर गोल रस्सी चढ़ा रहा था तो बांया हाथ पुली में उलझ गया जो बिजली से चल रही थी। इस दुर्घटना में उसका हाथ कुहनी के ऊपर से निकल गया और उसकी मृत्यु हो गयी।

(2) लाश दिनांक 17–12–75 को प्रातः 11 बजे पुलिस द्वारा उठाइ गई और अग्रिम कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई।

(3) लाश गैरकानूनी तौर पर नहीं उठाई गई।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह प्रश्न है कि क्या यह सही नहीं है कि श्री भगताराम ने पूरी शिफ्ट पर काम किया और रात भर काम करता रहा और जब उसकी शिफ्ट खतम हुई और वह घर जाने लगा तो मिल के मैनेजमेंट के लोगों ने उसे जबरदस्ती काम करने के लिए रोका और उसे जबरदस्ती काम करने के लिए बाध्य किया। क्या श्री भगताराम को यह नहीं कहा गया कि इतना वर्कलोड तुम्हें और करना पड़ेगा जब कि वह बेचारा थक गया था। और ज्यादा थकान पर काम करते करते वह ऐसी हालत में हो गया कि वह ज्यादा देर तक काम नहीं कर सका और वह लगातार 16 घन्टे तक काम करते रहने के कारण वह मशीन पर लड़खड़ा गया और उस लड़खड़ाने की वजह

(श्री मोहरसिंह)

से उसका हाथ मशीन में आ गया उनके कारण उसकी मृत्यु हुई। और उसकी जब मृत्यु हो गयी तब वहां के मैनेजमेंट और इन्टक वालों ने बाला बाला ही उसकी लाश को जलाने की कोशिश करने लगे। जिससे वहां के मजदूरों में बहुत भारी रोष फैल गया और काफी मात्रा में मजदूर वहां पर पहुंच गये। वहां पर, अध्यक्ष महोदय, इन्टक के नेता और यहां जो माननीय सदस्य बैठे हैं वह यहां पहुंचे तो उन्होने देखा कि मृतक की बेवा को पांच हजार रुपये देने की बात होगयी तो चूंकि यहां मजदूरों में रोष अधिक था उस वक्त माननीय श्री श्रीराम गोटेवाला साहब भी पहुंच गये। उन्होंने कहा कि इससे तो काम नहीं चलेगा और उन्होंने फिर बीच बचाव करके 20 हजार रुपये दिलवाये तो अध्यक्ष महोदय, किसी श्रमिक की मृत्यु हो जायें और इस प्रकार उसकी लाश को बाला बाला ही मेनेजमेन्ट जलवादे और राज्य सरकार वहां के मेनेजमेन्ट के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं करे उचित है? इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की दुर्घटना से मृत्यु कई लोगों की वहां पर हो चुकी है और मेनेजमेन्ट ने पहले भी इस प्रकार लाश बाला—बाला दफना दी है। राज्य सरकार इस प्रकार की घिनौनी मैनेजमेन्ट की कार्यवाही के खिलाफ में क्या एक्शन लेने जा रही है यह बताया जाय। इसके अलावा श्रम मन्त्री जी इस प्रकार बैठे-बैठे देख रहे हैं और श्रमिकों को रात दिन कत्ल किया जा रहा है तो यह कार्यवाही कब तक चलती रहेगी?

श्रम मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक श्रमिकों से काम लेने का है इसके लिये रूल्स बने हुए हैं जो फेक्ट्री एक्ट के तहत हैं।

एक माननीय सदस्य : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही नहीं है कि जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल में काफी लोगों की छंटनी करदी है और वहां पर मैनेजमेन्ट जबरदस्ती श्रमिकों से अधिक घन्टे काम ले रही है और उन्हें धमकी देकर जबरदस्ती काम कराती है और वर्कलोड अधिक होने की वजह से ऐसी दुर्घटनायें वहां पर प्राये दिन होती हैं। इसके लिये क्या गवर्नमेन्ट वहां के मैनेजमेन्ट के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है? इस प्रकार मजदूरों को सप्रेस करके उनसे काम अधिक घण्टे मशीन पर लिया जाता है जिससे वहां पर अधिक दुर्घटनायें होती हैं...

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, पहले सवाल का जवाब मन्त्री महोदय से आने दीजिये फिर आप पूछ लेना।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं वह वर्कलोड के बारे में कहे हैं तो मेरा निवेदन है कि मजदूरों और मैनेजमेन्ट का फेक्ट्री रूल्स के अन्तर्गत एग्रीमेन्ट हुआ होता है उसके अनुसार ही कार्यवाही होती है उनके एग्रीमेन्ट के अनुसार फेक्ट्री रूल्स के 67 वीं धारा के अनुसार 22 ट्रेटर्स काउन्ट को पूर्ण करना पड़ता है।

श्री मोहरसिंह : अब वहां पर ज्यादा मशीने हो गयी हैं क्योंकि वहां पर बहुत से मजदूरों की छंटनी हो चुकी है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : ऐसा नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वहां पर 22 की जगह 26 कार्ड्स करना पड़ता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय सदस्य श्री श्रीराम गोटेवाला की जानकारी में नहीं है।

श्री दीपंकर : आपकी और श्री श्रीराम गोटेवाला की जानकारी अलग अलग कब से हुई ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जो एग्रीमेन्ट मैनेजमेन्ट और वर्कर्स में हुआ है उसके अनुसार एक वर्कर को 22 ट्रैटर्स काउन्ट काम करना पड़ता है और यह काम टेक्नीकल है और टेक्निकल मामलों में माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है··

श्री मोहरसिंह : टेक्निकल मामलों में यह कहां लिखा है कि आप एक मजदूर से 16 घन्टे काम लो।

श्री अध्यक्ष : पहले माननीय मन्त्री जी जो जवाब दे रहे हैं उनके जवाब को सुन लीजिये. फिर आप जो पूछना चाहते हैं पूछ लेना।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जो एग्रीमेन्ट हुआ है उसके अनुसार ही वर्कलोड दिया जाता है और उसके अनुसार ही काम करना पड़ता है। इस प्रश्न के बारे में ज्योंही सूचना मिली कि दुर्घटना हो गई है और श्री भगता की मृत्यु हो गई हमारे यहां पर फेक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत चीफ फेक्ट्री इन्सपेक्टर वहां पर पहुंच गया। अध्यक्ष महोदय, यह दुर्घटना साढ़े नौ बजे घटी थी और पौने दस बजे वहां चीफ फेक्ट्री इन्सपेक्टर पहुंच गया था। अध्यक्ष महोदय, वहां की रिपोर्ट के अनुसार उस श्रमिक की जो मृत्यु हुई है वह किसी प्रकार के मेनेजमेन्ट की गड़बड़ी के कारण नहीं हुई है। और अगर फेक्ट्री एक्ट के रूल्स का कहीं भी इनफ्रिन्जमेन्ट हुआ होगा तो राज्य सरकार उनके खिलाफ में जरूर कार्यवाही करेगी।

इसके अलावा जहां तक श्री भगता की बेवा को पहले पांच हजार रुपये देना तय किया, लेकिन बाद में हमारे यहां के सदस्य श्री गोटेवाला साहब पहुंच गये थे और उन्होंने बीच बचाव करके उसकी बेवा को बीस हजार रुपये दिलवाये और इसके अलावा ई.एस.आई. से भी उसकी बेवा को पैसे मिलेंगे। यह कहना कि अधिक वर्कलोड की वजह से उसकी हत्या हो गई गलत है। जहां तक उसकी मृत्यु होने का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को इसका बहुत दुःख है। उसकी मृत्यु मशीन में हाथ आ जाने के कारण हुई है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की पहले भी कई लोगों की मृत्यु हो गई है और मेनेजमेन्ट ने उन लोगों की लाश को बाला-बाला दफना दिया इसके लिये भी क्या राज्य सरकार कोई जांच करायेगी और मेनेजमेन्ट के खिलाफ में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में यह है कि जयपुर स्पीनिंग और वीविंग मिल के अन्दर करीब 400

Page No 10

(10)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
मजदूरों की छंटनी करदी गई जिसके कारण वहां कुछ मशीनें अधिक खाली हो गयीं और उसके कारण मजदूरों पर काफी काम का वर्कलोड बढ़ा है इसके लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है ?

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री मोहरसिंह जी से यह कहना चाहता हूं कि वहां पर इन्टक के जो नेता गये थे उनकी वजह से जो श्री भगता की बेवा को पांच हजार के बजाय बीस हजार रुपये दिलवाये गये हैं यह उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं लेकिन सी.पी. एम. वाले लोग तो वहां जाकर बेचारे मजदूरों को पिटवाते हैं।

श्री मोहरसिंह : इन्टक वाले जाकर गड़बड़ी करते हैं और मजदूरों की हत्या करवाते हैं....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह काम तो जयपुर में सी. पी. एम. वालों की गैंग ने किया है।

श्री मोहरसिंह : आप तो वहां जाकर मजदूरों की हत्या करवाओ, मैनेजमेन्ट का साथ देकर गरीब मजदूरों को मरवाते हो और वहां पर गुन्डागर्दी करते हो और नाम दूसरों का लगाते हो।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): अगर गुन्डागर्दी आपातकालीन स्थिति के कारण बन्द हुई है तो उस आपातकालीन स्थिति को ही श्रेय देना चाहिये।

श्री मोहरसिंह : इसने तो गुन्डागर्दी बढ़ायी है।

श्री हरिदेव जोशी : आप बोल लें पहले।

श्री अध्यक्ष: सादुलपुर से माननीय सदस्य आये हैं उनसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि हाउस के अन्दर नियमों के अन्तर्गत बोलने का एक तरीका है। बात रखी जाय और उसका आखिर उत्तर भी तो आ जाय। उत्तर देने का मौका भी तो दिया जाना चाहिये। मुझे भी आप पूरी बात नहीं कहने देते हैं।

श्री मोहरसिंह : मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : जो भी माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहें एक बार निवेदन कर दें और दूसरों को उत्तर देने का मौका भी तो दें। उनकी बात को भी तो वापिस सुनें। आपको पूरा मौका देंगे। लेकिन आप बीच बीच में न बोलें यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री मोहरसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हाउस में चारों तरफ से बौछार हो तो एक आदमी को उसका जवाब देने के लिये दो मिनिट तो दिये जायं।

श्री अध्यक्ष : शुरू में ही आपने सप्ली-मेन्ट्री पूछने के बजाय भाषण दे दिया।

श्री मोहरसिंह : उस बोलने में ही मैंने कई सप्लीमेन्ट्री रख दिये जिनका माननीय मंत्रीजी ने जवाब ही नहीं दिया।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक लेबर का सवाल है सीटू और इन्टक का प्रश्न नहीं होता है। सीटू का लेबर ही हो और उसका हाथ कुचला जावेगा तो भी स्टेट गवर्नमेन्ट उसकी रक्षा करेगी और हम उसके पीछे खड़े होंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि 400 मजदूरों को वहां से हटाया गया है। क्या आप मैनेजमेन्ट पर इस बात का दबाव डालेंगे कि 400 मजदूरों की छंटनी करने की आवश्यकता नहीं है, और यह उचित नहीं है ? लेकिन उनको बाहर कर दिया गया है और निकाल दिया है क्या उनको वापिस चढ़ाने के लिये आश्वासन देंगे ?

श्री मोहरसिंह : उनको ज्यादा काम दिया जाता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : श्रम मंत्रीजी ने वक्तव्य देते हुए कहा कि सारी जांच कर ली है और मालिक की कोई गलती नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 9॥ बजे रात्रि को दुर्घटना घटी। इन्स्पेक्टर वगैरह बावजूद हम लोगों के और माननीय गफ्फार साहब के, उनको कई बार कहते रहे, वे 9॥। बजे करीब पहुंचे। क्या मैनेजमेन्ट की ओर से इस बात के प्रयत्न नहीं किये गये कि लाश को रफा-दफा कर दिया जाय ? जयपुर स्पिनिंग मिल्स के मजदूरों की छंटनी की जा रही है। गेट बन्द करके उनके हिसाब किये जा रहे हैं। सैंकड़ों मजदूर ठोकरें खाते फिरने वाले हो गये हैं। सब जगह सवालात उठाये गये, श्रम मंत्रालय में भी। तो क्या श्रम मंत्री सदन को आश्वस्त करने की स्थिति में हैं कि जब आपात्कालीन स्थिति में मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते हैं, मांग नहीं रख सकते हैं, तो मालिक उन मजदूरों को सड़क पर टुकड़े टुकड़े के लिये फिरने के लिए मजबूर न कर दें ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : भारतीयजी को भी समय दे दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत धन्यवाद है। भारतीयजी को भी धन्यवाद है। श्रम मंत्री भी प्रशंसा के पात्र हैं और वे माननीय सदस्य जिन्होंने लाश को गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश की उसको रोका। एक्सीडेन्ट को दबाने का प्रयत्न किया उसको भी रोका। कॉन्सिक्वेन्टली मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि एक जगह की ही यह बात नहीं है, कई जगह ऐसा हुआ है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का ट्रीटमेन्ट नहीं कराया जाता है और उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, उसके लिये क्या कठोर कार्यवाही की है ? एन्क्वायरी की आवश्यकता है। क्या कठोर कार्यवाही की गयी आई. पी.सी., सी. पी. सी. के तहत क्या कार्यवाही करने की कोशिश की ? दुर्घटना घटी उसको इसके अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने फरमाया यहां के श्रमिक वर्ग के लिये, इस घटना को हुए काफी अर्सा हो गया है और माननीय श्रम मंत्रीजी ने बताया कि कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यह भी बता दिया कि उल्लंघन किया है तो कार्यवाही करेंगे। अब तक उनको कार्यवाही

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

कर लेना चाहिये था। हाउस के सामने माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ है। वह 26 काउन्ट पर वर्क कर रहा था और ओवर लोडेड था। लॉ एण्ड ऑर्डर के हिसाब से पुलिस विभाग माननीय मुख्यमंत्रीजी के पास है। लाश को 11 बजे हटाने की कोशिश की गई मालिक की ओर से। इसके अगेन्स्ट में कठोर कदम और पुलिस के खिलाफ क्या कदम उठाया है? इस सारी स्थिति की जानकारी देने का कष्ट करें।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या आपके नियमों में यह प्रावधान है कि after how many hours the management should remove him? यदि ऐसा प्रावधान नहीं है, तो क्यों नहीं है?

श्री भीमसेन : फेक्ट्री कानून की अवहेलना के कारण यह दुर्घटना हुई है और मेनेजमेन्ट के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स के मजदूरों को छंटनी पर निकाला जा रहा है। इस प्रश्न को मैंने एपेक्स बॉडी में मूव किया है। स्ट्रेस भी किया है। आपने कहा कि एन्क्वायरी कर रहे है। एक तरफ तो आपने जजमेन्ट दे दिया और अब आप कह रहे हैं कि एन्क्वायरी कर रहे हैं। तो यह कहिये कि वी आर हेविंग एन्क्वायरी।

श्री मोहन लाल छंगाणी : यह बात सही है कि दुर्घटना हुई तो काफी मजदूरों में टेन्शन था। मेनेजमेन्ट भी इसको समझता है। एक्सग्रेशिया ग्रान्ट प्रशासन ने भी तय कर दी। वे भी पहुंच गये। पांच हजार से 20 हजार कर दिया। अच्छी बात है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : सवाल यह है कि लाश उठाने की कोशिश की।

श्री मोहन लाल छंगाणी : हम को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि लाश उठाने की कोशिश की।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको जानकारी करनी चाहिये। पुलिस अफसर पहुंच गये थे। डॉक्टर भी पहुंच गया था। जान है उसमें, हम ले जाना चाहते हैं यह कहा....

श्री मोहन लाल छंगाणी : हमें ज्योंही सूचना मिली, हमारे इन्स्पेक्टर वहां पहुंचे। फेक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत जो भी एन्क्वायरी करनी चाहिये यह जांच करके रिपोर्ट पहुंची है। जो भी कार्यवाही की जा सकती है वह की जावेगी उसके लिये आश्वासन देना चाहता हूं।

रिट्रेन्चमेन्ट का सवाल उठाया। राजस्थान ही पहली स्टेट है जहां पर डिफेन्स ऑफ इन्डिया एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। यह मामला एपेक्स बॉडी के सामने भी लाया गया है। इसलिये श्रम मंत्रालय कोई निर्णय लेकर फैसला नहीं कर सकता है। जब तक कि एपेक्स बॉडी का फैसला नहीं हो जाय।

प्रश्न संख्या 8

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनारायण।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखें)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : पुलिस के बारे में जवाब नहीं आया । श्रमिक० की जांच की बात आयी लेकिन पुलिस के बारे में जवाब नहीं आया है। होममिनिस्टर साहब की ओर से रिप्लाई नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृत लाल गहलोत !

श्री मोहन लाल छंगाणी : पुलिस डिपार्टमेन्ट के लिये अलग से प्रश्न पूछना चाहिये ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आपकी ओर से यह स्वीकार किया है कि प्रोसीक्यूशन करेंगे नेग्लीजेन्स रही तो । प्रोसीक्यूशन नहीं किया है। क्यों नहीं किया जा रहा है ? जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसको खुर्द-बुर्द करने के लिये उसकी लाश को हटाने की कोशिश की गयी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट लिया जा चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : Home Department should come before the House.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

मसूरिया हिल पर व्यय की गई राशि

9. श्री अमृतलाल गहलोत (जोधपुर) । क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मसूरिया हिल को रमणीक स्थान बनाने हेतु दिनांक 31 मार्च, 1975 तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

(2) वर्ष 1975–76 में कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है एवं क्या वहां निर्माणाधीन सड़क का कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायगा ?

(3) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त कार्य को करने के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री जुझार सिंह) : (1) मसूरिया हिल को रमणीक स्थान बनाने हेतु दिनांक 31 मार्च, 1975 तक रुपये 8,12,918.07 पैसे खर्च किये जा चुके हैं।

(2) वर्ष 1975–76 में इस उद्देश्य के लिये कोई प्रावधान नहीं है । जहां तक सड़क का प्रश्न है जीप द्वारा जाने योग्य सड़क का कार्य इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा। इसके खर्च की स्वीकृति 74-75 वित्तीय वर्ष में ही दी जा चुकी थी।

(3) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त कार्य करने के लिये कोई प्रावधान अभी तक नहीं रखा गया है।

श्री अमृतलाल गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मसूरिया को रमणीक स्थान बनाने के लिये मंत्री महोदय ने अभी फरमाया कि 9 लाख खर्च हो चुके हैं। अभी तक तो रोड भी नहीं बनी है, मुझे बताया जाय किस चीज पर इतना रुपया खर्च हो गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रमणीक कब तक बनेगा ?

श्री जुझार सिंह : इस सड़क पर जैसा मैंने अभी बताया 8,12,918 रु. खर्च किये जा चुके हैं। बजट प्रोविजन कम था लेकिन

(श्री जुझारसिंह)
फिर भी सड़क बनाना जरूरी था इसलिये 8 लाख के करीब खर्च हो गये हैं। अभी थोड़ी सी सैक्शन बाकी है जो इस वित्तीय वर्ष में पूरी हो जायगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : टोटल कितने रुपये खर्च होने का अनुमान है?

एक माननीय सदस्य ; और इस रमणीक स्थान की कीमत भी बताने का कष्ट करें।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम के दो फेज हैं—एक तो सड़क बनाकर हिल तक ले जाने का है और उस पर करीब 8 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और दूसरे फेज में इस मसूरिया हिल की टॉप कन्स्ट्रक्शन कराने के लिये हैं जिसमें केन्टीन, गार्डन आदि दूसरी चीजें डेवलप करने का प्रश्न है। इसमें 9 लाख और खर्च करने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं राज्य सरकार को उसमें यह अब सम्भव नहीं लगता है। जहां तक रोड का सवाल है, वह इस वर्ष पूरा कर दिया जायगा।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : रमणाई (रमणीकता) कैसी होगी, यह तो बता दें beauty lies in the eyes of the Beholder कोई आबजेक्ट तो हो रमणीक बनाने के लिये, रमणने का भी तो कोई मामला हो··

श्री अध्यक्ष : रमणीक इच्छा से होगी।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : रमणने के लिये रसगुल्लों का एक टीन जरूरी है।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, 7–8 साल हो गये इस स्कीम को अभी तक तो रमणीक का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन गहलोत जी (श्री अमृतलाल जी) के होने से थोड़े ही रमणीकता आयेगी, इन गहलोत जी (श्री जनार्दन गहलोत) को भेजें तो रमणीकता आयेगी।

(व्यवधान; अश्रव्य)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : क्या यहां स्टेच्यू लगाने की आज्ञा दे दी है?

श्री जुझार सिंह : इस डिपार्टमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने क्या जवाब दिया समझ में नहीं आया, पूरी डिटेल में बतायें—भारत सरकार ने कितने रुपये दिये और राजस्थान सरकार की क्या योजना है? और कुछ पैसे भारत सरकार से लाये भी जा रहे हैं तो राजस्थान सरकार क्या योजना रखती है?

श्री जुझारसिंह : इसके लिये भारत सरकार से पैसा देने का प्रश्न ही नहीं है। राजस्थान सरकार ने सन् 1971 में इस स्कीम को हाथ में लिया था लेकिन फॉरेन टूरिस्ट ज्यादा नहीं आते हैं पिछले साल 612 टूरिस्ट वहां आये थे और होम टूरिस्ट भी ज्यादा नहीं आते हैं इसलिये अभी उस एरिया को डवलप करने का विचार नहीं है जिसमें टूरिस्टों की संख्या कम है। जहां ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और

(श्री जुझारसिंह)
जो एरिया टूरिस्ट पाइन्ट आफ व्यू से ज्यादा इम्पॉर्टेन्ट है उसको पहले डवलप किया जायगा और फिलहाल हम इस परिस्थिति में भी नहीं हैं कि इस स्कीम पर कोई पैसा खर्च किया जाय।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत: राजस्थान सरकार को भी प्रयत्न करने चाहियें कि भारत सरकार से पैसा लाये। आखिर भारत सरकार में भी हमारे आदमी बैठे हैं। भारत सरकार सब जगह पैसा देती है पंजाब को पैसा मिल रहा है, हरियाणा को पैसा मिल रहा है फिर राजस्थान का क्या दुर्भाग्य है?

श्री जुझारसिंह: जो महत्वपूर्ण स्कीमें होती हैं उसमें ही भारत सरकार से पैसा मिलता है। मैं निवेदन करूं यह भारत सरकार से सम्बन्धित नहीं है। अभी घना बर्ड सेन्चुअरी को डवलप करने के लिये 25 लाख रुपये लग रहे हैं और उसमें ज्यादातर भारत सरकार ही लगा रही है। इसी तरह जयपुर में टूरिस्ट बंगलो बनाने का है उसमें 25 लाख भारत सरकार लगा रही है इसलिये जहां-जहां जरूरी है भारत सरकार पैसा लगाती है। ●12 साल भर में टूरिस्ट आये और फिर वहां टूरिस्ट का कोई एपेक्स भी नहीं है कि भारत सरकार को कहें, उसे कौन मंजूर करेगा?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत: अध्यक्ष महोदय, जयपुर में कई स्कीमें हैं नाहरगढ़ किला है, जल महल है लेकिन सारा का सारा एरिया गन्दा पड़ा हुआ है न राजस्थान सरकार का इस ओर कोई ध्यान है और न भारत सरकार की नजर में लाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट!

बीकानेर के गांवों को नजदीक के थानों के अन्तर्गत लाने के आदेश।

10. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मूडसर, सूरतसिंहपुरा, रामसर व रिडमलसर पुरोहितान आदि गांव अपनी नजदीक पुलिस स्टेशन नापासर व बीकानेर जो कि दो मील से 6 मील की दूरी पर है के बजाय 62 मील नोखा तथा 24 मील जामसर थानों के अन्तर्गत रखे हुये हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इन गांवों को नजदीक के पुलिस थानों के अन्तर्गत लाने के लिये विधान सभा में एवं विधान सभा के बाहर राज्य सरकार ने कई बार आश्वासन दिये हैं? अगर हां, तो उसकी क्रियान्विति में विलम्ब अब तक किन कारणों से हुआ है? अब निश्चित रूप से कब तक उपरोक्त मांग के अनुसार सरकारी आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) जी नहीं। मूडसर, सूरतसिंहपुरा और रामसर अपने नजदीकी थाने नापासर के अधीन ही हैं। ग्राम रिडमलसर पुरोहितान प्रारम्भ से थाना जामसर के अन्तर्गत है।

(2) ग्राम सूरतसिंहपुरा एवं रामसर के बारे में प्रस्ताव प्राप्त होने पर इन्हें दिनांक 17-9-74 की अधिसूचना द्वारा नोखा से नापासर में स्थानान्तरण कर दिया गया। मूडसर पहले से ही थाना नापासर

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

के अधीन हैं। रिडमलसर के बारे में पुलिस महानिरीक्षक से सम्मति मांगी गई है।

श्री गोपाल जोशी : नोखा से मापासर कब स्थानान्तरित किया गया, दुबारा से बता दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 17-9-74 की अधिसूचना के जरिये।

श्री गोपाल जोशी : वास्तव में इसका एक्चुअल कन्ट्रोल आ गया क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरी सूचना के आधार पर ट्रान्सफर कर दिया गया है।

श्री गोपाल जोशी : रिडमलसर पुरोहितान कब तक हो जायगा ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जैसे मैंने कहा इसके लिये पुलिस महानिरीक्षक से सम्मति मांगी गई है सम्मति आने पर निर्णय कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विजयसिंह !

स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां

11. श्री विजय सिंह (मांडलगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग की जीपें, कारें, स्टेशन वेगन और अन्य मोटरें जिनमें कई युनिसेफ की गाड़ियां भी हैं जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के पास कई साल से खड़ी हैं ?

(2) उक्त गाड़ियां कुल कितनी हैं ?

(3) उक्त गाड़ियां खराब होकर कब कब यहां आई और इनमें से ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जो दुरुस्त कराई जा सकती थीं तथा जो गाड़ियां दुरुस्त कराई जा सकती थीं उन्हें दुरुस्त क्यों नहीं कराया गया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त गाड़ियों में से दुरुस्त कराने योग्य गाड़ियों को तो दुरुस्त नहीं कराया गया और नई गाड़ियां खरीदी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) उक्त गाड़ियों में से बिना देख-भाल के पड़ी रहने के कारण कितनी गाड़ियां बेकार हो गई हैं तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती-कमला) : (1) जी हां। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग के वाहन जिनमें कई यूनीसेफ की गाड़ियां भी हैं, अस्पताल रोड तथा संक्रामक रोग चिकित्सालय, मोतीडूंगरी रोड स्थित पुराने भवन में रखी हुई हैं।

(2) उक्त वाहनों की संख्या इस समय 146 है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन वाहनों में कुछ वाहन ऐसी थीं जो मरम्मत योग्य नहीं थीं तथा कुछ में भारी मरम्मत की आवश्यकता थी और उसके लिये पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं था। कुछ वाहन मरम्मत योग्य थे किन्तु उस समय मुख्यत : पेंट्रोल की कीमतें बढ़ जाने के कारण उनकी मरम्मत करवाना व उपयोग करना असामयिक हो गया था। सिर्फ 20

(श्रीमती कमला)
गाड़ियां अच्छी हालत में हैं जिनका उपयोग हो सकेगा।

(4) वर्ष 1974-75 में 4 रोगी वाहन क्रय किये गये थे चूंकि परिवार नियोजन व यूनीसेफ के वाहनों को रोगी वाहन के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता था। इनके अलावा 6 जीप वाहन रेतीले क्षेत्रों के चल चिकित्सालयों के लिये खरीदे गये।

(5) बरसात, धूप आदि से बॉडी का रंग अवश्य फीका हो गया है किन्तु टायर बेट्री व इंजन आदि को यथा संभव नुकसान से बचाया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : वहां गांव में काम में आई क्या या यों ही खराब हो गई ?

श्री विजय सिंह : मैं यह जानना चाहता था ये गाड़ियां कौन कौन से जिले से कब कब आईं ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जिलेवार सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन कितनी गाड़ियां खराब हुई हैं और कब से खराबी की हालत में पड़ी हुई हैं, यह सूचना मैं निवेदन कर सकती हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो वाहन रूरल एरिया के लिये खरीदे गये थे वे रूरल एरिया के काम में भी आये या वैसे ही बिना काम में आये खराब हो गये ?

श्रीमती कमला : रूरल एरिया में चार रोगीवाहन और 6 जीपें काम में आ रही हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अब जो बेकार पड़ी हुई हैं इनके लिए कह रहा हूं कि वे भी रूरल एरिया के लिये काम में आई थीं क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब सरकार की क्या करने की योजना है और जो वाहन सही हालत में पड़ी हुई हैं क्या सरकार उचित समझती है कि सवाई मानसिंह अस्पताल के पास एम्बुलेन्स की कमी है और कई अवसर आते हैं जब वे यह कह देते हैं कि एम्बुलेन्स नहीं है तो क्या सरकार इस बात के लिए सोच रही है कि उनको इस काम में लिया जा सकता है ? नहीं तो उनके टायर पड़े-पड़े कहीं सूख न जायें"

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछ लेता हूं मंत्री महोदया से कि जो गाड़ियां आपने ठीक नहीं मानते हुए वहां पर रख छोड़ी हैं उनको नीलाम करके सरकारी रकम खड़ी कर सकते थे तो इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाया गया ? क्या आपका यह मानना था कि वित्तीय स्थिति ठीक होने पर उनको काम में लिया जायेगा ? अगर इनको नीलाम करके रकम खड़ी कर दी जाती तो क्या सरकार को इससे लाभ नहीं होता ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बहुत समय से कुछ कुछ गाड़ियां इकट्ठी होते-होते इतनी गाड़ियां इस तरह इकट्ठी हो गयीं कि जिनमें से 126 गाड़ियां ऐसी हैं कि जो कि या तो बहुत ज्यादा खर्चा करके तैयार होंगी या फिर बहुत ज्यादा खर्चा करके भी काम के लायक नहीं होंगी। इनके डिस्पोजल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से

(श्रीमती कमला)

1970 में एक परिपत्र आया था कि किस प्रकार से इनका डिस्पोजल किया जायेगा और उसके मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी जांच पड़ताल के लिए कि कौनसी गाड़ी किस हालत में है और किस को कन्डेम किये जाने की स्थिति हो सकती है उसके लिए स्टेट ट्रान्सपोर्ट आफसर की नियुक्ति की और उन्होंने जांच पड़ताल करके रिपोर्ट दे दी। एक स्टेट कन्डम्नेशन बोर्ड कायम कर दिया गया है और उनकी जल्दी ही मीटिंग होने वाली है जिसमें से 30 गाड़ियां ऐसी कायम की गयी है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह आपके 5 वर्ष की प्रगति है। सन् 1970 में परिपत्र आया और अब 1975 में आप यह करने जा रहे हैं....

श्रीमती कमला : तसल्ली से सुन लीजिये। आपको जितनी व्यग्रता है....

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है....

श्रीमती कमला: अध्यक्ष महोदय, मैंने उन गाड़ियों को देखा है और मैं निवेदन कर रही हूं कि उसमें देरा हुई है वह बहुत बड़ी गलती हुई है और उसके लिए हम गुनहगार हैं, यह ठीक है। लेकिन अब इस दिशा में हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जल्दी ही कन्डेम्नेशन बोर्ड की मीटिंग होकर 30 गाड़ियां ऐसी घोषित कर दी है जो कि बिल्कुल बेकार हैं और उनका डिस्पोजल कर दिया जाना चाहिए। उसको जो रकम आये गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके मद में एडजस्ट होगी और इसके अलावा 96 गाड़ियां ऐसी हैं कि जिनकी रिपेयर हो सकती है। लेकिन प्रत्येक व्हीकल की रिपेयर में 10 हजार रुपये लगेंगे या 5 हजार रुपये लगेंगे और फिर उनके ऊपर पैट्रोल भी उतना ही खर्च होगा तो डिपार्टमेंट की ऐसी मान्यता है कि इनको रखने से कोई फायदा नहीं है इसलिए उनके लिए भी गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने लिख दिया है कि इनका डिस्पोजल कर दिया जाये या फिर वह वापिस मंगाना चाहें तो उनके लिए भी इजाजत दे दें। बाकी 20 गाड़ियां बचती हैं जिनमें पांच सौ रुपया खर्च होकर उपयोग में आ सकती है और उनका उपयोग फैमिली प्लानिंग में करने की व्यवस्था कर चुके हैं और उसको इजाजत मिलते ही हम उनका उपयोग कर सकेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : स्टेट हैल्थ ट्रान्सपोर्ट आफिसर की कितने साल पहले नियुक्ति की जा चुकी है....

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था लेकिन उसके बाद में दूसरे माननीय सदस्यों ने पूछना शुरू कर दिया और मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा निवेदन यह है कि अभी आप 126 गाड़ियां बता रही हैं....

श्रीमती कमला : 146 हैं और उनमें से 20 गाड़ियां ऐसी हैं कि जिनको हम काम के लायक समझते हैं और उनको हम काम में लेंगे।

श्री विजयसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् 1973 के दिसम्बर तक कितनी गाड़ियां थीं और उसके बाद 146 कैसे रह गयीं? दूसरी गाड़ियां कहां गयीं? एक गाड़ी आर. जे. ई. 426 नम्बर की यूनोसेफ की बाल आइन्डिग के लिए आपके पास

(श्री विजय सिंह)
आई तो वह गाड़ी अब तक कैसे पड़ी रही ? क्या यह इनफार्मेशन-आपके-पास है ?

श्रीमती कमला : खास गाड़ी की सूचना तो प्राप्त करके ही बता सकूंगी, लेकिन 1973 में कितनी गाड़ियां पड़ी हुई थीं उनकी संख्या यहां है कि जो बिल्कुल दुरुस्ती के बाद काम के लायक नहीं थीं वह 11 थीं और जो बहुत पैसा खर्च करके ठीक हो सकती थीं उनकी संख्या 68 थी और मामूली खर्च करके जो ठीक हो सकती थीं उनकी संख्या 10 थीं।

श्री विजयसिंह : मेरे ख्याल से वह गाड़ियां इतने दिनों तक पड़ी रहीं इसलिए लोग उनके पार्ट्स चोरी करके ले गए और बहुत ज्यादा खर्चा उनमें अब लगेगा और उनमें कुत्ते कुत्ती ब्याह गये हैं। इसके लिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए 1970 के परि-पत्र की पालना कितने दिनों में कर लेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप यह कल्पना करते हैं कि वहां हाथी–घोड़े आयेंगे ?

श्रीमती कमला : मैं मानती हूं कि माननीय सदस्य की चिन्ता बिलकुल ठीक है लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जहां तक उनकी गाड़ी का सवाल है क्योंकि वह खुले में रखी हुई हैं इसलिए जरूर उनमें नुकसान हुआ है, लेकिन जो उनके ओरीजिनल टायर्स थे उनको हमने जो हमारी दूसरी गाड़ियां हैं उनमें काम में लिया है और खराब टायर्स लगाकर उनको रखा हुआ है। इसी तरह से बैटरीज का उपयोग भी हमने दूसरी गाड़ियों में किया है और उनकी मशीनरी और एंजिन को बचाने के लिए पूरी सुरक्षा की गयी है। पूर्णरूप से गाड़ियों में मैकेनिकली डिफेक्ट नहीं आ सकती है। आज अगर हम उनको देखना चाहें तो उनको स्टार्ट भी किया जा सकता है।

श्री विजयसिंह : तो आप स्वीकार करते हैं कि उनमें नुकसान हुआ है। तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्रीमती कमला : मैंने निवेदन किया कि यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया की गाड़ियां थीं और उनकी परमीशन के बिना हम अपनी तरफ से उनका डिस्पोजल नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जो पद्धति बताई उसके मुताबिक डिले हुई है। वह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन हम यह अपने लेवल पर करना चाहते तो नहीं कर सकते थे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन !

श्री रघुनाथ विश्नोई : गाड़ियां आई थीं तो उनकी पद्धति बनाना चाहते तो बना सकते थे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सन् 1970 में पद्धति आ गयी और उनका डिस्पोजल अभी तक नहीं किया गया उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? उसके लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? दूसरे ड्राईवर्स के लिए पूछ रहा हूं....

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) यह सही है कि कुछ देरी हुई है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : कुछ नहीं 5 वर्ष की देरी हुई है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : देरी अवश्य हुई है लेकिन हम लगातार भारत सरकार को लिखते रहे कि इनका नीलाम कर दिया जाये और इस रकम को दूसरे मद में उपयोग कर सकें इसकी भी इजाजत दी जाये, लेकिन क्योंकि सारी की सारी प्रापर्टी भारत सरकार की थी और फेमिली प्लानिंग के अलावा दूसरी जगह काम में नहीं आ सकती थी–चाहे वह मलेरिया का हो और चाहे जैसा माननीय गोटेवाला ने कहा कि उनका होस्पिटल में उपयोग कर सकते थे तो मैं निवेदन करूंगा कि हम उनको फेमिली प्लानिंग में ही काम में ले सकते थे....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : फिर टायर और बेटरी आपने किस तरह से चेन्ज करी ? यह कैसे उपयोग में आई ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो फेमिली प्लानिंग की गाड़ियां चालू थीं, फेमिली प्लानिंग की गाड़ियों का किस तरह से उपयोग हो उसके नियमों की जानकारी पहले होनी चाहिए और इसके बाद लगातार भारत सरकार पेटर्न में चेन्ज करती रही। अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि मिनिस्ट्री के बाद और किसी के पास सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं तो वह फेमिली प्लानिंग के पास ही हैं। करीब 17-18 हजार के करीब गाड़ियां हैं। अब पेट्रोल की दिक्कत आई तो पेटर्न चेन्ज होते गये। इसलिए कई गाड़ियां काम में नहीं आ सकीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन !

बीकानेर जिले के गांवों में पेयजल की व्यवस्था

12. श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर एवं जलोत्थान योजना के जल स्रोत के आधार पर बीकानेर जिले के कुल कितने गांवों को स्वच्छ पेय जल सुविधा प्रदान कराने हेतु (पाईप्ड वाटर) सप्लाई रीजनल स्कीम्स बनाई हैं तथा इन योजनाओं पर भारत सरकार की तकनीकी स्वीकृति कब प्राप्त हुई ?

(2) उक्त योजना की कुल लागत राशि क्या है तथा उसको क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बेद) : (1) राजस्थान नहर एवं जलोत्थान योजना के जल स्रोत के आधार पर जिला बीकानेर के 184 ग्रामों को पेय जल सुविधा देने के लिए एक वृहत्त योजना बनाई गई थी। योजना का तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन सलाहकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक, नई दिल्ली द्वारा 20 जनवरी, 1975 को भेजा गया था।

(2) योजना की कुल अनुमानित लागत 1973 के मूल्यों के आधार पर 5.51 करोड़ रुपये हैं। योजना को जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों एवं धन की उपलब्धि के अनुसार क्रियान्वित किया जायेगा।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने भारत सरकार के पास दो विशेष योजनायें टेक्निकल एप्रूवल के लिए भेजी–एक तो बीकानेर और दूसरे चूरू जिले की। क्योंकि चूरू जिले से माननीय वित्त मन्त्री महोदय हैं इसलिए आपने केवल अपने क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिहाज से वहां पर रुपया मंजूर करा लिया, लेकिन इस पिछड़े हुए क्षेत्र में जहां कि खारा पानी है और जिसके लिए भारत सरकार की टेक्निकल एप्रूवल भी मौजूद थी इसलिए ऐसा होते हुए भी आप जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों को नजर-अन्दाज क्यों कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि आपका यह आरोप है मुझे बहुत दुख है कि माननीय सदस्य ने इस तरह का गलत आरोप लगाने की कोशिश की है। इस योजना के दो अंग हैं। एक पाईप से पानी लाना और दूसरा अंग है रीजनल स्कीम बनाना। जहां तक रीजनल स्कीम का सवाल है चाहे वह चूरू हो या बीकानेर हो या और कोई स्थान हो, वह जिला योजना समिति के प्रस्ताव के अनुसार मंजूर की जाती है। दूसरा पाईप से पानी लाने का जहां तक सवाल है, जहां तक इसका सवाल है बीकानेर जिले में वह पानी राजस्थान नहर से आ चुका है लेकिन चूरू जिले में अभी तक नहीं आया है। इसलिए पाईप से पानी लाने की आवश्यकता है। इसलिए जहां तक रीजनल स्कीम का सवाल है। चूरू और बीकानेर योजना में दोनों ही समान है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : 26 जिलों में भी क्या इसी प्रकार से जिला योजना समिति के प्रस्तावों के आधार पर ही मंजूर की गई है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले के अन्दर जो लिफ्ट इर्रीगेशन से पानी पहुंचा है, आपने यह स्पष्ट नहीं किया कि पाईप के द्वारा या और दूसरे किसी सोर्स के द्वारा पानी पहुंचाने की योजना है वह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने आपसे निवेदन किया कि यह 5 करोड़ 51 लाख की योजना है जिसके तहत विभिन्न रीजनल स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स में से एक रीजनल स्कीम जिला योजना समिति के प्रस्तावानुसार इस साल मंजूर की जा चुकी है। तीन रीजनल प्रस्ताव जिला आयोजना समिति ने अगले साल के लिए रखने का प्रस्ताव किया है जिस पर उचित समय पर विचार किया जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या इस पर कार्य प्रारम्भ हो गया है ?

(व्यवधान–अश्रव्य)

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : Just a second में स्पष्ट कर दूं। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। बीकानेर, चूरू वगैराह के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर स्वयं में पानी नहीं है और दूसरे सोर्स दूर हैं। इसलिए उसके सोर्स से एक हैड पर पानी लाना चाहते हैं और फिर रीजनल स्कीम से वहां पर

(श्री हरिदेव जोशी)
पानी का डिस्ट्रिब्यूशन करना होता है। दोनों जिलों की सही प्राब्लम है। बीकानेर में एक सोर्स से लेकर अमुक जगह तक वह पानी आ चुका है, चूरू में अमुक जगह से लेकर वह पानी आना है इसलिए जहां तक स्कीम का सवाल है बीकानेर जिला आगे है बजाय चूरू के और दोनों की स्कीम अभी पेंडिंग हैं। दोनों ही जगह की जहां तक रीजनल स्कीम्स का सवाल है अभी तक पेंडिंग हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का प्रश्न है, उन्होंने इसमें यह बात कही है कि चूरू में उस पोइन्ट तक पानी लाने का सवाल है और इसको पाईप से पानी पहुंचाने का सवाल है, पानी की लाईन डालने का जहां तक प्रश्न है....

श्री हरिदेव जोशी : बीच में एक बात और अर्ज कर दूं, जरा क्षमा कीजिएगा बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। जहां तक रीजनल स्कीम का सवाल है दोनों स्कीमों को बर्केबल प्रोपोजीशन बना कर इसको काम में लायेंगे और इसलिए बर्केबल प्रपोजीशन बना रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके लिए तो धन्यवाद है आपको। प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि सोर्स क्रियेट हो चुका है बीकानेर में। चिंता इस बात की है कि इसका आगे एडवांसमेंट नहीं हो रहा है। आप शुरू में सोर्स क्रियेट करें और बीकानेर में लूणकरणसर तक इर्रीगेशन के द्वारा पानी पहुंच चुका है। वहां पर लिफ्ट इर्रीगेशन होने लग गया है। आपसे प्रश्न यह किया गया है कि पानी पहुंचाने के लिए, चाहे वह ट्यूबवेल्स से हों या पाईप से पानी पहुंचाने का प्रश्न हो, यह कार्य एडवांस में क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए नहीं हो रहा है कि प्लान में इतना बड़ा प्रोविजन है नहीं और हम बर्केबल प्रपोजीशन बना कर बैंक से नॉन प्लान-प्राउट आफ प्लान योजना में इसका पैसा लेना चाहते हैं।

श्री भीमसेन : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय साधन प्राप्त करने लिए पेयजल की व्यवस्था करने के लिए एक अलग से कार्पोरेशन बनाया है जिससे कि स्पेशल फाइनेंस मिल सके। क्या राज्य सरकार यहां पर भी इसी प्रकार का एक अलग कार्पोरेशन बनाएगी या बनाने को तैयार है ताकि पेयजल की जो ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में बड़ी खराब हालत है उसका समाधान करने के लिए वह कार्पोरेशन बनाने को तैयार हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि इस बारे में पहले भी यहां पर एक प्रस्ताव पास कर चुके हैं, राजस्थान असेम्बली में प्रस्ताव पास किया था चार पांच वर्ष पहले।

श्री हरिदेव जोशी : हम एक्सेप्ट करते है।

श्री भीमसेन : माननीय मंत्री महोदय ने जैसा अभी कहा कि बीकानेर रीजनल स्कीम के लिए इस वर्ष में पैसा रखा गया

(श्री भीमसेन)

है, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो रीजनल स्कीम है उसके तहत कितने पैसे का प्रावधान होना चाहिए और कितने का प्रावधान किया गया है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले के लिए जो धनराशि रखी गई है उसी तरह से बीकानेर के लिए भी धनराशि रखी गई है लेकिन बीकानेर जिला योजना समिति ने जो प्रस्ताव भेजा उसके अनुसार इस साल एक ही योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा और उसको मंजूर कर लिया गया है। अगले साल के लिए जिला योजना समिति ने तीन योजनाएं रखने का प्रस्ताव किया है जिन पर उचित समय पर विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र !

श्री भीमसेन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं।

कोटपूतली में रोडवेज डिपो व वर्कशाप की व्यवस्था

13. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली)**: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कोटपूतली में रोडवेज डिपो व वर्कशाप स्थापित करने का निर्णय विभाग ने कब लिया और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डिपो व वर्कशाप शीघ्र स्थापित करने के बारे में सदन में आश्वासन भी दिलाया गया था ?

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) राज्य परिवहन निगम द्वारा कोटपूतली में डीपो एवं वर्कशाप स्थापित करने का निर्णय 24-2-74 को लिया था। चूंकि वर्तमान में जो निगम के पास भूमि है वह सामान्य सतह से बहुत नीचे है जिससे वर्षा के काफी समय में वह जलमग्न रहती है इसलिए निगम की नगरपालिका, कोटपूतली के साथ राष्ट्रीयकृत मार्ग पर आवश्यक भूमि की प्राप्ति हेतु कार्यवाही चल रही है।

(2) जी हां।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : क्या यह सही है कि जमीन के सम्बन्ध में नगरपालिका और यातायात निगम के बीच में बातचीत अंतिम रूप से हो चुकी है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जहां तक शैड का ताल्लुक है वहां शैड बन रहा है, टायलेट बन गया है और नगरपालिका जब उसका पैसा चुका देगी नगरपालिका को ही उसको चलाना है, उसको दे देंगे। इस पर कार्यवाही तेजी से चल रही है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : वहां जो शैड बना है वह तो बिल्कुल सिटी बस का शैड है, नेशनल हाईवे जैसा शैड लगता ही नहीं है। जैसा कारपोरेशन का शैड होना चाहिए नेशनल हाईवे पर वैसा नहीं बनाया गया है। वर्कशाप और डिपो के लिए जमीन की

Page No 24

(24)

(श्री सुरेश चन्द्र शर्मा)
कोई दिक्कत है नहीं। नगरपालिका ने सहमति दे दी है, सब तय हो चुका है, फिर इस कार्यक्रम में देरी क्यों की जा रही है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, मैं खुद वहां पर गया था और माननीय सदस्य भी मौजूद थे। वहां पर शेड बनने की कार्यवाही चल रही है, शेड करीब 2 बन चुका है। अब वह बड़ा हो या कैसा होना चाहिए, यह दूसरी बात है। इसके अलावा टायलेट बन चुका है और कुछ फीनिशिंग बाकी रही है और जल्दी ही वहां पर बसें खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। जहां तक डिपो का ताल्लुक है, डिपो खोलने के लिए कोशिश करेंगे। उसके लिए निर्धारित बसें होनी चाहिए, निर्धारित मार्ग होने चाहिएं। उसके लिए भी कार्यवाही चल रही है, वह कार्यवाही करेंगे। जमीन के बारे में मैंने माननीय सदस्य से भी निवेदन किया था कि जल्दी से जल्दी जमीन दिलाने की कोशिश कीजिए नगरपालिका से। उसकी कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है। वह कार्यवाही पूरी होते ही डिपो का काम हाथ में लेंगे।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : माननीय मंत्री महोदय तो अब और पीछे चले गए। पहले जवाब में तो यह कहा था कि डिपो शीघ्र खोलेंगे और अब तो उल्टा ही कर दिया है····

श्री अध्यक्ष : आप तो पहले वाली बात मानें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मंत्री महोदय उधर बहुत आते जाते हैं, आप तो कोई रेस्टोरेंट खोलने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: श्री जनार्दनसिंह गहलोत!

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए उद्योग

14. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) गत पांच वर्षों में राजस्थान में अब तक किन किन बड़े एवं छोटे उद्योगों के लिए (निजी व सार्वजनिक क्षेत्र मे) राज्य सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा 'लेटर आफ इन्टेन्ट' व लाईसेन्स स्वीकृत किये जा चुके हैं? कृपया स्वीकृति की दिनांक दर्शाने का कष्ट करें।

(2) उक्त स्वीकृत किये गये "लेटर आफ इन्टेन्ट" में कितने उद्योग समूहों ने उनको लाइसेन्स में परिवर्तित कर लिया व कब कब?

(3) उक्त स्वीकृत लाइसेन्स में से कौन कौन से लाइसेन्स ऐसे हैं जो बेकार पड़े हैं और उनके आधार पर अभी तक कोई उद्योग नहीं लगाये गये हैं?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूर्ण सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसके लिए निवेदन है कि इसको स्थगित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्री मीठालाल!

सनातन संस्कृत महाविद्यालय लालसोट

15. श्री मीठालाल मीणा (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मीठालाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि लालसोट सनातन संस्कृत महाविद्यालय (जयपुर) को भवन, प्राचार्य के वेतन की स्वीकृत एवं अन्य संस्कृत विभाग से स्वीकृत धनराशि आज तक भी प्राप्त नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों? तथा उक्त धनराशि कितनी कितनी कब कब से बकाया चली आ रही है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त धन राशि को प्राप्त करने के लिए संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से विभाग से लेकर शिक्षा मंत्री तक कई बार कई जन प्रतिनिधियों द्वारा निवेदन किया जा चुका है? यदि हां, तो किस-किस ने कब-कब? कृपया पत्र-व्यवहारों का ब्योरा देते हुए पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले की शिक्षा मंत्री द्वारा लिखित स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् भी धनराशि संस्था को नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मामले की फाईल गायब होने की भी चर्चा है?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त अनुदान की धनराशि का शीघ्र भुगतान करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन): (1) जी नहीं। सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय लालसोट के प्राचार्य के वेतन की स्वीकृत धनराशि अप्रेल 72 से निरन्तर दी जा रही है किन्तु इसके पहिले का सितम्बर, 71 से मार्च, 72 तक का एरियर अभी संस्था को नहीं दिया गया है। यह राशि (अनुदानित) रु. 2277) है। इस राशि को देने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) उपलब्ध जानकारी के अनुसार संस्था ने संस्कृत विभाग को दिनांक 21-1-74, 4-5-74, 18-6-74, 6-8-75 एवं 1-9-75 को इस सम्बन्ध में लिखा है तथा जन प्रतिनिधि श्री मीठालालजी मीणा ने भी दिनांक 19-3-74 को शिक्षा मंत्रीजी को पत्र लिखा है।

(3) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(4) इस प्रसंग में पत्रावली संख्या प. 7 (134) शिक्षा/ग्रुप-5/74 एवं प. 29 (9) शिक्षा-ग्रुप-5/72 उपलब्ध है।

(5) राज्य सरकार इस पर शीघ्र ही निर्णय लेगी।

श्री मीठालाल मीणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा गंभीर है। 71-72 के अनुदान का प्रश्न है उसके बाद का तो आ गया है, लेकिन 71-72 का जो पत्र-व्यवहार है उसके बारे में प्रश्न किया गया है और माननीय मंत्री महोदय ने भी माना है कि फलां 2 तारीख को पत्र व्यवहार हुआ है। माननीय मंत्रीजी ने आदेश दिया था कि पूरा भुगतान कर दिया जावे। संस्कृत विभाग के निर्देशक महोदय ने भी आपको रिमाइण्डर भेजे हैं कि उनकी स्वीकृति हो चुकी है और उन्हें यह अनुदान दे दिया जावे। मेरी समझ में नहीं आता कि

(श्री मीठालाल मीणा)
फिर क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है कि 71–72 के असेसमेन्ट के आधार पर जो अनुदान बनता है उसका चुकारा अभी तक नहीं किया जा रहा है? इसमें क्या समस्या है यह मैं जानना चाहता हूं।

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : श्रीमान्, निवेदन यह है कि अनुदान के नियमों में यह प्रावधान है कि एरियर्स का पेमेंट नहीं किया जा सकता है और इसीलिए वह अपने आप खत्म हो जाता है। फिर भी आपने यह प्रयास किया और उस पर मैंने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और इसी लिए आगे इसकी कार्यवाही चल रही है। अब मामला वित्त विभाग के पास है।

श्री मीठालाल मीणा : मंत्री महोदय को मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आपका यह कानून 71–72 के पहले था या बाद में था। 71–72 में आपका यह कानून बंद हुआ, क्या यह सच है?····

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : संस्कृत का प्रश्न श्री मीठालाल जी मीणा पूछ रहे हैं?

श्री मीठालाल मीणा : मेरे प्रश्न के महत्व को आप यूं न उड़ावें?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों ने मिलकर, प्लान बना कर मेरे प्रश्न के महत्व को उड़ा दिया। 71–72 के बाद यह कानून हो गया था, उसके पहले यह कानून नहीं था। इस प्रकार का पहले कोई कानून नहीं था। इसकी स्वीकृति हो चुकी है। इसलिए यह अनुदान मिल जाना चाहिये। आप कृपा करके मंत्री महोदय को जवाब देने के लिए फर्मा दीजिये। हांडाजी ने यूं ही टाइम खराब कर दिया है।

श्री अध्यक्ष (मंत्री महोदय से) : क्या आप जवाब देना चाहते हैं?

श्री खेतसिंह : इनको सन्तोष तो होना चाहिए। मैं यह निवेदन कर रहा था कि 71–72 में यह नियम बना····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप क्या उत्तर दे रहे हैं। संस्कृत के प्रश्न का उत्तर तो मुख्य मंत्रीजी को देने दीजिये।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो नियम बना है 71–72 में यह किसी इन्स्टीट्यूशन के लिए नहीं बना है। ऐसी जितनी भी इन्स्टीट्यूशन्स हैं और जिनका कि एरियर इस तरह से रह गया था, उनके लिए बना है। तीन, चार साल हो गये। हमने अनुदान नियमों के अन्दर नियम संख्या 8 में····

श्री मीठालाल : मेरा प्रश्न तो आचार्य जी के वेतन की स्वीकृति के बारे में है, 80 पर्सेन्ट के बारे में नहीं है।

श्री खेतसिंह : 2200/– रुपया आपके प्रिन्सीपल के एरियर का है। वह मैंने आपके कहने के अनुसार, इस केस को अब रेफर किया है वित्त मंत्रीजी की सेवा में। तो प्रयास जारी है। बाकी यह तो आप अलग से प्रश्न वित्त मंत्री जी से पूछिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

लेडली में प्रसूति एवं शिशु गृह

3. श्री गोकुल चन्द (कठूमर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि लेडली (अलवर) में प्रसूति एवं शिशु गृह खोले जाने निमित्त भवन का निर्माण नगरपालिका द्वारा कराया जा चुका है ?

(2) यदि हां, तो सार्वजनिक हित में प्रसूति एवं शिशु गृह चालू करने में अभी तक विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इसके संचालन हेतु योजना मद में वित्तीय प्रावधान न होने कारण यह फिलहाल सम्भव नहीं है।

सब-तहसील, अन्ता की लघु सिंचाई योजना

8. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :–

क्या यह सही है कि सब-तहसील, अन्ता, बारां तहसील की लघु सिंचाई योजनायें मंजूर हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तक इनका कार्य चालू कर दिया जावेगा ? तथा योजना अधिकारी एवं सम्बन्धित स्टाफ की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी तथा विलम्ब होने के क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

अध्यक्षीय घोषणा

श्री जोथिंग, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी

श्री अध्यक्ष : श्री जोथिंग की गिरफ्तारी।

मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि श्री जोथिंग, सदस्य विधान सभा, डी. आई. आर. की धारा 13 के अन्तर्गत दिनांक 23 दिसम्बर, 1975 को मध्याह्नोत्तर 1 बजकर 45 मिनिट पर गिरफ्तार किये गये एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 1975 को उप-कारागृह, बांसवाड़ा में रखे गये हैं।

श्री मनोहरलाल व श्री मालाराम द्वारा दल परिवर्तन

मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि श्री मनोहरलाल (कामां), सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान विधान सभा में जनता मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। श्री मालाराम, सदस्य विधान सभा ने जनसंघ पार्टी व जनता मोर्चा से त्यागपत्र दे दिया है। अब श्री मालाराम निर्दलीय सदस्य के रूप में सदन में बैठेंगे।

अनुपस्थिति की अनुमति

श्री बृजेन्द्रपालसिंह को सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह, सदस्य विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 5 जनवरी, 1976 से 18 जनवरी, 1976 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

(श्री अध्यक्ष)

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

9 अप्रेल, 1974 को मैंने सदन में स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्थाएं दी थीं और उनमें से कुछ व्यवस्थाओं को पुनः 21 फरवरी, 1975 को दोहराया था। उसके बाद भी मुझे ऐसे स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त होती रही है जो नियमों के अन्तर्गत स्थगन प्रस्तावों के लिये निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं करते। ऐसा होते हुए भी माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आसन की ओर से प्रायः सभी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं पर निर्णय सुनाया जाता रहा है जिससे कि माननीय सदस्यों को उनके सम्बन्ध में अपनी बात सदन में कहने का अवसर मिल सके।

वर्तमान संदर्भ में यह बात विशेष महत्व की है कि न केवल निर्धारित प्रक्रियाओं तथा नियमों का पूरी तरह पालन किया जाये बल्कि यह भी आवश्यक है कि सदन का अधिक से अधिक काम कम से कम समय में निपटाया जा सके और जिन मुद्दों को अन्य नियमों के अन्तर्गत सदन में उठाने का अवसर हो उन्हें स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से नहीं लाया जाये।

इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना उचित समझता हूं कि भविष्य में यह आवश्यक नहीं होगा कि जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचना निर्धारित समय के भीतर प्राप्त हो जाये उन पर उसी दिन अथवा उसके अगले दिन सदन में अध्यक्षीय निर्णय घोषित किया जाये और केवल उन्हीं स्थगन प्रस्तावों का उल्लेख सदन में किया जायगा जिन्हें आसन उपयुक्त समझे। मुझे आशा है कि जिन स्थगन प्रस्तावों के विषय में सदन में अध्यक्षीय निर्णय न हो, उनके विषय में सदन में कोई चर्चा नहीं की जावेगी। यह व्यवस्था लोक सभा की परम्परा तथा हमारे यहां के नियमों के भी पूर्णरूप से अनुकूल है।

सदन की मेज पर रखे गए पत्र

राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृत विधेयक

श्री सचिव (श्री रामजीलाल गुप्ता) : महोदय, मैं गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

(1) राजस्थान विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975

(2) जोधपुर विश्व विद्यालय (द्वितीय संशोधक) विधेयक, 1975

(3) उदयपुर विश्व विद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975

अध्यादेश

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 16 सन् 1975) ।

(2) राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 26 सन् 1975) ।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 12 सन् 1975) ।

(2) राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 13 सन् 1975) ।

(3) राजस्थान साहूकार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 14 सन् 1975) ।

(4) राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 20 सन् 1975)

(5) राजस्थान अनुसूचित ऋणी ऋण (अधिस्थगन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 21 सन् 1975) ।

(6) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 23 सन् 1975) ।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 17 सन् 1975) ।

(2) राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 25 सन् 1975) ।

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 27 सन् 1975) ।

(2) राजस्थान स्मारक, पुरातत्वीय स्थल एवं पुरावशेष (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 29 सन् 1975) ।

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्रीजी ।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 15 सन् 1975) ।

Page No 30

(30)

(श्री रामनारायण चौधरी)

(2) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 22 सन् 1975)।

(3) राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 24 सन् 1975)।

(4) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 28 सन् 1975)।

श्री अध्यक्ष : श्रम मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं —

(1) मजदूरी विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 18 सन् 1975)।

(2) राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 19 सन् 1975)।

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री !

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनाएं (कार्मिक विभाग) सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 9(21) अपाइन्ट्स (ए–11) 72, दिनांक 12 मार्च, 1975 जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 में संशोधन किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 8(7) डी.ओ.पी (ए–11)72, दिनांक 15 जुलाई, 1975 जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974 में संशोधन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा : (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय····

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी की अधिसूचनाओं को पढ़ी हुई मान लिया जाय तो सदन का समय बहुत-सा नष्ट नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या (1) से लेकर क्रम संख्या 18 तक की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

[निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी गई :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 7 (59) राज/उप–4/73, दिनांक 7 जून, 75।

(2) अधिसूचना संख्या 4 (5) राज/उप/75, दिनांक 3 सितम्बर, 1975।

(3) अधिसूचना संख्या 4 (5) राज/उप/75, दिनांक 6 सितम्बर, 1975।

(4) अधिसूचना संख्या 4 (5) राज/उप/75, दिनांक 8 सितम्बर, 1975।

Page No 31

(31)

(श्री परसराम मदेरणा)

(5) अधिसूचना संख्या प. 4 (10) राज/उप/ 75, दिनांक 8 अगस्त, 1975।

(6) अधिसूचना संख्या एफ 4 (12) राज/उप/75, दिनांक 20 सितम्बर, 1975।

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (5) राज/उप/75, दिनांक 1 अक्टूबर, 1975।

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (5) राज/उप/75, दिनांक 1 अक्टूबर, 75।

(9) अधिसूचना संख्या प. 4 (5) राज/उप/74 भाग II, दिनांक 9 अक्टूबर, 1975।

(10) अधिसूचना संख्या प. 4 (12) राज/उप/ 75, दिनांक 17 अक्टूबर, 1975।

(11) अधिसूचना सं.प.4(4)राज/उप/75, दिनांक 24 अक्टूबर, 1975।

(12) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (11) राज/उप/75, दिनांक 30 अक्टूबर 1975।

(13) अधिसूचना संख्या प. 4 (5) राज/उप/74 भाग II, दिनांक 30 अक्टूबर, 1975।

(14) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) राज/उप/75, दिनांक 27 नवम्बर, 1975।

(15) अधिसूचना संख्या प. 4 (8) राज/उप/75, दिनांक 27 नवम्बर 1975।

(16) अधिसूचना संख्या एफ. 24 (29) राज/उप/73, दिनांक 27 नवम्बर 1975।

(17) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (23)अ कोष/75, दिनांक 24 नवम्बर, 1975।

(18) अधिसूचना संख्या प. 4 (3) राज/उप/74, दिनांक 25 नवम्बर, 1975।]

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रजी !

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की निम्नांकित संख्या 1 से 5 तक की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी गई :—

[(1) अधिसूचना संख्या एफ. 2 (II) वित्त/बा. कर।(70, दिनांक 8 नवम्बर, 1974।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 7 (33) वित्त/बा. कर/72, दिनांक 8 नवम्बर, 74।

(3) अधिसूचना संख्या प. 7(33) 83 वित्त/बा. कर/ 72, दिनांक 10 फरवरी, 75।

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 2 (34) वित्त/ग्रुप-4/74, दिनांक 10 फरवरी, 1975।

Page No 32

(32)

(श्री चन्दनमल बैद)

(5) अधिसूचना संख्या एफ 2 (6) वित्त/ग्रुप–4 75–3, दिनांक 2 मई, 1975।]

श्री अध्यक्ष : परिवहन मंत्री !

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष...

श्री मीठालाल मीणा। अध्यक्ष महोदय, इनसे पढ़वा लें, ये पढ़ नहीं सकते।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं संख्या 1 से 4 सदन की मेज पर रखता हूं।

[निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी गई :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 1/ (3) (21) परि/74, दिनांक 7 दिसम्बर, 1974।

(2) अधिसूचना संख्या प. 1(3)(41) परि। 72, दिनांक 18 दिसम्बर, 1974।

(3) अधिसूचना संख्या प. 1(3) (45) परि। 72, दिनांक 6 नवम्बर, 1974।

(4) अधिसूचना संख्या प. 1(3)(84) परि/74, दिनांक 31 दिसम्बर, 1974।]

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी : (स्वायत्त शासन मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 7(7), टी. पे./ 174। जी. एस. आर. 311 (19) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिसीमन आयोग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 282।राज। 75 (एस. ओ. 209) (ई.) दिनांक 30 जून, 1975 जिसके द्वारा राज्य में लोक सभा व राजस्थान राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए राज्य विधान सभा की सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया है, को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मीठालाल मीणा। 289 का किया गया है या 285 का किया होगा।

श्री अध्यक्ष : नोटिफिकेशन।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे, मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 के भाग (ब) के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का 10 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1973-74।

(2) राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 78(3) के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम, जयपुर का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1974-75।

Page No 33

(श्री हरिदेव जोशी)

(3) कोटा पुलिस गोली कांड जांच आयोग की रिपोर्ट।

(4) उदयपुर में भगदड़ दुर्घटना काण्ड की जांच आयोग का प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:–

(1) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप-धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत हाई-टेक प्रेसीजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर की दिनांक 30 सितम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के सम्बन्ध में निदेशकों का प्रतिवेदन तथा लेखा–विवरण।

(2) वर्ष 1973–74 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां)

(3) वर्ष 1973–74 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)।

(4) वर्ष 1973–74 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

(5) विनियोजन लेखे 1973–74, एवं

(6) वित्त लेखे 1973–74।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्रीजी।

श्री हीरालाल देवपुरा : (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 ए की उप-धारा 3 का भाग (ब) के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का 11 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1967–68।

(2) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1968–69।

(3) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1969–70।

(4) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1970–71।

(5) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1971–72।

(6) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1972–73।

श्री अध्यक्ष : श्री स्वायत्त शासन मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भंडार व्यवस्था निगम अधिनियम 1962 की धारा 31 की उप-धारा (II) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम, जयपुर, का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1973–74 को सदन की मेज पर रखूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन के प्रतिवेदन रखे गये हैं यह बहुत पुराने हैं और एक साथ रखे गये है । मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आग्रह करूंगा कि यह हर साल रख दिये जाएं । इतने पुरानों को एक बार में रखना सदन में कोई अर्थ नहीं रखता है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जितने भी प्रतिवेदन अभी तक मिल सके हैं उनको रख दिया गया है । आगे इस बात का पूरा ध्यान रखा जायगा कि यह प्रतिवर्ष मिलते रहें और सदन की मेज पर हम रखते रहें ।

विधायी कार्य

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य, श्री शक्तावत ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज. सिविल सेवा (सेवा–मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को विमति टिप्पणियों सहित उपस्थापित करता हूं ।

विधेयकों का पुरःस्थापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1975

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापन । मुख्य मंत्रीजी ।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : जारी करने के कारण ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 16 सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्रीजी ।

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) (संशोधन) विधेयक 1975 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : रीजन्स ।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 27 सन् 1975 को जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं ।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975।

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ।

Page No 35

(35)

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 22 सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं।

मजदूरी विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975।

श्री अध्यक्ष : श्रम मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मजदूरी विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत मजदूरी विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 18 सन् 75) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ओन ए पाइंट आफ इन्फर्मेशन।

श्री अध्यक्ष : आप थे नहीं उस पर निर्णय हो गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज का समय भी है।

श्री अध्यक्ष : जी हां।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के लिए 4 दिन नियत किये गये हैं। इस प्रकार चर्चा के लिए लगभग 17-30 घंटे का सयम उपलब्ध है। मैंने बहस की सुविधा की दृष्टि से पार्टीवाइज समय का विभाजन इस प्रकार किया है :-

कांग्रेस	13.00	(इसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी शामिल है)
जनता मोर्चा	2.00	
साम्यवादी (सी.पी. आई.)	1.00	
साम्यवादी (सी.पी.एम.)	0.15	
स्वतंत्र	0.15	
निर्दलीय	1.00	

उक्त समय का आवंटन आज दिनांक 6 जनवरी, 1976 से प्रभावशील होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (प्रासींद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कल जो अपना अभिभाषण इस सदन में दिया और आज के हालात के बारे में जो जिक्र उन्होंने किया है; उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान आज ऐसी विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है जिसमें हम आन्तरिक और बाहरी दुश्मनों का मुकाबला करते हुए अपनी परिस्थितियों को मजबूत बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक आन्तरिक दुश्मनों से निपटने का सवाल है; हमने पिछले अर्से के अन्दर इस प्रकार के कदम उठाये। इस तरीके से विघटनकारी शक्तियों, प्रतिक्रियावादी शक्तियों, और फासिस्टी शक्तियों में विश्वास करने वाली शक्तियों ने इस देश की व्यवस्था को तब्दील करने की कोशिश की है। उन शक्तियों के साथ निपटने के लिए जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है और प्रधान मंत्री द्वारा आपातस्थिति की घोषणा कर, इस देश को प्रजातन्त्री व्यवस्था को, इस देश की आजादी को बचाने का प्रयास किया है, उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। आप जानते हैं कि पिछले दो-तीन सालों से, सन् 1971 के चुनाव के बाद विरोधी पार्टियों को जब यह महसास हो गया कि हिन्दुस्तान की प्रजातन्त्री व्यवस्था में इन दक्षिण पन्थी पार्टियों को, और अति उग्रपन्थी पार्टियों का यहां पर कोई विशेष महत्व नहीं; इस देश की जनता उनको चाहती नहीं है, इस देश की जनता में उनका कोई वर्चस्व नहीं है, पहले जो लोग प्रजातन्त्री व्यवस्थाओं की दुहाई देते थे, खास तौर से वे दक्षिणपन्थी शक्तियों और पार्टियों, भारतीय जनसंघ और भारतीय लोकदल, इन्होंने हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्री व्यवस्था मजबूत बनाने और इस प्रकार की पार्टियों को किस प्रकार चलाने की कोशिश की है, वह आपसे छुपा नहीं है ? इस देश में यथास्थिति वाद में विश्वास रखने वाले लोग, इस देश में धन सम्पन्न और अपना वर्चस्व कायम रखने वाले लोग बार-बार इन पार्टियों को प्रोत्साहन देते रहे है। उनके जरिये से प्रोत्साहन पाकर ये पार्टियां अपना वर्चस्व बढ़ाने की इस राज्य में बराबर कोशिश करती रही हैं। मगर आपने देखा, जब हमने इस देश में समाजवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की है तो इस देश की जनता ने बराबर हमारी मदद की है।

सन् 1971 के बाद जब हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राजा महाराजाओं के प्रिवीपर्स समाप्त करने के प्रगतिशील कदम उठाये। उसके बाद में 1971 के चुनाव हुए। निश्चित तौर से यह कहा जा सकता है कि पहले उठाये हुए कदमों का आम जनता को लाभ नहीं पहुंचा था मगर जनता को यह मालूम पड़ गया कि कांग्रेस पार्टी किस रास्ते पर चल रही है। 1971 में हमने उन प्रश्नों को जो सुप्रीमकोर्ट द्वारा रद्द कर दिये गये थे, हमने जनता के सामने रखा। जनता का समर्थन है तो हम निश्चिततौर से समाजवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने और आजादी को कायम रख सकते हैं। इन प्रश्नों को जनता के सामने हमने रखा और आपने देखा कि 1971 में दबे हुए लोग

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

और कमजोर वर्ग के लोगों ने हमारे आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन किया। 1971 में हमने इन प्रश्नों को जनता के सामने रखा। जनता अगर हमको 2/3 बहुमत पार्लियामेण्ट में देती है तो निश्चित तौर से हम कान्स्टोट्यूशन में अमेण्डमेण्ट करके जनता को अधिकार देने का प्रयास करेंगे जिससे कि गरीबी और बेकारी को दूर कर सकें तथा उनको सामाजिक न्याय दे सकें। इस प्रकार की व्यवस्था के प्रश्न हमने आम जनता के सामने रखे तो निश्चित तौर से जनता ने दो तिहाई बहुमत कांग्रेस को दिया और यह इजाजत दी कि समाजवादी कदम उठायें और प्रतिक्रियावादी लोगों, और निहित स्वार्थ वाले लोगों का बढ़ना रोका जाए। उनके खिलाफ कदम उठाकर समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए ऐसे कदम लागू किये जायं जिससे गरीब व कमजोर वर्ग को ऊपर उठा सकें। जब हमने कदम उठाने शुरू किये तो हालात बदलने लगे। जमीन और शहरी सम्पत्ति पर सीमाएं बांधी तो आम तौर से जो लोग गरीबों का शोषण करके सम्पत्ति अर्जित करते थे वे सहमें और निश्चित तौर से यह कदम और भी स्वागत योग्य माना गया। और ज्यों-ज्यों ज्यादा तेजी से कदम उठाने लगे तो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वाले लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1971 में जो पार्टियां जनता के द्वारा ठुकरा दी गई थीं, उन राजनैतिक पार्टियों द्वारा इस प्रकार का राजनैतिक वातावरण तैयार करना और ज्यादा से ज्यादा उसको संगठित करना, उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूती से सहयोग करना शुरू किया। इसी प्रकार से पूंजीपति लोगों द्वारा इस प्रकार के प्रयास किये गये जो कि देश की व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था को कायम न होने दे। इस प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की गई।

अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1971 के पहले जिस प्रकार की परिस्थिति थी। देश की हालत और परिस्थितियां थीं। वह छिपी हुई नहीं थीं। अपने यहां जो दो तीन साल से अकाल की स्थितियां बनी रही। इसकी वजह से पैदावार कम हुई। बाढ़ की स्थितियां रहीं। अरबों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हुई। फसलें बरबाद हुई। बंगला देश की लड़ाई, और बंगला देश के शरणार्थी हमारे देश में आये। इसके कारण हमारे देश की आर्थिक स्थितियों पर गम्भीर असर पड़ा, और जिस प्रकार से हमारे ही देश में नहीं विश्व में महगाई और कीमतों में बढ़ोत्तरी चार या पांच गुनी हुई उसका भी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा। इसका दुनियां के दूसरे मुल्कों पर प्रभाव पड़ा। दूसरे देश भी प्रभावित हुए। हमारा देश उन परिस्थितियों में से गुजर रहा था। तो प्रतिक्रियावादी लोगों, जिनके कि घुटने टिक गये थे, जिनके सम्बन्ध में एकान विशेष तौर से लेने वाले थे, वह सारे संगठित हुए। उन्होंने हमारे देश का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय प्रजातन्त्रवादी देशों में यह परम्परा रही है कि जब देश में इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो सारी पार्टियां इकट्ठी होकर उससे निकलने की कोशिश करती है। मगर हमारे देश में और तरह से माहौल बनाया गया। उन्होंने देखा कि प्रजातन्त्री व्यवस्था में कांग्रेस के सिवाय

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

और कोई पार्टी सरकारी आसन पर बैठ नहीं सकती है इसलिए ऐसी कठिन परिस्थितियों का लाभ उठाकर, उनको अपदस्थ करके, उनके स्थान पर बैठ जायं। आपने देखा कि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपने देखा कि कल-कारखानों में मजदूरों के द्वारा हड़ताल कराई गई। इस प्रकार से मजदूरों को भड़काकर उत्पादन में कमी लायी गयी। मजदूरों के दिलो-दिमाग में भड़काकर अशान्ति फैलाने की कोशिश की गयी। क्योंकि यह स्वाभाविक बात थी। महंगाई बढ़ रही थी। ऐसी हालत में मजदूरों का तनख्वाह नहीं दी गई। मजदूरों का विक्टिमाइजेशन किया गया। इस प्रकार से उत्पादन में कमी पैदा की गई। उनकी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में सहयोग किया। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, न केवल मजदूरों को ही भड़काया गया मालिकों को भी भड़काया गया। मालिकों के दिलो-दिमाग को भड़काकर लॉक आउट कराया गया। मजदूरों का विक्टेमाइजेशन किया गया। ताकि चीजों का उत्पादन कम करके लोगों के दिलो-दिमाग में अशान्ति और असन्तोष फैलायें।

इस प्रकार की भावनाओं से उन लोगों ने काम किया। आपने देखा कि विद्यार्थी कम्युनिटी के अन्दर भी उनके द्वारा किस प्रकार की दूषित भावनाएं फैलाई गई। हिंसक प्रवृत्तियों के द्वारा इस देश की व्यवस्थाओं को नष्ट करने का पूरे तौर से प्रयास किया गया। सारे देश में असन्तोष और अशान्ति फैलाकर देश की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई। सरकारी कर्मचारियों को भड़काया गया। आपने देखा होगा कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल हमारे प्रदेश में काफी लम्बे समय तक चली थी। उनको भड़काने के लिये भी इन्हीं प्रतिक्रियावादी शक्तियों का हाथ था। कहने का मतलब यह है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें हड़ताल नहीं कराई गई हो। चाहे ट्रान्सपोर्ट हो, रेल्वे हो, हर तरह से सरकार को फेल करने की कोशिश की गई। हमारे देश की सरकार को हटाने का, उसके खिलाफ बगावत करने का और जनता को भूखों मारने का प्रयास किया गया, वह किसी से भी छिपा नहीं है इन सब बातों के पीछे किसका हाथ था? हड़तालें कराने में किसका हाथ था? हमारे देश की प्रतिक्रियावादी शक्तियों में विश्वास करने वाली राजनैतिक पार्टियों का ही नहीं बल्कि आज जब हम आपात् स्थिति के बाद में जो हालात देश के अन्दर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि इन सब प्रवृत्तियों में किन-किन शक्तियों का योगदान था, उनका हाथ था। इसी तरह से हमको यह भी मालूम पड़ता है कि उसमें बाहरी शक्तियों का भी योगदान था। हमारे सामने इस प्रकार की नजीर है हमने ऐसा देखा है कि बहुत से देशों के अन्दर कुछ ऐसे अच्छे काम होने लगते हैं जिनको बड़ी शक्तियां पसन्द नहीं करती तो उन्होंने वहां पर आन्दोलन अथवा जनता को भड़का कर वहां की सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास किया है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पार्टियों ने हमारे देश की व्यवस्थाओं को हर तरह से बिगाड़ने की कोशिश की। हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोक्योरमेन्ट और डिस्ट्रीब्यूशन है उन सबको बिगाड़ने में कोई कोर–कसर नहीं उठा

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

रखी। हमारे किसान भाइयों को जाकर उन्होंने भड़काया कि सरकार सस्ते भावों में सामान लेना चाहती है। 105 के हिसाब से गेहूं लेकर वह उसी गेहूं को 136 में आपको बेचना चाहती है इस तरह की बातें कहकर उनको बहकाने की कोशिश की गई किसानों और कन्जूमर्स को भड़काया गया। इस प्रकार की तमाम अव्यवस्थायें पैदा करने को इन्होंने निश्चित तौर पर कोशिशें की और उसके बाद में तमाम राजनैतिक पार्टियों ने मिलकर हमारे देश की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने के लिए एक और बड़े नेता को उन्होंने अपने साथ लिया। उन बड़े नेता ने सन् 1952 में हमारे देश में प्रवेश होकर प्रधान मन्त्री बनने की कोशिश की मगर उनकी पार्टी की बड़ी भारी शिकस्त हुई, जनता ने उनको उखाड़ फेंका।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बड़ा किस मायने में कहते हैं आप उनको, पद में बड़ा या उम्र में ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह आप सब जानते हैं किस मायने में बड़े हैं। तो उन्होंने देश में बड़ा बवंडर मचाया और प्रचार व प्रसार किया और देश के लोगों को भड़काने की पूरी कोशिश की। आपने देखा कि पूरे दक्षिण और पूर्व में केवल बिहार को छोड़कर कहीं भी उनको बल और शक्ति नहीं मिली। लोगों ने उनको अपनाया नहीं सो हताश होकर उन्होंने दूसरी व्यवस्था बनाने की कोशिश की। आपने देखा कि प्रधान मंत्री के खिलाफ उनके मुकदमे में जो फैसला हुआ उस समय हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने देखा कि यह अच्छा मौका है कि इस समय सरकार को अपदस्थ कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने जगह-जगह आन्दोलन कराये, हड़तालें कराई और बवंडर मचाये और यह कहा कि अपदस्थ नहीं होते हैं तो जबरन उनको हटा देना चाहिए। इस प्रकार की अव्यवस्था की गई दिल्ली के अन्दर यह कोशिश की गई जिसकी वजह से सारा प्रशासन ठप्प हो जाय और सेना और पुलिस को भी भड़काया जाय उनको यह कहा गया कि वह सरकार का हुक्म नहीं माने, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। इस प्रकार से बवंडर मचाने और भड़काने के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिली, जनता ने उनका साथ नहीं दिया। हमने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को माकूल तरीके से जमाने के लिये बहुत सी बातें बरदाश्त की। बहुत समय निकल गया, सोचा-समझा कि अच्छे विचार पनप सकें और प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को पनपाने में और मजबूत बनाने में सहयोग दे सकें मगर 25 जून की रात दिल्ली में मीटिंग की गई और यह निर्णय लिया गया कि अगर सरकार अपने आप नहीं हटती है तो उसको ताकत के जरिये हटायेंगे और प्रान्तीय सरकारों को भी हटा देंगे। तब निश्चित तरीके से, ऐसी हालत में कोई भी प्रजातान्त्रिक सरकार जो प्रजातन्त्र में विश्वास करती है और चाहती है कि देश को, देश के आर्थिक कार्यक्रम को मजबूती से आगे बढ़ाया जाय और देश आर्थिक तौर से आगे बढ़कर मजबूत बने वह सरकार कभी भी इस प्रकार की बातें बरदाश्त नहीं कर सकती जो कि देश को कमजोर बनाने मे योगदान दे। और इसलिए वे 29 तारीख को कार्यक्रम करने वाले थे, उस कार्यक्रम को रोकने के लिये और देश को मजबूत बनाने के

Page No 40

(40)

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

लिये हमारी प्रधान मन्त्री ने 26 तारीख को आपात् स्थिति की घोषणा की थी। जो लोग यह कहते थे कि देश में आन्दोलन हो जायगा और बवंडर मच जायगा, इस तरह की बातें कहने वालों को अन्दर रख दिया। फिर उनके बाद न तो कोई बवंडर मचा और न कोई भूचाल ही आया। देश की जनता ने पूरा पूरा साथ दिया और देश को आगे बढ़ने का एक मौका मिला। इसलिए आपात् स्थिति के बाद देश में जो परिवर्तन देखने में आया वह निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। करोड़ों लोग चाहते हैं, हमारे देश की जनता चाहती है कि किसी प्रकार से हमारे देश की व्यवस्थायें ठीक तरह से चले। उत्पादन बढ़े यह इस देश की जनता चाहती है। इस देश की जनता चाहती है, कि जनता में देश का प्रोडक्शन ठीक प्रकार से बढ़े और सामाजिक न्याय मिल सके। आपात्स्थिति के बाद में देश में जो परिवर्तन देखने में आ रहा है, सभी क्षेत्रों में, जनता जानती है कि प्रोडक्शन बढ़ा है, कीमतों में निश्चित तौर से गिरावट आई है। आपने देखा कि खाने-पीने की चीजों में 40 परसेंन्ट की गिरावट आई है। आज जो चीजें कारखानों में पैदा होती हैं उनकी कीमतों में भी 20 परसेंन्ट तक गिरावट आई है। इतना बड़ा परिवर्तन किसी भी दूसरी व्यवस्था से नहीं आ सकता था। लोगों ने यह महसूस किया कि आपात् स्थिति की घोषणा के बाद में, अनुशासन बद्ध रहकर देश की व्यवस्था को मजबूत बनाये रखने के लिये हमको योगदान देना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन की भावना जागृत हुई है। हमारे विद्यार्थी भाइयों ने पढ़ाई बढाने के लिए कौन–कौन से कार्यक्रम

लिखाई में अच्छा वातावरण बनाया है और हमारी प्रधानमन्त्री ने जो बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया है उसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। मजदूरों ने भी, आपने देखा कि पिछले साल जब हड़तालें हुई थीं तो दो-ढाई लाख दिनों का नुकसान हुआ था। इस वर्ष आपात्स्थिति के बाद आपको एक दिन भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि कहीं स्ट्राइक हुई हो या प्रोडक्शन में किसी प्रकार की गिरावट आई हो। इसलिए आप देखेंगे कि सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है और हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपात्स्थिति से मूल्यों में गिरावट आई है, उसी प्रकार से मुद्रा-स्फीति को रोकने में भी योगदान मिला आपने देखा कि रुपये की कीमत जो घट गई थी, इसके पहले 25 पैसे थी वह अब आगे बढ़ने लगी है और जो मुद्रा स्फीति थी वह खत्म हो गई है और नहीं के बराबर रह गई, और उनके साथ ही साथ हम अपने सभी क्षेत्रों में प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे हैं। इसलिए हम आपात् स्थिति का स्वागत किए बिना नहीं रह सकते। हम चाहते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्थायें कायम रहें जिनसे हम अनुशासनबद्ध रहकर तमाम क्षेत्र में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा देश प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढे और उसके लिए हमको कटिबद्ध होकर काम करना पड़ेगा। बिना उत्पादन बढ़ाए कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। आज हमारा मुख्य नारा होना चाहिए कि हम अपना देश का उत्पादन किस तरीके से बढ़ाये, अपने देश को प्रगति के रास्ते पर

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

अपने हाथ में लें जिनसे हमारा देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े। इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने के लिए हमें निश्चित तौर से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे उत्पादन बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़े, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। इसके लिए हमें निश्चित तौर से कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। इसलिए आपात् स्थिति के बाद में एक जुलाई को प्रधान मंत्री का जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, वह निश्चित तौर से स्वागत योग्य है। उससे आम लोगों को सामाजिक न्याय मिले जो लोग हजारों वर्षों से शोषित रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों को हमें अपने प्रदेश में मजबूती से लागू करवाना है। यह बहुत स्वागत योग्य बात है कि तमाम सरकारों ने और राज्य सरकारों ने भी, खास तौर से हमारी राज्य सरकार ने इस 20 सूत्री कार्यक्रम को इम्पलीमेंट करने में काफी सक्रियता बताई है और उसके कारण हम उन कार्यक्रमों को इम्पलीमेंट करने में आगे बढ़ सके हैं। राज्यपाल महोदय ने इस संबंध में विस्तृत रूप से अपने अभिभाषण में उसका जिक्र किया है। उस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अपने राज्य में इस 20 सूत्री कार्यक्रम को इम्पलीमेंट करने में किस प्रकार के कदम उठाए हैं। राजनैतिक स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर भी, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को अपने राज्य में लागू करने में किस तरीके से काम किया गया है :

पहला प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है।

(समय 12.43 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

प्रोक्योरमेंट में हमारे प्रदेश ने टार्गेट तय किया 1.75 लाख टन गेहूं प्रोक्योर करने का। हमारी सरकार और राजनैतिक कार्यकर्ता जो समान विचारधारा के लोग हैं उन तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करके योगदान देकर इस टार्गेट को अचीव करने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया और आपको सुनकर खुशी होगी कि हमारी सरकार ने 1.75 लाख टन के बजाय 1.83 लाख टन गेहूं प्रोक्योर किया है। टारगेट से भी ज्यादा प्रोक्योर करके अपनी कार्यक्षमता का परिचय दिया है। इससे हम अपनी प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्थायें करने की कोशिश की।

उपाध्यक्ष जी, प्रोक्योरमेंट के साथ-साथ हमने अन्य चीजों को भी प्रोक्योर करने की कोशिश की जैसे मोटा अनाज और इनको किस तरह से वितरित किया जाए, इस संबंध में बहुत बड़े कदम हमारी सरकार ने उठाए, करीब 10 हजार दुकानें सरकार की तरफ से आवश्यक वस्तुएं वितरित करने के लिए खोली गईं जिसमें से 40 प्रतिशत कोआपरेटिव सेक्टर में, अब बढ़कर 50 प्रतिशत के आसपास कोआपरेटिव सेक्टर में चलाने की व्यवस्था की है। लेकिन को-आपरेटिव सेक्टर और तेजी से काम करे और 100 परसेंट दुकानें कोआपरेटिव सेक्टर में हों तब जाकर हम कह सकते हैं कि इसमें भी जो खराबियां हैं वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स की वजह से वह न हों और समाजवादी कार्य-

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

क्रम के जरिए तमाम पिछड़े शोषित और दबे हुए लोगों को इससे लाभ पहुँचे, इस प्रकार के हमारे प्रयत्न होने चाहिए तभी जाकर डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम को इम्प्ली-मेंट कर सकेंगे। हमारी सरकार कोआपरे-टिव सेक्टर में इन बची हुई दुकानों को लेने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेगी जिससे हम जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा सकें। जो प्राइवेट डीलर्स होते हैं उनमें बहुत खराबियां हैं, हम रोज अखबारों को देखते हैं किसी का चालान होता है, सजा होती है, किसी की जमानत जब्त होती है, यह समाप्त होना चाहिए।

अन्य चीजें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेन्सीज के जरिए ठीक तरह से उपलब्ध करायें, जैसे केरोसीन, सीमेंट, कपड़ा, खाद आदि जो आज तक लोगों को आपात्-स्थिति से पूर्व ठीक से नहीं मिल पाती थी आपात् स्थिति के बाद में हमारे प्रशासन ने व्यव-स्थाएँ ठीक करने की कोशिश की और अब निश्चित तौर से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरह से चल रहा है। ऐसी चीजें ज्यादा मात्रा में उन लोगों को पहुंचा सकें ताकि लोगों के दिल व दिमाग में संतोष पैदा कर सकें, ऐसी व्यवस्था करनी है।

दूसरे जो कार्यक्रम हैं उस संबंध में भी हमारे संगठन और सरकार ने व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने की कोशिश की है। हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है जमीन की। हमने 1955 में टेनेन्सी कानून बनाया था जिसमें लाखों लोगों को खातेदारी अधिकार दिए। उसके बाद मे जागीरदारों की जागीरी को समाप्त करके, किसानों को खातेदार बनाकर उनके एवज में काश्तकारों से मुआवजा नहीं दिलाया बल्कि सरकार ने 50 करोड़ रुपये का मुआवजा देकर खातेदारी किसानों को दिलाने की व्यवस्था की। इस प्रकार की प्रक्रिया हिन्दुस्तान में किसी भी प्रांत में नहीं हुई, यह निश्चित तौर से स्वागत योग्य कदम है।

हमने जमीन पर सीलिंग लगाने की कोशिश की। 1966 में सीलिंग कानून को लागू करने की व्यवस्था की और उसके जरिए 30 स्टैंडर्ड एकड़ तय करके लोगों की 30 एकड़ से ज्यादा की जमीन को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। यह कानून प्रोसेस में ही था कि बहुत से लोग हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ रिट्स में चले गए। इसलिए इस कानून को जल्दी से जल्दी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। मगर उसके बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर नए तरीके से विचारधारा चली और निर्णय हुआ कि हमें 30 स्टैंडर्ड एकड़ के बजाय एक ऐसी सीमा कायम करनी चाहिए जो तमाम राज्यों में एक जैसी हो और उसके आधार पर हमने प्रदेश में 18 एकड़ जमीन सीलिंग में तय की और 1–1–73 से हमने प्रदेश में इसको लागू किया। उसके बाद पुराने सीलिंग कानून और नए सीलिंग कानून के तहत हमने एक्शन लिया और निश्चित तौर से दोनों कानूनों के तहत 5 लाख एकड़ के आसपास भूमि राज्य सरकार को मिली है। यह खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने 1–1।। लाख एकड़ जमीन बांट दी है, बकाया जमीन वह अपने कब्जे में ले रही है और जल्दी से जल्दी बाकी जमीन को गरीब शेड्यूल्ड कास्ट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बांटने

Page No 43

(43)

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

की इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि करीब 40 हजार के आसपास मुकदमे सीलिंग कानून में थे जिनमें से 32 हजार निपटा दिए है और 8 हजार के आसपास मुकदमें बाकी रहे हैं। इस संबंध में सरकार काफी सक्रिय है। उन्होंने नए नए अधिकारी नियुक्त किए हैं और जल्दी से जल्दी प्रयास किए जायेंगे कि 1976 से पहले सीलिंग के तमाम मामले निपटाये जायें और सरकार तमाम जमीन अपने हाथ में ले ले जो सीलिंग में आनी चाहिए और 1976 तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में बांटी जाए जो इस जमीन के अधिकारी हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस प्रकार के प्रयास कर रही है जिससे लोगों को राहत मिले। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कदम पहले भी हमारी राज्य सरकार ने काफी अर्से पहले उठाये थे जिसमें राजा-महाराजाओं के खिलाफ कदम उठाये थे पर उसमें जो कमियां थीं उनको दूर करके अब और मजबूती के साथ इन राजा-महाराजाओं के खिलाफ हमारी सरकार कदम उठाने जा रही है। पहले हम इन राजा-महाराजाओं के खिलाफ में पूरी कार्यवाही जनहित में इसलिये नहीं कर सके थे कि यह राजा महाराजा लोग बड़े पैसे वाले थे और जो राज्य सरकार ने कानून बनाये थे उनके खिलाफ में हाई कोर्ट में चले गये थे और इस कारण से इसमें सात-आठ साल तक राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकी लेकिन अब राज्य सरकार ने उन पुराने कानूनों में तब्दीलियां कर दी हैं जिससे काफी गरीब तबके और हमारे यहां के पिछड़े वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब उन तमाम राजा-महाराजाओं की जमीन को सीलिंग के तहत राज्य सरकार अपने कब्जे में ले रही है और अभी तक हमारी राज्य सरकार ने राजा-महाराजाओं की 20 हजार एकड़ जमीन सीलिंग के तहत ले ली है और बकाया जो इन राजा-महाराजाओं के पास जमीन हैं वह भी अपने कब्जे में लेकर हमारे यहां के जो गरीब भाई हैं उनमें बांटने की व्यवस्था करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की जो यह कार्यवाही है वह निश्चित ही स्वागत योग्य है। इससे जो हमारे यहां गरीब तबके के लोग हैं उन्हें खेती करने के लिये जमीन मिलेगी और इससे हमारे यहां पर देश में एक नया वातावरण बनेगा हमारे देश के लोगों में खुशहाली बढ़ेगी, गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा व हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन राजा-महाराजाओं के पास अभी भी सीलिंग कानून लागू होने के बाद भी हजारों एकड़ जमीन पड़ी है उसे भी लेना चाहिये, क्योंकि आज हमारे देश में सभी बराबर हैं और जब हमारी सरकार ने 18 एकड़ जमीन सीलिंग के तहत सीमा बना दी है तो फिर क्या कारण है कि इन राजा-महाराजाओं के पास हजारों-लाखों एकड़ जमीन पड़ी रहे। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि अब भी जिन राजा-महाराजाओं के पास जमीन हजारों एकड़ पड़ी है राज्य सरकार को चाहिये कि उसको अपने कब्जे में लेकर हमारे गरीब तबके के लोग हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं,

Page No 44

(44)

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

उन्हें दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी इन राजा-महाराजाओं के पास और इन बड़े बड़े जागीरदारों के पास काफी बड़े बड़े फार्म हैं और इन्होंने अपने महलों के अन्दर काफी जमीन घेर रखी है। बड़ी बड़ी एस्टेट बना रखी है उसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि उनको जब्त किया जाना चाहिये और वह जमीन हमारे यहां के जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनमें बांटी जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि हमारी राज्य सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है उसके लिये मेरा अनुरोध है कि उन्हें जल्दी से जल्दी एक्वायर करके गरीबों में बांटा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में करीब आठ लाख एकड़ जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में बांटी है लेकिन मेरी यह निश्चित मान्यता है कि अभी भी काफी जमीन ऐसी है उनमें से जो नाम तो उनके बोलती है लेकिन वह उनके कब्जे में नहीं है हमारे देश के जो सवर्ण लोग हैं उन्होंने जो गरीब और बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं जिनके नाम जमीन अलॉट की गयी थी वह इन बड़े बड़े जागीरदारों ने और इन राजा-महाराजाओं व धनी वर्ग के लोगों ने अपने यहां पर रहन रखाली थी या अपने ही कब्जे में रख रखी थी या उन राजा-महाराजाओं ने उनसे खरीद कर ली थी। उसके लिये हमारे टेनेन्सी एक्ट में जैसा कि दिया हुआ है वह शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ही दिया जाना चाहिये या जिनके नाम जो कि भूमिहीन थे उन्हें ही दी जानी चाहिये। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों ने जो नाजायज जमीन दाब कर अपने कब्जे में चाहे रहन के रूप में या खरीद के रूप में अपने पास रखी है वह उनसे वापिस ली जाये वह जमीन उन गरीब वर्ग के लोगों में बांट कर उन्हें दी जाय जिससे कि गरीब वर्ग के लोगों को राहत मिले। इसके लिये मैं राज्य सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इसके लिये कदम उठाने बहुत जरूरी हैं जिससे कि जो हमारी राज्य सरकार गरीब वर्ग के लोगों को राहत देना चाहती है वह दे सके, और गरीब वर्ग के लोग उस जमीन पर खेती करके अपने बाल-बच्चों का पेट भर सकें। इसके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि अपने यहां के जो राजस्व अधिकारी हैं उन्हें इसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने की हिदायत दें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार ने एक और कदम उठाया है जो कि स्वागत योग्य है। अभी पिछले साल जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे कर रखे थे और उनको सरकारी जमीन से बेदखल किया गया है और अब भी जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है उनको वहां से बेदखल करके उस जमीन को राज्य सरकार को चाहिये कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स, गरीब व बैकवर्ड क्लास के लोगों में बांटनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो वहां यह लोग जबरन कब्जा किये हुए हैं और लठ्ठ लिये हुए बैठे हैं। आपने तो जमीन उन लोगों को अलॉट

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

करदी पर वहां पर लोग उनको जाने नहीं देते हैं। वहां पर लट्ठ और तलवार लिये बैठे रहते हैं जिनके डर के मारे यह बेचारे गरीब वर्ग के लोग वहां पर नहीं जाते हैं। तो राज्य सरकार को इसके लिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिससे गरीब वर्ग के लोगों को जो जमीन अलाॅट की हुई है वह उन्हें मिल सके। इसके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि इस संबंध में उन गरीब लोगों के हाथ मजबूत करने के लिये ऐसे इन्तजाम रेवेन्यू अधिकारियों की तरफ से करायें, पुलिस वगैरह को उन लोगों के साथ भेजकर उन जमीनों का पजेशन दिलाना चाहिये जिससे कि गरीब लोग उन जमीनों का पजेशन लेकर खेती वगैरह करके अपने परिवार वालों का पेट पाल सकें।

मैं इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां राजस्थान में कुछ ऐसे जिले भी हैं, जहां पर जमीन अब एलाॅट करने के लिये सरकारी जमीन नहीं है तो उसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि सरकार ऐसे आदेश देवे कि जिससे गांवों में जो चरागाह की जमीन है या जंगल है ऐसी जमीन जिससे कि जंगलों को भी नुकसान नहीं हो वह लेकर हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल ट्राईब के लोगों में आबंटित की जाये। यह कदम अगर राज्य सरकार उठाये तो काफी स्वागत योग्य होगा। हमारे राजस्थान के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सीलिंग के अन्तर्गत जो जमीन नहीं आती है तो उसके लिये चारागाहों की जमीनों को लेकर गरीबों में बांटने की कार्यवाही को तेजी से लागू किया जाना चाहिये जिससे कि गरीब लोग अपनी रोटी–रोजी कमा सकें।

इसके अलावा राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्थायें भी की हैं जिससे कि जिन गरीब तबके के लोगों को जमीन मिलेगी उनको सहकारी समितियां बनाकर उन्हें सहकारी बैंकों के माध्यम से कर्ज दिलाकर उन्हें सभी प्रकार से सुविधायें दी जायेंगी जिससे कि उन लोगों को बीज व खाद वगैरह खरीदने में दिक्कत नहीं आयेगी और वह अपना उत्पादन बढ़ा सकेंगे। इससे न केवल उनकी आर्थिक हालत ही सुधरेगी बल्कि देश का उत्पादन भी बढ़ेगा। मैं राज्य सरकार के इस प्रकार के कदम को स्वागत योग्य मानता हूं और राज्य सरकार से यह अनुरोध करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इनको तेजी से लागू किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय है कि देश के प्रत्येक काश्तकार को चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो सभी काश्तकारों को कोआॅपरेटिव के मेम्बर बनाये जायं और उन्हें हर प्रकार का ऋण दिया जाय और जो जो भी उनको आवश्यकतायें हैं उन्हें उपलब्ध कराई जायं। मैं राजस्व मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो भी जमीन के कानून में कमियां है उन्हें दूर किया जाए और तेजी से इन कार्यक्रमों को लागू किया जाय। हमारी सरकार ने ऐसे भी कदम उठाये हैं कि हमारे यहां पर काश्तकारों को पास बुकें बांटी हुई हैं जिससे उनको यह पता लगता है कि उनके पास कितनी जमीन है। उस प्रकार की पास बुकें जो अभी नई जमीन शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लोगों को एलाट हुई है, उनको भी जल्दी से जल्दी दी जानी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

चाहिये। जिससे कि उन लोगों को पटवारियों के पास चक्कर नहीं काटना पड़े और काश्तकारों को उन पास बुकों के जरिये ही दूसरी फेसीलिटीज दी जानी चाहिये। अगर आप इस प्रकार की सहूलियत हमारे यहां के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो गरीब तबके के है, उन्हें राहत देंगे इनके जरिये तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के गरीब लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस प्रकार की व्यवस्था होना एक माने में बहुत बड़ा कदम होगा।

इस तरीके से हम अपने इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने बाउन्डेड लेबर के सम्बन्ध में कदम उठाया, 200 के आस-पास लोगों को पकड़ा जो जबरदस्ती से मजदूरी करवाते थे और ऐसे व्यक्तियों से करवाते थे जिनको पैसा देकर केवल ब्याज के रूप में काम पर लगाया था। लिखा पढ़ी भी है। भारत सरकार ने कानून बनाया और राजस्थान सरकार ने भी इस संबंध में कानून बनाया। इस प्रकार के कार्य को सरकार ने उस कानून के अंतर्गत काग्नीजिबल आफेन्स बनाया। पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ सकेगी और उसको तीन साल तक की सजा दे सकेगी। पिछड़े और शोषित लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। वे लोग कर्जदारी में रहे। कर्जा उन पर बाप-बेटे, पोते से लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता आया है। हमारी सरकार ने व्यवस्था की है वह स्वागत योग्य है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार इसके लिये सख्ती से कदम उठा रही है और मेरी यह मान्यता है कि जिस तरह से व्यवस्था की जा रही है, जन-प्रतिनिधियों को मिला कर और सरकारी अधिकारियों को मिला कर, इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करेंगे तो आने वाले समय में इस प्रकार की अव्यवस्थाएँ नहीं रहेंगी। हमारे प्रदेश में और हमारे देश में। इस प्रकार के कार्य किये जाने चाहिये और वह स्वागत योग्य हैं।

एक बहुत बड़ा कदम भारत सरकार ने और हमारी प्रधान मंत्रीजी ने उठाया है। बहुत बड़ा काम है। बहुत कम जनता के पास जमीन है। 63 परसेन्ट लोगों के पास 19 परसेन्ट जमीन है और 37 परसेन्ट लोगों के पास 81 परसेन्ट जमीन है। इस पर भी बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं। सीलिंग के कानून के बाद इसमें कमी आवेगी लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं राजस्थान में और अन्य प्रान्तों में भी बेनामी ट्रान्सफर करके बचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर बड़े पैमाने पर अव्यवस्थायें की गयी हैं। बेनामी ट्रान्सफर किये गये हैं वे जल्दी से जल्दी समाप्त हों और उस जमीन को सरकारी कब्जे में लेकर सख्ती से कार्यवाही करें। इस प्रकार की व्यवस्थायें हमें हमारे इस प्रदेश में करनी पड़ेंगी। इसके लिये हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सरकारी अधिकारियों को हमें सजग करना पड़ेगा। पार्टी और उन तमाम विचारधाराओं के लोगों को जो इस प्रकार के कदम उठाने के पक्ष में हैं उनको साथ लेकर इस प्रकार की प्रक्रिया को हम दूर कर सकेंगे। बहुत तरह की फोर्जरी हैं। दीगर तरीके से काम किये गये हैं। ऐसी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जिससे बेनामी ट्रान्सफर प्रदेश में हुए हैं उनको चैक कर के उस प्रकार की जमीन जो ट्रान्सफर हुई है उस तरीके से उन शोषित और पीड़ित लोगों में बांट सकें

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जिनकी आर्थिक उन्नति और तरक्की चाहते हैं, उस काम काज में काफी काम काज और कदम उठाये गये हैं और आगे भी सरकार उठायेगी, तो मेरी निश्चित मान्यता है कि सीलिंग के बारे में जितने भी कदम उठाने थे वे आप उठा चुके अब एक यही कदम बाकी है जो कि आपको उठाना है। यदि आप ने यह कदम उठाया तो निश्चित रूप से आप किसी भी व्यक्ति को बिना जमीन के नहीं रख सकेंगे जो कि अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार के कदम हमको उठाने हैं।

आपने ऋण-मुक्ति का एक बहुत बड़ा कदम हाथ में लिया है। एक साल के लिये मोरेटोरियम भी इश्यू कर दिया है कि एक साल में ऋण की वसूली नहीं होगी। लेकिन वसूली रोकने से ही सब कुछ नहीं हो जावेगा। यह स्वागत योग्य तो है। लेकिन इसके लिये कानून बनना चाहिये। यह भी मैं जानता हूँ कि वह कानून भी आ रहा है। असेम्बली में रखा गया है और पास भी होगा और भी व्यवस्था करनी होगी। केवल कानून बन जाने से ही इम्पलीमेन्ट नहीं हो जाता है। आप गांवों में जाकर देखें तो लठैत लोग हैं जिन्होंने लोगों से कर्जा वसूल कर लिया है। 70 परसेन्ट लोग अशिक्षित हैं उनमें किस प्रकार प्रसार और प्रचार कर सकें तब जाकर सारी ही व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। सब लोगों को इसके लिये मिल कर काम करना पड़ेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करना होगा। ऐसे कार्यकर्ता जो देश से शोषण को समाप्त करना चाहते हैं उनको आगे आना पड़ेगा और गांव-गांव पहुँच कर लोगों को इस कानून की जानकारी दे सकेंगे और लोगों को समझा सकेंगे तब ही काम चलेगा। कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि ऋण-मुक्ति में आप एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस काम को आपको करना चाहिये।

मैंने आंकड़े देखे हैं। 50 करोड़ शोर्ट टर्म लोन देंगे, 10 करोड़ मीडियम टर्म लोन देंगे और 10 करोड़ लॉग टर्म लोन देंगे। इसको प्रदेश के अनुपात में देखना चाहिये। सब को ऋण-मुक्त करने के लिए 500 करोड़ रुपया चाहिये। यदि 500 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव्ज को नहीं देंगे तो उन भाईयों को ऋण-मुक्त नहीं कर सकेंगे उनको आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेंगे जिनको ऋण-मुक्त करना चाहते हैं। वरना तो वही प्रक्रिया चलती रहेगी जो चोरी छिपे चलती आयी है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में विशेष रूप से रिजर्व बैंक या अन्य अधिकारियों से या फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से बात करके ऋण-मुक्त करने के लिए कोऑपरेटिव को या अन्य व्यवस्था, जो भी भारत सरकार करना चाहे, वह करें और इस काम को वह कर सकें। आपने रूरल बैंक्स खोले हैं। पांच बैंकों की शाखा तमाम प्रदेशों में बनेगी। एक शाखा हमारे प्रदेश में भी खुलेगी उनके जरिये से हमारे रूरल पापुलेशन को ज्यादा लाभान्वित करना चाहते हैं। लेकिन आज जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उस तरीके से हम नहीं समझ सकते कि ऋण-मुक्ति का कार्य सम्पन्न हो

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

सकता है। दो लाख टर्न ओवर हुआ है। प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। तेजी से हो और ऋण-मुक्ति के आन्दोलन को तेजी से किया जाय जिससे शोषित और पीड़ित लोगों की सहायता कर सकें। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बैंक काम कर रहे हैं उनका सहयोग लेना चाहिये। आज जो हालत है उसी तरीके से सहयोग लेते रहें तो ऋण-मुक्ति का प्रश्न हल नहीं कर सकेंगे जो कि हमारी मन्शा है।

आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से देश की जनता ने बैंकों की पूंजी को बढ़ाया है। पिछले वर्षों में कितने-कितने बड़े डिपोजिट्स बैंकों में हुए हैं। उन हालात को देखते हुए जो बैंक गरीब लोगों को कर्जा दे रहे हैं वह बहुत कम तादाद में हैं। उतना नहीं मिल रहा है उनको, जितना कि मिलना चाहिये। इसलिए इस ओर मजबूती से कदम उठाने चाहिये। भारत सरकार के फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने और अन्य मिनिस्टर साहबान ने बराबर कहा है जिस प्रकार इन बैंकों के सैक्टर के लोगों को काम करना चाहिये वह नहीं हो रहा है। इसलिए सामूहिक रूप से यह प्रयत्न किया जाना चाहिए, अगर हम गरीबों को ऋण-मुक्त करना चाहते हैं, गरीबों को शोषण से छुड़ाना चाहते हैं तो चाहे बैंक का सैक्टर हो या अन्य कोई व्यवस्था हो उनको मजबूत बनाना है।

आज भूमि विकास बैंकों को भी कुछ सहूलियतें देनी चाहिए। आज उनमें बड़े पेचीदा कानून है। 6-6 महीने तक काम करें तब भी कर्जा नहीं मिलता है। अगर एक गरीब किसान को खाद लाने के लिए पैसा चाहिए, बीज लाने के लिए पैसा चाहिए या अन्य काश्त की चीजों के लिए पैसा चाहिए और अगर उसको 6-6 महीने कर्ज मिलने में लग जाय तो निश्चित रूप से उस प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं समझता हूं इन कठिनाइयों को समझते हुए भूमि विकास बैंकों में ऐसी सहूलियतें कराई जायं कि शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को फार्म भरते ही 15-20 दिन में कर्जा मिल जाय तभी हम गरीब भाईयों की सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार की सहूलियतें हमें करनी चाहिए।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह कार्यक्रम बहुत उत्तम है, हमारे गांव के बहुत पिछड़े हुए लोग हैं जिनके बाप-दादों को ब्याज देते सारा समय बीत गया, जिनके बेटों को ब्याज देते सारा समय बीत गया और जिनके पोतों को ब्याज देते सारा समय बीत गया बराबर पीढ़ी दर पीढ़ी उनके सिर पर कर्जा चलता आ रहा है उनको मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी है। गांवों में आपको इस बात को भी देखना है कि कोई भी आदमी बोन्डेड लेबर रखेंगे तो उसको सजा मिलेगी इसी प्रकार क्रिमनल रूप में या जबरदस्ती ऋण को वसूल करें तो उसके लिए भी कोई कानूनी प्रावधान हो सके तभी जाकर हम इस ऋण-मुक्ति से उन्हें आजाद करा सकेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था भी हमको करनी आवश्यक है। मैं समझता हूं अगर इसको करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ हमारे राज्य के लोगों को मिलेगा।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम कोआॅपरेटिव ने उठाया है। जो गांव के लोग थे और जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग थे उन्होंने गांव के लोगों को कोआॅपरेटिव के मेम्बर नहीं बनाये और मेम्बर नहीं बनने की वजह से उनको कर्जा नहीं मिल सकता है, उनको और दूसरी सहूलियतें नहीं मिल सकती हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। अब हमारी सरकार ने कदम उठाया है कि 1/3 मेम्बर होने चाहिये। पहले यह हो रहा था कि अपने घर के मेम्बर को ही अध्यक्ष बना दिया, अपने घर के मेम्बर को मंत्री बना दिया, अपने घर के मेम्बर को ही कोषाध्यक्ष बना दिया। इस प्रकार परिवार के दो–चार लोगों ने मिल कर कोआॅपरेटिव बना ली और बैंक से पैसा लेकर अपने काम में ले लिया। उन लोगों से पिण्ड छुड़ाने के लिये यह उचित कदम है। ऋण वितरण में भी उनको 1/3 मिलना चाहिये लाॅग टर्म में आपने 1/4 किया है, मैं समझता हूं और बढ़ाया जाय तो ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन जो सरकार ने किया है वह स्वागत योग्य है। ऋण मुक्ति में और पिछड़े हुये शोषित लोगों के लिये बहुत बड़ा कदम है जिसका निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की उन्नति के लिये दो कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको बहुत मुस्तैदी से आगे बढ़ाना है। हमारी सरकार कुछ कर भी रही है इर्रीगेशन एक ऐसा मसला है जिसके जरिये हमारे प्रदेश की उन्नति के चार चांद लग सकते हैं और प्रदेश का उत्पादन तेजी से आगे बढ़ सकता है। 50 लाख हैक्टेयर का टार्गेट हमारी भारत सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम में रखा है। 8 लाख हैक्टेयर की इर्रीगेशन की भूमि हमारे यहां आती है उसमें हम कितना कर पाये हैं, हमारी निश्चित तौर से क्षमता बहुत है। राजस्थान केनाल को पूरा कर दें तो टारगेट पूरा कर सकते हैं, इसी प्रकार माही प्रोजेक्ट को पूरा कर दें तो टार्गेट प्राप्त हो सकते हैं। झालावाड़, भरतपुर, अलवर, जयपुर, टोंक इनमें ऐसे प्रोजेक्ट पड़े हुये हैं जिनको हाथ में लें तो बहुत बड़ी धरती को सिंचित कर सकते हैं और प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हाथ में नहीं लिये हैं उनको हाथ में लें तो निश्चित रूप से हम आर्थिक उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिये इस प्रकार के कदम उठाने चाहिये। अभी एक डेढ़ लाख एकरेज के इर्रीगेशन के साधन हमारी सरकार ने बढ़ाये हैं। किस प्रकार ज्यादा पानी दिया जा सकता है उस प्रकार की व्यवस्था की है जिससे डेढ़ लाख एकड़ को पिलाई इन साधनों से कर सकें, लेकिन जो नये–नये प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी जल्दी हाथ में लेकर पूरा करना चाहिये ताकि हम टार्गेट जल्दी ही प्राप्त कर सकें और उन प्रोजेक्ट्स से कई और भी उन्नति के काम कर सकते हैं। इन जिलों के बारे में जो मैंने निवेदन किया एक–एक प्रोजेक्ट भी एक-एक जिले में पूरा हो जाय तो निश्चित रूप से उन जिलों की काफी तरक्की हो सकती है। इसलिये इन प्रोजेक्ट्स को हमें हाथ में लेना चाहिये।

इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये भी हमारी सरकार ने अभी 6740 गांवों को बिजली दी है और 90 हजार कुएं इलेक्ट्रिफाई किये हैं और इसके 25 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं,

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कुल 89 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को प्रायोरिटी देने की तथा मिनिमम चार्ज न लेने की जो बात आपने कही है वह भी स्वागत योग्य है। मगर मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन-जिन जिलों में ज्यादा पोटेंशियलिटी है उनको इलेक्ट्रिफाई जल्दी करना चाहिये ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। !

हमें इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य करनी है और उसके साथ आपके महकमें में जो बिजली देने में, इलेक्ट्रिक देने में जो अड़चनें हैं उनको भी दूर करना है। हालांकि आपने काफी इंजीनियर्स को पकड़ा है और 18–19 इंजीनियर्स के खिलाफ एक्शन लिया है लेकिन हमको और भी ज्यादा सख्ती से काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह बढ़ने वाला डिपार्टमेंट है जितना काम करेंगे उतना ही यह डिपार्टमेंट बढ़ेगा इसलिये इसमें व्यवस्था अच्छी होनी चाहिये। आप प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन इसको और भी सक्रिय करने के लिये और ठीक प्रकार आगे बढ़ाने के लिये अभी और काम करना है ताकि हम बिजली विभाग के कर्मचारियों को सक्रिय करके आम लोगों में काम करने के लिए प्रोत्साहन दें ताकि आम लोगों की भी दिक्कतें दूर हों और देश का उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उनके आर्थिक हालात ठीक होंगे। हम समझते हैं कि राजस्थान प्रदेश जो पिछड़ा हुआ है उसमें बिजली के काम को तेजी से बढ़ायेंगे तो और काम भी तेजी से बढ़ सकेंगे।

इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने कुछ कदम और भी उठाये हैं जैसे आपने देखा होगा हाउस साइट प्लाट एलॉट करने के बारे में कदम उठाये हैं। पिछले नरोरा कैम्प में इस प्रकार के डाइरेक्शन्स दिये गये थे। गरीब लोगों को हाउस साइट देने का 74-75 में कदम उठाया है और हमने गरीबों को हाउस साइट्स प्लाट अलॉट किये हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में दो लाख अलॉट करने की बात है और भी हमारा प्रोसेस जारी है। हम चाहते हैं हमारे राजस्थान में भी कोई आदमी ऐसा न हो जिसको हम हाउस साइट, प्लॉट न दे सकें एक कदम और स्वागत योग्य किया गया है और वह यह है कि शहरी क्षेत्र में वीकर सेक्शन को भी हाऊस साइट, प्लाट अलॉट किये जायं। अभी तक आपने उन लोगों को पट्टे दिये हैं जिनका 20–20, 40–40 साल से जमीन पर वास्तविक कब्जा है, उन लोगों को आपने काउन एक्ट के तहत पट्टे दिये हैं। वीकर सेक्शन चाहे कितने बड़े शहरों में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे उदयपुर में हो, चाहे जोधपुर में हो, हर जगह जो वीकर सेक्शन है, भारत सरकार ने उनके लिये 2400) रु. तय किये हैं मगर यह शहरी क्षेत्र के लिये उचित नहीं है, इसको बढ़ाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को हम हाउस साइट अलॉट कर सकें जो कि लोग पैसा खर्च करके प्लाट नहीं ले सकते हैं और इस प्रकार के लोगों को हाउस साइट देकर उनकी आर्थिक उन्नति के लिए हम काम करें और ऐसे लोगों के लिए भी हमें सहायता करनी चाहिए कि जिन लोगों ने हाउस साइट बना ली कहीं पंचायतें थीं, कहीं अन्य प्रकार की संस्थायें थीं और जिनसे लोगों ने प्लाट लेकर मकान बना लिये

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

वहां भी उनको रेगुलेराइजेशन के लिए जो रेट तय की हैं उस प्रकार की रेट्स हम वीकर सेक्शन के लोगों के ऊपर नहीं लगाए और उनको ऐसी रियायतें दें कि जिस प्रकार की दूसरे लोगों को देना चाहते हैं निश्चित रूप से शहरी क्षेत्रों में भी जो वीकर सेक्शन आते हैं चाहे वह शिड्यूल्ड कास्टस् के हों या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हों या माइनोरेटी के लोग हों या अन्य प्रकार के लोग हों, उस प्रकार के लोगों को हाउस साइट दिये जाने चाहिए ताकि उसके जरिये से हम अपने गरीब भाइयों को शोषण से बचा सकेंगे और उनको विश्वास दिला सकेंगे कि सरकार उनकी तरक्की के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए काम कर रही है और इस कदम से बहुत बड़े पैमाने पर गरीब लोगों में हमारा विश्वास जमेगा जिससे हम अपने प्रदेश की और देश की व्यवस्था को, डेमोक्रेसी को, और समाजवादी व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने में योगदान कर सकते हैं। इस तरह से करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने ऐसे कदम उठाने की कई दफा घोषणा की है और आने वाले समय में सरकारी क्षेत्र के अन्दर बड़े पैमाने पर हाथ में लेकर इन व्यवस्थाओं को पूरा करने में अपना योगदान करेंगे।

इसके बाद में और भी कुछ कदम सरकार के द्वारा उठाये गये हैं। आपने देखा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर मजदूरों को मैनेजमेन्ट पार्टीसिपेशन के संबंध में प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने भी अपने कल कारखानों में और बहुत सी जगह, पार्टीसिपेशन का हक मजदूरों को दिया है और मजदूरों के क्वान्टिटी पार्टीसिपेशन की बात की है। जो सरकारी कारखाने हैं उनमें लेबर को अपना हिस्सा मिल सके इस प्रकार की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए।

निजी क्षेत्रों में यहां ही नहीं बल्कि बाहर भी बहुत सी जगह ऐसी व्यवस्थायें नहीं की गयी हैं। मैं समझता हूं कि हमारे श्रम मंत्रीजी, हमारी सरकार और भारत सरकार सब मिल कर इस निजी क्षेत्र में भी लेबर को पार्टीसिपेशन जल्दी से जल्दी मिले, मैनेजमेन्ट में हिस्सा मिले जिससे उसके जरिये से प्रोडक्शन बढ़े और नाजायज फायदा उठाकर जो लोग धन और सम्पत्ति संग्रह करने की बात करते हैं, दो नम्बर का पैसा कमाते हैं–ऐसे लोगों को छूट मिलती है उनको अब आगे बढ़ावा नहीं मिले–ऐसी व्यवस्था हमको करनी चाहिए। इस संबंध में एक्शन सरकार जल्दी से जल्दी ले और मैनेजमेन्ट में हिस्सा मजदूरों को दिलाये। इनका सहयोग लेकर देश के प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहयोग लें। इस तरह से हमें कोशिश करनी है।

कई तरह के आर्थिक अपराध हैं। उनके लिए सरकार ने कुछ किया है। हमने लॉ डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने बताया कि 40 ऐसी कचहरियां कायम की हैं जिनमें आर्थिक अपराधों की सुनवाई जल्दी हो ऐसा कदम सरकार ने उठाया है। निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है, लेकिन आर्थिक अपराध चाहे सेल्स टैक्स का हो, चाहे इन्कम टैक्स का हो, चाहे प्रापर्टी को छुपाने की बात हो या लाकर्स में छिपे हुए धन की

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बात हो हमें सबको देखना चाहिए। पार्लियामेन्ट के इसी सेशन में अरबन सीलिंग के कानून को रखा जायेगा। मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्थायें जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। आज हमारे देश में बहुत से पूंजीपति लोग बड़े पैमाने पर जमीन और जायदादें खरीद कर के नाजायज तरीके से फायदा उठाते हैं और गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं और नाजायज तरीके से और किराये के तरीकों से कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं यह सब, उपाध्यक्ष महोदय, आप से छिपा हुआ नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सब को खतम करने के लिये हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जब सरकार ने जमीनों पर लैंड सीलिंग लागू कर दी है तो अरबन सीलिंग भी लागू करना चाहिए जिससे हम ऐसे लोगों को समाप्त कर सकें जो कि शोषण करते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी है। इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि किन–किन लोगों ने कितनी-कितनी प्रापर्टी इकट्ठी कर ली है। आज बड़े-बड़े शहरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तलाशियां हो रही हैं। किस प्रकार का फर्नीचर है, किस प्रकार की सजावट की गई है और जो अन्य कीमती सामान हैं उनको रख कर उनकी हैसियत से ज्यादा पैसा लगाया उन्होंने अपनी रिटर्न्स से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया है उनकी जानकारी ली जाकर जो एक्शन लिया जा रहा है उस तरीके से यह सारे कामकाज किये जा रहे हैं–यह स्वागत योग्य है लेकिन मैं समझता हूं कि इन कामकाजों को और भी तेजी के साथ किया जाना चाहिए ताकि उस प्रकार के लोगों के खिलाफ हम सख्ती से कार्यवाही कर सकें कि जो लोग इस तरह आज तक बचे हुए हैं। आज आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फटे चिथड़ों को पहने हुए थे और आज उनके पास भी लाखों रुपयों की सम्पत्ति है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे कौन–कौन लोग हैं जिन्होंने अपने तहखानों में धन कमा कर रखा हुआ है। इसलिए पूरी जानकारी करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को भी सजग होना है और सरकारी मशीनरी को भी सजगता से काम करना है जिससे छिपा हुआ धन हम बाहर निकलवा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वागत योग्य बात है कि हमारी सरकार ने छिपे हुए धन को बताने के लिए जिस प्रकार की मियाद रखी थी 31 दिसम्बर उससे हमें यह ख्याल नहीं था कि इतना छिपा हुआ धन सामने आयेगा। इस प्रकार की मियाद देने से हमारे सामने 14।। अरब का छिपा धन सामने आया है। हम समझते थे कि 40–45 करोड़ से ज्यादा नहीं आयेगा और ऐसा अधिकारी बताते थे। मगर इस समय जिस प्रकार की लोगों के अन्दर भावना थी और उस भावना के तहत में 14।। अरब रुपया हमारे सामने आया है। यह स्वागत योग्य है लेकिन अब भी छिपा हुआ धन काफी है। यही धन नहीं है। अब भी बहुत धन है और उसको निकलवाने के लिए सक्रिय रूप से हमको काम करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से जब तक सारा धन नहीं निकलेगा हम जिस प्रकार से देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करना चाहते हैं वह नहीं कर सकेंगे। हमारे यहां महंगाई कम हुई है, कीमतें कम हुई हैं, मुद्रास्फीति कम हुई है,

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

लेकिन ज्योंहि इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई आई कि वह काला धन वापिस सामने आयेगा और उसकी वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ेगी इसलिए हमको एक साथ इस तरह की व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आये और उसका लाभ चन्द लोग नहीं उठा सकें।·······ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस संबंध में भी हमको विशेष रूप से ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है और उसके लिए हमको काम करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि जैसा एडमिनिस्ट्रेशन आज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन बनाये रखें तो हमारी जो इच्छाएं हैं खराबियों को दूर करने की, समाज में से शोषण की व्यवस्था को दूर करने की उसको हम दूर कर पायेंगे और उसकी वजह से हम लाखों और करोड़ों गरीबों को इन सारी चीजों से मुक्ति दिला पायेंगे।

इस तरीके से एम्पलायमेंट के सम्बन्ध में जो कार्यक्रम हमारी सरकार ने हाथ में लिए हैं और जो बिजली पानी के जरिये से नये-नये कल कारखाने लगने चाहिए उनमें हैंडलूम का भी काम है। उस हैंडलूम के बारे में हमारी सरकार ने बोर्ड बनाया है। इस बोर्ड के बन जाने से हैंडलूम का कामकाज बहुत तेजी से हमारे प्रदेश में चलेगा और उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरी बहुत बड़ी मान्यता है कि इस हैंडलूम के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर चलाया जाय तो निश्चित तौर से गांव के क्षेत्र के लोगों की, शहरी क्षेत्र के पिछड़े और शोषित लोगों की ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर कर सकेंगे। खादी और ग्रामोद्योग में जिस तरह से लाखों लोग काम करते हैं उसी प्रकार से इस हैंडलूम के काम से भी लाखों लोगों को काम दे सकते हैं। मगर एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और हमारी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से शोषण खादी संस्थाओं में होता है, कतनियों को एक रुपया, डेढ रुपया रोज मजदूरी देते हैं, उस तरह से हैंडलूम के कामकाज में नहीं होना चाहिए। आपने मिनिमम वेज तय किया है जिसके अनुसार मिनिमम वेज कम से कम मिलना चाहिए, उसी प्रकार से हैंडलूम के अन्दर भी यह व्यवस्था की जानी चाहिए। मगर आप यह व्यवस्था कर देते हैं तो इससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सकेगा और प्रदेश में यह काम काफी आगे बढ़ सकेगा और जिससे करोड़ों लोगों को इससे रोजगार मिल सकेगा।

एप्रेंटिसशिप में 1300 आदमियों को आपने लगाया है। इस बारे में और ज्यादा कोशिश की जानी चाहिए जिससे कि और लोगों को काम पर लगाया जा सके। हालांकि आपकी कैपेसिटि आपने पूरी कर ली है मगर ज्यों-ज्यों कल कारखाने बढ़ेंगे, एप्रेंटिसशिप में यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को काम पर लगा सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुलेंगे तो उसमें लगाया जाएगा और लोगों को उनकी रोजी–रोटी के कमाने के सम्बन्ध में विशेष तौर पर प्रयास किया जाएगा, ऐसी मुझे आशा है।

आपने भ्रष्टाचार मिटाने के सम्बन्ध में काफी बड़े पैमाने पर काम किया है। आपने

Page No 54

(54)

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

उन्नीस सौ के आस पास कर्मचारियों को रिटायर किया है, जिन लोगों का सर्विस रिकार्ड खराब था, कामकाज ठीक नहीं था जिनके कामकाज के बारे में भयंकर आरोप थे उनको नौकरी से बाहर निकाला है। मगर आपसे मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी बहुत से लोग रह गये हैं जिनकी एन्ट्रीज ठीक नहीं है। अधिकारियों की चापलूसी करने की वजह से उनकी जो रोल हैं, उस रोल्स में उस प्रकार के हालात नहीं लिखे गए हैं। इसलिए हमको ऐसी एजेंसी कायम करना चाहिए जिसके जरिये से हम उन अधिकारियों के बारे में जानकारी कर सकें कि कौन ठीक काम करता है और कौन ठीक काम नहीं कर रहा है। मगर इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ हम कार्यवाही करते हैं कि निश्चित तौर से हम प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं उस प्रकार का वातावरण बना सकेंगे और भ्रष्टाचार के बारे में जो विरोधी दल के लोग तो नारे के रूप में कहा करते थे कि हम भ्रष्टाचार को मिटा कर जनता को राहत देंगे लेकिन हम निश्चित रूप से जनता को राहत दिलाने के लिए यह काम कर रहे हैं और हमने काम किया भी है और हम आगे आने वाले समय में और ज्यादा मुस्तैदी से काम करना चाहते हैं तो इसके लिए एक निश्चित योजना, प्लान हो। जिसकी वजह से हम इस भ्रष्टाचार को मिटा कर क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन इस देश की जनता को और हमारे प्रदेश की जनता को दे सकें, इस प्रकार की एजेंसी कायम करने के प्रश्न पर हमको विचार करना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि हमारी सरकार को ऐसी कोई एजेंसी कायम करना चाहिए जिससे कि यह सारी व्यवस्था के बारे में जानकारी हो और उस आधार पर हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी व्यवस्था अपने लोगों को दे सकें क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दे सकें।

एक कार्यक्रम स्टूडेंट्स के सम्बन्ध में भी आपने दिया है और उस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी सरकार ने और हमारी देश की जनता ने, हमारे देश की काफी जनता ने योगदान किया है। मैं स्वयं कई गांवों में गया हूं, कई स्थानों पर गया हूं, छोटे से छोटे प्राईमरी स्कूल में, मिडिल स्कूलों में, सेकेण्डरी स्कूलों में कालेजेज में, वहां पर वहां के विद्यार्थियों ने, वहां के अध्यापकों ने गांव के लोगों ने सबने मिल कर इस बुक बैंक की स्थापना करने में योगदान किया है और बहुत से स्थानों पर ये बुक बैंक कायम हो चुके हैं और जहां पर अभी तक नहीं हुए हैं वहां पर किए जाने चाहिए जिसके सम्बन्ध में हमारी सरकार काफी कोशिश कर रही है और हम समझते हैं कि यह बुक बैंक स्थापित होंगे तो उन तमाम गरीब लड़कों को जो किताबें नहीं खरीद सकते वे इस व्यवस्था से फायदा उठा सकेंगे। हमें इस बारे में हर प्रकार की व्यवस्था करनी है बुक बैंक स्थापित करने की जिससे गरीब बच्चों को किताबें मुफ्त में मिल सके और वे पढ़ाई कर सकें और इस प्रदेश की आर्थिक उन्नति में योगदान कर सकें।

डिस्ट्रिब्यूशन के काम काज के सम्बन्ध में भी तमाम कालेजों में इस प्रकार के डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर कायम करने हैं कोआॅप-

Page No 55

55

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

रेटिव सेक्टर के जरिए से जिससे कि जनता को, स्टुडेंट्स को, जीवन की आवश्यक वस्तुएं मिल सकें। किताबें, कापियां नेशनलाइज्ड बुक्स के जरिये से, इन सेंटर्स के जरिये से, कोआपरेटिव सोसायटीज के जरिये में उनको मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि जिससे सस्ते भावों पर यह सारी चीजें, किताबें और कापियां और जीवन के लिए आवश्यक चीजें ठीक प्रकार से उपलब्ध हो सकें। इस प्रकार के कामकाज को हमने किया है लेकिन अभी तक जहां पर इस बात की कमी है और जो करनी है उनको जल्दी से जल्दी किया जाय ताकि तमाम बच्चों को यह जो सहूलियतें हैं वह ठीक प्रकार से दे सकें। हमें इस प्रकार की कोशिश करनी चाहिए।

हमारा प्रदेश शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लड़कों को पढ़ाने में भी कहीं पीछे नहीं है। बहुत से प्रांतों से काफी आगे हैं। हमारे यहां पर करीब 318 होस्टल्स हैं जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग पढ़ते हैं, करीब 1100 स्टुडेन्ट्स पढ़ते हैं। इस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को पढ़ाने में जिस प्रकार की कोशिश की है वह एक स्वागत योग्य कार्य है। मैं समझता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को और भी सुविधा देने के लिए और भी होस्टल्स हों, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ाई जावे और उस मिकदार में जैसे कि 28 पर्सेन्ट जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की पापुलेशन के हिसाब से हमने नौकरियों में भी उनका रिजर्वेशन किया है, उसी प्रकार का पर्सेन्टेज ध्यान में रख कर उसी प्रकार का पर्सेन्टेज स्टुडेंट्स का भी होना चाहिए। उसी प्रकार से उतने ही होस्टल्स कायम होने चाहिए तभी जाकर वे बराबर में आ सकेंगे। हमने शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को पूरी तौर पर अपने बराबर आने का हक दे दिया है और उससे उनको लाभ मिलेगा।

मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और सेकेण्डरी स्कूल भी हमने इस साल खोले हैं इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद है। इस प्रदेश के काफी लोग जो पढ़ते नहीं थे। उन लोगों को आपने पढ़ाने की कोशिश की है जो गांवों में पढ़ते नहीं थे। 15 से 15 साल तक के बच्चे या छोटे बच्चे जो दूसरे काम करते हैं, दिन में जानवर चराते हैं, खेतों में काम करते हैं वे शाम के टाइम में पढ़ सकते हैं। आपने इसके लिए तीन सौ सेंटर कायम किये हैं और तीन सौ एडल्ट सेंटर भी कायम किए हैं। इस प्रकार के सेंटर्स को ठीक तरह से चलाने से मेरी निश्चित तौर से मान्यता है कि इसके जरिये से अपने एजुकेशन का जो पर्सेन्टेज है उस प्रकार के पर्सेन्टेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमको इस काम-काज को भी आगे बढ़ाना है।

इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी जो करीब 19000 यूनिट काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस तरीके के काम काज को भी हमें आगे ज्यादा बढ़ाना है जिससे हमारे प्रदेश का इण्डस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ सके और इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।

ए. आर. सी. स्कीम्स हैं, इसके जरिये से हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में जल का

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

सर्वेक्षण करवा कर वहां के लोगों को ट्यूबवेल बना कर और उससे इरींगेशन फैसेलिटी दे सकते हैं। इस प्रकार का सर्वे आपने करवाया है, मैं समझता हूं कि इस स्कीम को इम्पलीमेंट करने के बारे में जल्दी से जल्दी कदम उठायें ताकि ए. आर. सी. स्कीम के जरिये से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकें।

एस.एफ.डी.ए. और एम.एफ.ए.एल. प्रोग्राम हमारे किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और जिन स्थानों पर यह प्रोग्राम चालू किया गया है वहां के काश्तकारों को इससे लाभ मिला है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा जिलों के अन्दर शुरू करें तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लाभ मिल सकता है। मगर यह प्रोग्राम केवल पांच जिलों में चल रहा है जिसमें हमारे यहां पर एम.एफ.ए.एल. योजना का काम चल रहा है और इन चार जिलों में भी दुर्भाग्य से मेरा भीलवाड़ा जिला आधा जिला है और आधे जिले में ही यह काम चल रहा है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह आधे जिले में...

श्री रघुनाथ विश्नोई: आपके लिए तो पूरा राजस्थान ही है क्योंकि आप अध्यक्ष हैं राजस्थान के।

श्री गिरधारीलाल व्यास: मैं तो एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई: With particular reference.

श्री गिरधारीलाल व्यास: मैं निवेदन कर रहा हूं कि एम. एफ. ए. एल. का काम भीलवाड़ा के आधे जिले में ही चल रहा है, दो सब-डिविजन वाली हैं। जिनमें एक माननीय मूलचन्दजी का क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है, माननीय नाहर साहब का है, और भी कई एम. एल. एज. हैं उनके बारे में निवेदन कर रहा हूं कि एम. एफ. ए. एल. का कार्यक्रम भीलवाड़ा के आधे और जिले में भी लागू करवाया जाय ताकि जिले की जनता को लाभ मिल सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई: पूरे भीलवाड़ा में कर दिया जावे।

श्री गिरधारीलाल व्यास: मैंने पहले ही कह दिया था सब जगहों के लिए, खास तौर से भीलवाड़ा के बारे में निवेदन किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और मेरे मतलब की बात कहना चाहता हूं। डी.पी.ए.पी. का कार्यक्रम हमारे दस जिलों में चल रहा है और मेरी तरफ दो जिले में। मेरी कांस्टीट्यूएन्सी के एक तरफ अजमेर जिला है और दूसरी तरफ उदयपुर जिला है। उदयपुर जिले में भी डी.पी.ए.पी. का कार्यक्रम और दूसरी तरफ अजमेर जिले में भी यह कार्यक्रम लागू है और मेरी कांस्टीट्यूएंसी दोनों के बीच में। वहां का एकसा वातावरण, एकसा, एटमॉसफियर एक सा वायुमण्डल, जमीन पथरीली सब जगह, मगर उस मेरे क्षेत्र को वंचित रख दिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह डी.पी.ए.पी. का कामकाज आसींद तहसील में भी रखा जाय ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो.....

श्री गुरदयालसिंह संधु : यह शिकायत तो हमको होनी चाहिये। आपको कैसे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुझे क्यों जोश दिखाते हो ? मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा।

हमारे यहां पर एक कार्यक्रम अच्छा चला है। मैं समझता हूं कि इसकी वजह से राजस्थान के गरीब किसानों को बड़ा लाभ होगा। डेयरी का काम 6 जिलों के अन्दर चालू किया गया है। यह निश्चित तौर से स्वागत योग्य है। यह पूर्वी 6 जिलों में है और पश्चिम के जोधपुर और बीकानेर जिलों में भी यह चालू की गयी है । यह जो डेयरी का काम हमारे प्रदेश में चालू किया गया है, इसके लिये मेरी यह निश्चित मान्यता है कि डेयरी के काम से हम इन जिलों का विकास कर पाएंगे और इसी पैमाने पर सारे राजस्थान का विकास हमें करना चाहिये। आप जानते हैं, राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा लोग जानवर पालते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। उनको आर्थिक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उनके खेती के काम के साथ कोई सब्सीडियरी काम न हो, और यह काम पशु पालने का ही हो सकता है। इसलिए हमारा एनीमल हस्बेन्डरी विभाग अच्छे जानवर प्राप्त करें जो ज्यादा से ज्यादा दूध दें, ऐसी नस्ल का लावे जिससे दूध का अधिक उत्पादन हो ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसलिए एस. एफ. डी. एम. एफ. एल, डेयरी, एनीमल हस्बेन्डरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन तमाम योजनाओं को मिलाकर ऐसी योजना तैयार करना चाहिये जिससे आर्थिक तौर पर हम अपने किसानों को लाभान्वित कर सकें। डेयरी के कामकाज को हमारी सरकार को मुस्तैदी के साथ बढ़ाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रही है, भारत सरकार से मदद लेने की कोशिश करनी चाहिए और अपने पास में जो कुछ पूंजी है, उसको भी लगा कर इस डेयरी के काम काज को, जानवरों की नस्ल को सुधारने के काम को बड़े पैमाने पर करना चाहिए तो निश्चित तौर से इस प्रदेश की जनता को लाभ होगा। इस तौर-तरीके से हमारे यहां पर बड़ा काम हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस काम से हमारे लोगों को लाभ मिलेगा।

इसके अतिरिक्त डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड और ट्राइबल डेवलपमेंट बोर्ड भी आपने स्थापित किए हैं। डेजर्ट डेवलपमेंट का कार्यक्रम हमारे हित में है। हमारा प्रदेश एक डेजर्ट है। अगर हम ने इस डेजर्ट से छुटकारा नहीं पाया तो पिछड़े रह जाएंगे। इस डेजर्ट से छुटकारा दिलाने के लिए राजस्थान कैनाल एक बड़ा काम कर रही है परन्तु उसके साथ-साथ दूसरे काम-काज को भी हमें बढ़ाना चाहिये। जैसे जानवरों की नस्ल सुधारना, फारेस्ट लगाना, चरागाहों की उन्नति करना, यह जो कार्यक्रम इसके अंतर्गत लिए गए हैं, ये सब डेजर्ट डेवलपमेन्ट से सम्बन्ध रखते हैं इन कार्यक्रमों को जल्दी से लेना चाहिये ताकि इन जिलों का विकास हो सके।

डेजर्ट के साथ साथ मैं माननीय देवपुराजी से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेजर्ट डेवलपमेन्ट का काम तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि उस क्षेत्र में बिजली आप न पहुंचा दें। बिजली का

Page No 58

(58)

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

वहां पर जल्दी ले जाना अत्यन्त आवश्यक है और क्योंकि उसके जरिए से ही अन्डर ग्राउन्ड वाटर को निकाल कर ज्यादा से ज्यादा हरियाली को डेजर्ट में फैला सकते हैं। इसलिए डेजर्ट डेवलपमेन्ट के जो भी कार्यक्रम हम हाथ में लें उनको जल्दी से जल्दी करें और सब से पहले बिजली को वहां पर पहुंचावें तो डेजर्ट डेवलपमेन्ट का कार्यक्रम पूरा हो सकता है।

हमारे प्रदेश में पीने के पानी की भी समस्या है। दो सौ करोड़ रुपया हमारे पास में हो तब निश्चित तौर से हम अपने प्रदेश में पीने के पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। परन्तु साधन इतने नहीं है। साधन हमारे सीमित हैं इसलिए पहले हमें डेजर्ट क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिये ताकि उसके जरिये हम तमाम गांवों को पीने का पानी मुहैया कर सकें। हमारी सरकार ने चूरू और बीकानेर की तरफ ऐसी योजनाएं हाथ में ली हैं। यह वहां की परम आवश्यकता है। इससे वहां के प्यासे लोगों को पानी पीने को मिल सकेगा। इस प्रकार से अगर सरकार पीने का पानी मुहैया कर सके तो निश्चित तौर से हमारा यह एक बड़ा कार्यक्रम होगा और इससे हम अपने प्रदेश के लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकेंगे।

एक मेरा निवेदन और है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां पर लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन अच्छी है। मगर जिन ऐजेन्सियों, संस्थाओं के ऊपर भारत सरकार ने पाबन्दियां लगायी हैं, उस प्रकार के लोग आज भी हमारी सरकारी नौकरियों में हैं, बैठे हुए हैं। वे आज भी शाखाएं लगाते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो छिपे तौर पर पर्चे बांटते हैं, काम काज करते हैं। जैसे आपने आदर्श विद्या मंदिर पर पाबंदी लगायी है, ऐसे ही आर. एस. एस. द्वारा संचालित कई स्कूल हैं इनको भी आप बंद करने की कोशिश करें। इस प्रकार इन संस्थाओं के लोग सरकारी नौकरियों में हैं, उनको भी निकाला जाना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था, कार्यवाही के लिए मैं आपका आह्वान करता हूं। जिस तरीके से अन्य क्षेत्रों में काफी तेजी के साथ आपने कार्य किया है, उसी प्रकार इस के अन्दर भी आप करेंगे।

इसके अलावा हमारे कई कामकाज हैं जिनके सम्बन्ध में मैं अगर बोलूं तो दो-तीन घंटे और लग जाएंगे। इसलिए इन तमाम बातों का समर्थन करता हुआ और माननीय राज्यपाल महोदय ने यहां पधार कर जो अभिभाषण दिया है, जिसके सम्बन्ध में मैंने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मुझे उम्मीद है कि उस धन्यवाद के प्रस्ताव का आप सर्वसम्मति से समर्थन करेंगे।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय श्री व्यास जी ने देश के राजनीतिक हालात, और हमारे इस प्रदेश के अन्दर जो बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम हैं, उसकी प्रगति के बारे में काफी विस्तार से यहां पर प्रकाश डाला है। मैं समझता हूं कि देश के जो राजनीतिक हालात हैं, उनके बारे में समय समय पर हमारे देश की प्रधान-

(श्री फूलचन्द जैन)

मंत्रीजी ने काफी विस्तार से प्रकाश डाला है। इस संदर्भ में यह चिन्तन करने की आवश्यकता है आज यह जो हालात हैं, उन हालातों के ऊपर किस प्रकार से काबू पाकर के इस देश को आगे ले जा सकते हैं। दरअसल में इस देश को जब राजनीतिक आजादी प्राप्त हुई थी तो उसके बाद योजनाबद्ध विकास के जरिए इस देश का निर्माण करने का काम हमारे देश के नेताओं ने और कांग्रेस संगठन ने शुरू किया। उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे यह सब कहने की आवश्यकता नहीं है कि योजनाबद्ध विकास के द्वारा इस देश का जैसा निर्माण हम करना चाहते थे, उस सारे कार्यक्रम के अन्दर किस प्रकार से समय समय पर इस देश के विरोधी दलों ने जनता को गुमराह करने की चेष्टा की और हर क्षण अपनी ओर से जितना भी संभव हो सका बाधाएं, रोड़ा डालने की कोशिश की। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि इस देश के विकास के क्रम को वे नहीं रोक सके और मैं तो यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार कांग्रेस ने इस देश को आजाद किया वैसे ही इस देश को अब आर्थिक, सामाजिक आजादी दिलाने का काम कांग्रेस के जिम्मे है, और हम अपने देश की प्रधानमंत्री की रहनुमायी में यह कर रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं, कोई माने न माने, इस देश की जनता कांग्रेस है और कांग्रेस इस देश की जनता है। कांग्रेस को हम देश से अलग नहीं कर सकते, और यह देश कांग्रेस से अलग नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि ईश्वर की कृपा से जितने भी महापुरुष इस देश में पैदा हुए, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, इस देश का निर्माण किया, उन सबने कांग्रेस के अन्तर्गत ही काम किया और आज भी ईश्वर की कृपा से इस संकट के समय और इस देश की आजादी के बाद, देश को आर्थिक, सामाजिक आजादी प्राप्त कराने का काम कांग्रेस की रहनुमायी में हमारे देश की प्रधानमंत्री कर रही हैं। विरोधी दलों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितने आदर्श महापुरुष उन्होंने इस देश के लिए अपने संगठनों से दिए हैं, देश के सामने रखे हैं, यह वे स्वयं सोचें और बतावें। यह अलग बात है कि वे अपने देश से बाहर कभी चीन जाकर माओ त्से तुंग से प्रेरणा लेते हैं, और कभी जर्मनी के हिटलर से प्रेरणा लेते हैं और उस आधार पर हिन्दुस्तान का नक्शा बनाना चाहते हैं, इनके बारे में विस्तार से कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं परन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि विरोधी दलों की जो स्थिति आज इस देश के अन्दर बनी है, मैं समझता हूं कि उनको अब विरोधी दल इस देश के अन्दर कहा जाय अब इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि न उनके पास कोई ऐसी संगठन-शक्ति है, न कोई देश को बनाने का नक्शा है, न कोई कार्यक्रम है, और न जन-मानस को अपनी तरफ खींचने का अब तक कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे ऐसा लगता हो कि अलग-अलग दलों के जितने भी पुरुष हुए हैं और जिस किसी भी दल के हुए हों उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता के सामने कोई कार्य करके उसको अपनी तरफ खींचा हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि विरोधी दलों में आज उतना

(श्री फूलचन्द जैन)

करने की आवश्यकता नहीं है जितना कि इस प्रकार के संगठनों से है जो अब भी अन्दर-अन्दर इस प्रकार की षडयन्त्रकारी गतिविधियां चला रहे हैं और जिनको प्रेरणा कहीं से मिलती हो, वह इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं, मुझे कोई विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यह निश्चित है कि जैसे राजनैतिक आजादी के अन्दर हमारे सामने विदेशी ताकतों ने और देश के निहित स्वार्थों के वर्ग के लोगों ने जो कुछ भी सम्भव हो सकता था उन्होंने बाधाएं डालने और रोड़े अटकाने की कोशिश की, उसी तरह से आर्थिक और सामाजिक आजादी के अन्दर चाहे अमेरिका हो, चाहे वह चीन हो, चाहे वह देश के निहित स्वार्थों के व्यक्ति हों, वह जिस प्रकार से अपनी पूरी ताकत से इस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे है, और यह नहीं चाहते कि इस देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सही ढंग से निर्मित हो सके और देश खुशहाल बन सके, उनसे हमें निरन्तर लड़ते रहना पड़ेगा। इसलिए इस देश में उन ताकतों से हम लड़ें और सफल होकर इस देश के अन्दर अपने आपको आगे बढ़ाते जायं। इसके लिए प्रधान मन्त्रीजी ने आपातकालीन स्थिति के बाद से यह बीस सूत्री कार्यक्रम हमारे सामने रखा है। मैं इसको आर्थिक कार्यक्रम नहीं कहता। मैंने जैसा कि अभी कहा कि आर्थिक और सामाजिक आजादी इस मुल्क को मिले इसके लिए एक जंग उन्होंने छेड़ा है। और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी जिस बहादुरी से आज वे निपटा रही हैं और देश की जनता ने भी यह बता दिया कि वे किसी के द्वारा भी गुमराह होने की स्थिति में आज नहीं है। तो अब प्रश्न यह रह जाता है कि हम इस देश के अन्दर किस प्रकार से हमारे इस देश में जो गरीबी और जो बेकारी और दूसरी ऐसी समस्याएं हैं, इस देश में जो पिछड़ापन है उनको दूर करने के लिए जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम ठीक तरह से पूरा करें। इस संदर्भ में राजस्थान का जब मैं विचार करता हूं, क्योंकि इस आर्थिक कार्यक्रम की बहुत ज्यादा अहमियत इस प्रदेश के लिए इसलिए है कि इसको पिछड़ा हुआ प्रदेश कहा जाता है, और मैं यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार से आजकी राजनैतिक हालात के अन्दर और इस कार्यक्रम की आवश्यकता और सार्वजनिक स्थिति के अन्दर हमको इस देश के अन्दर मजबूत नेतृत्व मिले वहां जब यह अवसर आया तो इस प्रदेश को, राजस्थान को हम एक आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर अच्छा राजस्थान बना सकें तो यदि मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमें एक मजबूत मुख्य मंत्री मिला है, जो कि इन सारे कार्यक्रमों को मजबूती से आज चला रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर काफी विस्तार से हमारे इस बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जा चुका है, परन्तु फिर भी कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं वह उन लोगों को जिनके अन्दर आज भी या तो समझ नहीं है या जिनका दिमाग ठस है और बुद्धि भ्रमित है उन लोगों को समझने की आवश्यकता है। अगर वे इस मुल्क के अन्दर आज भी नहीं चेतते हैं तो कब चेतेंगे? सी. पी. एम. के भाई अभी परमेश्वर अवर के

(श्री फूलचन्द जैन)

अन्दर यह कह रहे थे कि यह आपातकालीन स्थिति नहीं है गुण्डागर्दी को बढ़ावा है, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, हैरान हुआ क्योंकि राजनैतिक आजादी के संघर्ष में जब हम लड़ रहे थे उस समय से मैं उनसे परिचित हूं, मैं कुछ समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य का दिमाग अब क्या हो गया है? वह इसलिए यह कहते हैं कि हम गरीबों की भलाई करना चाहते हैं, वह इसलिए यह कहते हैं कि हम हरिजनों की भलाई करना चाहते हैं, वह इसलिए यह कहते हैं कि हम कमजोर वर्ग की भलाई करना चाहते हैं, वह इसलिए यह कहते हैं कि हम समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं? जो कुछ इस प्रदेश के अन्दर किया गया या किया जा रहा है वह क्या इस बात की ओर इंगित नहीं करता है तो फिर उनका कौनसा समाजवाद हैं? कोई निराला समाजवाद होगा। यह एक हकीकत है कि राजस्थान को यह गौरव प्राप्त है कि राजस्थान के अन्दर एक भी हरिजन, एक भी शिड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति और कहना चाहिए कि कमजोर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति जो देहातों के अन्दर ऐसे बैठे हैं जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं हैं, उनके लिए यह काम किस मुस्तैदी से किया गया थोड़े से अर्से के अन्दर किया गया उसके लिए मैं जहां सर्विसेज की आलोचना कुछ हद तक करता हूं पर मैं यह कह सकता हूं कि जहां पर सरकार और संगठन ने इसके बारे में काम किया है वहां सर्विसेज ने भी बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, और कामयाबी से इस कार्यक्रम को पूरा किया है।

उसके बाद में आंकड़ों की सारी विगत में इस सदन को इसलिए नहीं ले जाना चाहता हूं कि उसकी विगत के बारे में समय-समय पर काफी विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है, परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि आज हरिजन वर्ग, आदिवासी, भील, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति, जो कमजोर वर्ग के और पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं उनमें से अगर कोई मिले और उनसे पूछें कि तुमको आजादी कब मिली तो वह यही कहेंगे कि हमको आजादी तो अब मिली है। दूसरी तरफ अब भी यह व्यक्ति चाहे वह सी. पी. एम. के हों, चाहे जनसंघ के हों, चाहे आर. एस. एस. के हों, वह छोटे-छोटे बच्चों को गुमराह करके जत्थे निकालते हैं, नारे लगवाते हैं कि हमको आपातकालीन स्थिति नहीं चाहिए, लोकतन्त्र बचाओ, यह काम अगर वह करें तो मेरी समझ में नहीं आता है कि उनका क्या इलाज किया जाना चाहिए? परन्तु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इन तत्वों के बारे में हमें नरमी का रुख नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि आज के इन हालात में भी यह ऐसा दुस्साहस कर सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि आज के इस वातावरण में कोई भी किसी प्रकार से वातावरण को दूषित करने की कोशिश करते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाय। मेरी अपनी यह मान्यता है कि उनको सख्ती से निपटा जाना चाहिए ताकि उनकी हिम्मत न हो कि आज भी इस प्रकार की हरकतें करें और इस प्रकार की दुश्चेष्टाएं न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर यह बताया गया है कि हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सारी दुनियां में इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से ब

Page No 62

(62)

(श्री फूलचन्द जैन)

...रहा है, और अमेरिका जैसा सम्पन्न राष्ट्र जिस पर काबू पाने में मुश्किल महसूस कर रहा है वहां पर इस देश में और इस प्रदेश में हमने उस पर काबू पाया है। मूल्यों में गिरावट हुई है। साथ ही उपलब्ध और वितरण की व्यवस्था में भी हमने सुधार करने की कोशिश की है ताकि आगे हमें फिर दुबारा इसी तरह की हालातों में होकर नहीं गुजरना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों से जबरन काम लेने की जो स्थिति थी उसको तत्काल गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। यह इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं और जो खेतिहर मजदूर हैं, उनका शोषण नहीं हो उनके लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित कर दी गई हैं। इससे कम कोई भी मजदूरी नहीं दे सकता है। इसी तरह से ग्रामीण और शहरी आवासीय व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं कि उसने नगर-पालिका मण्डलों में कमजोर वर्ग के लोगों को आवासीय भूमि आवण्टित करने का आदेश दिया है। वह स्वागत के योग्य है। क्योंकि इस देश में कमजोर वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है। उससे हम आंख फेर करके नहीं रह सकते हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि कमजोर वर्ग की जो परिभाषा की गयी है कि 2400 रु. से कम की आय का जो व्यक्ति हो, वह कमजोर वर्ग का माना गया है। मैं समझता हूं कि इसकी सीमा कुछ अधिक होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में और भी समस्याएं हैं जिनके अन्दर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आज ऐसे गांव हैं जो शहरों के नजदीक आते हैं और मास्टर प्लान के द्वारा जिनको शहरी सीमा में मिला दिया गया है। वहां पर पंचायतों के द्वारा उन्हें पट्टे दिये गये थे कृषि भूमि पर मकान बनाने के लिए और अब शहरी क्षेत्र में आ जाने की वजह से अगर हम उस वर्ग के लोगों को शहरी दर से ही नियमन करते हैं तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए लोगों को जो कमजोर वर्ग के हैं, उनको नियमन करने का विशेषतौर से ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उन पर अधिक भार नहीं पड़े। इसी प्रकार से बीस–बीस और पच्चीस–पच्चीस वर्ष से जो जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं, उनके पट्टे अगर नहीं भी हैं और वह कमजोर वर्ग के हैं, उस श्रेणी में आते हैं तो उन लोगों के लिए प्रशासन को स्पष्टरूप से निर्देश देने चाहिए कि उनको पट्टे दे दिये जायें। जैसे कि आपने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्टेट एक्ट के अन्दर 13 हजार पट्टे दिये हैं, उसी प्रकार से उनके मामले में भी सहानुभूतिपूर्वक ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से जहां पंचायतों में बिना भूमि के लोगों को प्रीमियम जमा करके कमजोर वर्ग को पट्टे दिये गये उसी प्रकार से जो भूमि शहर में मिल गई उन्हें भी न्यूनतम रेट पर भूमि का पट्टा दे देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कमजोर वर्ग को राहत पहुंचा सकते हैं। उनको राहत मिल सके इसके लिए हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। जहां ग्रामीण आवास के बारे में इस प्रदेश में करीब 8 लाख भू-खण्डों का आवण्टन किया गया, आज मैं समझता हूं कि यह एक साधारण काम नहीं है। तो यह हमारी जो दरें वगैरह जमीन की हैं जिसके मैं कह सकता हूं कि आर्थिक कार्यक्रम के द्वारा, सच्चाई और

(श्री फूलचन्द जैन)

ईमानदारी के द्वारा गरीब और पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस सन्दर्भ में जो शहरी कमजोर वर्ग हैं, उनको जो समस्यायें हैं, उनके प्रति भी मैं निश्चित तौर से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सन् 1971 के पहले जो कुछ भी कब्जे इस प्रकार के जो एक्शन्स किये गये थे, रेग्युलराइज करने के आदेश दिये परन्तु यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर, चरागाह की भूमि पर या जंगलात की भूमि पर 1971 के बाद मकान बना लिया है, वह भू-खण्ड जिनको आवण्टित कर रहे हैं, वह उस श्रेणी में आते हैं तो नियमन कर देना चाहिए। इसी प्रकार से जो कृषि श्रमिक और ग्रामीण कारीगर हैं, उन्होंने अगर ऐसी भूमि पर मकान बना लिए हैं, भले ही वह किसी प्रकार से बना लिए गये हैं, और अब बड़े जमींदार उनको हटाना चाहते हैं 90 ए के द्वारा, वह परेशानी में पड़ सकते हैं। उन पर राज्य सरकार सहानुभूति से विचार करें। और सहानुभूति से विचार करके उनको देना चाहिए। इस प्रकार से जो भी छोटे–मोटे मसले देखें, जो मैं समझता हूं कि हमारे इस अभियान के बावजूद भी ऐसे सामूहिक प्रश्न हैं जो बहुत बड़ी तादाद में देहाती जनता पर असर डालते हैं। तो उन पर भी अभियान के तौर पर सर्वेक्षण करा कर जो उचित निर्णय हो वह लेकर, इस दिशा में उनको मदद मिल सके, ऐसा करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि सुधार के बारे में अभी माननीय प्रस्तावक महोदय ने काफी प्रकाश डाला है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि भूमि सुधार के सम्बन्ध में राजस्थान को इस देश में अग्रणी रहने का सौभाग्य पहले भी प्राप्त हुआ है। आज भी भूमि सुधार की दिशा में हम जो कुछ बात करते हैं, पीछे हुई और आज भी, उनको पूरा करने में अग्रणी रहे हैं और रहेंगे।

और इसमें हमारी शान है और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आज भी जो प्रयत्न किये जा रहे हैं और इस दिशा को इंगित करते हैं कि हम भूमि सुधार के मामले में इस देश के अन्दर सबसे आगे रहना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में यानि भूमि सुधार, सिंचाई और उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन हो चाहे कृषि उत्पादन जहां पर यह सब हमारी आर्थिक सुदृढ़ता के लिए बहुत ही आवश्यक है वैसे ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और हमारी युवा पीढ़ी को एक सही दिशा देने के लिए, सही मायने में प्रशिक्षित करके, शिक्षित करके और इस देश के योग्य बनाने की दृष्टि से मैं शिक्षा के महत्व को किसी दृष्टि से कम मानकर नहीं चल सकता और इस देश में भी शिक्षा के क्षेत्र में सभी माननीय सदस्य को यह मालूम है कि कितनी तेज गति से और कितना ध्यान देकर राज्य सरकार इस शिक्षा के कार्य को कर रही है। सन् 1950-51 में 3.7 करोड़ का जहां सारे राजस्थान का शिक्षा का बजट था वहां आज 72 करोड़ से भी अधिक का बजट शिक्षा का है और शिक्षा के अन्दर समय-समय पर यहां की परिस्थितियों के अनुरूप जैसे परिवर्तनों की आवश्यकता है उसी तरह से हमारे यहां भी अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षकों का वोकेशनल कोर्स, आदि

(श्री फूलचन्द जैन)

वासी एवं जनजाति विकास योजना, ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान जो केन्द्रीय सरकार के सहयोग से तैयार किया गया है, यह सब कार्य शिक्षा के विकास के लिए किये जा रहे हैं इस प्लान के अन्तर्गत 1.50 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। तो यह इसी प्रकार से शिक्षा सेवा योजना, उच्च शिक्षा इन सब क्षेत्रों में मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, पर मैं यह कह सकता हूं कि शिक्षा के महत्व को जो जितना इसको माना जाना चाहिए उतना ध्यान में रखकर राज्य सरकार चल रही है, यह एक स्वागत योग्य कदम है और इस दिशा में जो बीससूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यार्थियों के सम्बन्ध में जो कार्यक्रम हमने इसमें दिये जिनके अन्तर्गत गरीब विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकें उनको स्टेशनरी भी मिले और जितनी भी खाद्यान्न की वस्तुएं हैं वे उनको रियायती दरों पर देने की व्यवस्था की जायगी और की जा रही है और इस दिशा में जो कुछ भी आंकड़े राज्य सरकार की ओर से इस राज्य की प्रगति के उपलब्ध हुए हैं, मैं यह कह सकता हूं कि हम इस देश के अन्दर इस कार्य की भावना के अनुरूप जिस प्रकार से हमें बढ़ना चाहिए वह हम बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के मैं यह कह सकता हूं कि आर्थिक कार्यक्रम जो कुछ भी आज राजस्थान के लिए और इस देश के लिये हमारे कांग्रेस संगठन ने और इस देश की नेता हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिया है उस दिशा में हम सही रूप से आगे बढ़ रहे हैं। परन्तु मैं यहां पर इस प्रोग्राम में; उपाध्यक्ष महोदय, यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जहां इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जितने कदम उठा सकते हैं, उतने कदम उठाये हैं, वहां अब इसके अन्दर कई ऐसे कार्य हैं जो नीचे के स्तर पर सही रूप में क्रियान्वित हों और उसी भावना के अनुरूप उन पर वहां के नीचे के स्तर पर अमल हो, यह जिम्मेदारी आज हम सब जनप्रतिनिधियों पर आ गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं प्रगति को, आर्थिक कार्यक्रम को, राजनैतिक हालतों की ओर उस सन्दर्भ में जो कुछ भी कांग्रेस ने देश के अन्दर किया है उस सबकी चर्चा करता हूं तो मैं यह भी सोचता हूं कि यह हमारे चर्चा करने का वक्त नहीं है, बल्कि यह है कि इन कार्यक्रमों में, देश की प्रगति में हमारा कितना योगदान हो सकता है यह चिन्तन का विषय है और जैसे कि राज्य सरकार ने जो भी कुछ कदम उठाये जाने चाहिये थे वह उठाये हैं तो अब यह जिम्मेदारी हम पर आ गई है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उनका नीचे के स्तर पर सही मायने में इम्पलीमेन्टेशन हो। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां इस देश के अन्दर हम अन्य कई बुराइयों से लड़ रहे हैं और हमको उनसे लड़ने की आवश्यकता है वहां पर, जैसा कि अभी विनोबाजी ने कहा था कि यह आपातकालीन स्थिति एक अनुशासन–पर्व है और इस मुल्क के अन्दर हम डिसिप्लीन पैदा कर सकें तो इससे बड़ा और कोई सामयिक अवसर हमारे लिये नहीं आ सकता। इसीलिए और दृष्टिकोण से मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि हमारी प्रधान मंत्री ने अभी चंडीगढ़ के अधिवेशन में कहा था कि जहां यह आपातकालीन स्थिति और यह सब

(श्री फूलचंद जैन)
कार्यक्रम जिस-जिस स्तर पर जो-जो जिम्मेदार हैं उन सबके लिये हैं और प्रत्येक कांग्रेस जन के लिये हैं, वहां आज यह समय आ रहा है कि जहां हम दूसरों को डिसिप्लीन का उपदेश दें वहां स्वयं भी सजग रहें। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस राजस्थान के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये इससे अधिक अनुकूल और समुचित अवसर नहीं हो सकता, और सौभाग्य से जब आज इस पूरे देश के अन्दर हमें वह अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं कि हम इस राजस्थान का नीचे के स्तर पर सही तरीके से निर्माण कर सकते हैं तो जितनी भी शक्ति हम लगा सकते हैं उतनी शक्ति लगाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से मैं यह महसूस कहता हूं और इसीलिए मैंने यह बात कही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात और इस अवसर पर कहे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि, फिर मुझे चंडीगढ़ में कहे गये हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के शब्द बार-बार याद आते हैं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ सैद्धान्तिक चर्चा ज्यादा करते हैं और वास्तव में क्या किया जाना चाहिए इस पर हम विशेष महत्व नहीं मानते और विशेष ध्यान नहीं देते और उससे भटकते-भटकते आज इस मुल्क के अन्दर जो कुछ भी हो रहा है, उसको हम दो शब्दों में प्रकट कर सकते हैं–प्रतिक्रियावादी या प्रगतिशील, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कुछ वैसे ज्यादा नहीं कहना चाहता पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमें इस बात की खुशी है कि प्रधान मन्त्री ने यह स्पष्ट कर दिया है, यह साफ कर दिया है कि जैसा हमारा समाजवाद है, भारतीय समाजवाद है अपना समाजवाद, जनता की भलाई के लिए जिस-जिस समय, जहां-जहां भी और जो-जो भी उपयुक्त समझते हैं जो इस देश की आवश्यकता है, वही हमारा समाजवाद है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात यह समझने के लिए प्रेरणा देती है कि हम बहुत बहुत ज्यादा सैद्धान्तिक चर्चा में न उलझ करके इस देश के छोटे-छोटे गांवों में, झोंपड़ियों में और जो आज, जिनसे इन सब चर्चाओं का कोई वास्ता नहीं है और जो 85 प्रतिशत से भी अधिक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी समस्याओं को अपनी समस्या बनाकर, उनकी आवाज को अपनी आवाज बनाकर, उनकी मुश्किलों को सिद्धान्त और नीति बनाकर कार्य करने का और सोचने का और मुल्क को एक ढंग से आगे बढ़ायें तो मेरा मानना है कि इस देश की प्रगति ज्यादा तेजी से, ज्यादा ताकत से और सही ढंग से कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इन शब्दों के साथ में अन्त में फिर बात बहुत स्पष्टतौर पर कहना चाहता हूं कि विरोधी दल भी अपना मानस, अच्छा है वह ठीक कर लें। विरोधी दल रचनात्मक तरीके से सोचें तो मैं समझता हूं कि उन्हें सहयोग हमें निश्चितरूप से देना पड़ेगा। अगर अपने लिमित और रिजर्व माइंड से देखें तो इसका दूसरे के पास कोई इलाज नहीं है। मैं चाहता हूं कि न सिर्फ कांग्रेसजन, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी अगर विरोधी दलों में है तो वे सारे स्टेटिस्टिक्स को जो कुछ

Page No 66

(66)

(श्री फूलचन्द जैन)

श्री राजस्थान में इस आपातकालीन स्थिति के बाद में प्रदेश की गरीब पिछड़ी हुई शोषित जनता के लिए किया गया है, जो राज्य सरकार ने किया है, उनकी ईमानदारी से यह तारीफ करें अगर उनके अन्दर एक भी अंश ईमानदारी का है। इस पर भी वे यदि नहीं करना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि वे राजस्थान की जनता के साथ में गद्दारी कर रहे हैं। नरम तो मैं हूं और गरम नहीं हो सकता तो सच्चाई से विमुख भी नहीं हो सकता मैं राज्य सरकार को और राजस्थान के सबल नेतृत्व को, मुख्य मंत्री जी को जहां बधाई देता हूं, वहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश का पिछड़ापन हमेशा के लिए खत्म होकर, यह हिन्दुस्थान का एक प्रगतिशील प्रांत बने, यह जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हम सब आप के साथ में हैं यह हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां पर रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

(अनुपस्थित)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत !

श्री गुरदयाल सिंह संधु : अपोजीशन की तरफ से भी बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो नाम भी नहीं है, रामानन्दजी का है।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : हक तो हमारा है। इनके बजाय तो हमको टाइम मिलना चाहिए, नहीं तो बैठने से कोई फायदा नहीं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि देश की आजादी के बाद, इन 27 साल के अन्दर, जिस प्रकार प्रतिक्रियावाद का ढिंढोरा इस देश में पीटा गया, राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजा महाराजा, बड़े-बड़े पूंजीपतियों और साम्प्रदायिक संगठनों ने राजस्थान को भी उस कुचक्र के अन्दर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यह सारा सदन जानता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में जिस प्रकार का वातावरण था, विद्यार्थी अपने आपको इस बात के लिए स्वतन्त्र समझ बैठे कि उनका पढ़ना आवश्यक नहीं है, बिना पढ़े परीक्षा में पास हो सकते हैं, विश्वविद्यालयों को हिंसात्मक आन्दोलन का प्रांगण बनाया गया। इसी प्रकार से फैक्ट्रीज में जहां उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता थी, वहां इस प्रकार का वातावरण बना कि अगर आंदोलन हुआ तो हमारा बोनस बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ाने से कोई देश की तरक्की हो या न हो, उसकी चिंता नहीं। इसी प्रकार हमारे सरकारी कार्यालयों में इस प्रकार का वातावरण था कि या तो विधान सभा सदस्य अगर किसी बात की सिफारिश करते तो उसको तरजीह दी जाती थी या भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर कोई सरकारी कर्मचारी की सेवा की होती तो उसको तरजीह दी जाती थी। पूरे देश में जिस प्रकार माहौल था सदन पूरी तरह से उससे वाकिफ है। इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिस बात का जिक्र किया गया, मैं समझता हूं, वह अपने

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

आप में महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार देश में अराजकता का वातावरण था जिसमें राजस्थान भी बहुत ही पीड़ित था। जहां पर हमारे राजस्थान के नागरिक जो कि आज तक बड़े राजा-महाराजा की गुलामी करते रहे, कभी नहीं ऊंचा उठ पाये, फिर बड़े-बड़े धन्ना सेठों ने राजस्थान को बढ़ने नहीं दिया, फिर राजनैतिक संगठन जिनका उद्देश्य है केवल जनता को गुमराह करना उन्होंने भी गरीब लोगों को ऊंचा उठने नहीं दिया, उसके कारण हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कोने-कोने में गरीब अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग आज भी दबे हुए हैं, हिमालय की कंदराओं में आदिवासी कुंठित हैं, 27 साल की आजादी के बाद भी उनकी हालत वैसी ही बनी हुई है। इसलिए प्रधानमंत्री ने इमर्जेन्सी लगाई, उसके बाद जो 20 सूत्री कार्यक्रम जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो उन्होंने दिया वह गौरवमय है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी उसी बात का जिक्र किया गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार ने अगर उन गरीब लोगों के आंसू पोंछने का काम किया है तो यह पहला अवसर है। जिस प्रकार से इस देश में अनुशासन आया, उत्पादन बढ़ रहा है, वहां उससे गरीब लोगों को सही मायने में सुविधा भी पहुंच रही है। जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी, राज्य सरकार ने खासतौर से मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री ने मिलकर इस प्रकार का वातावरण बनाया कि गरीब लोगों को जमीन मिले। उसके बाद उनको सही मायने में खूब मालकाना हक दिलायें ताकि वे भूमि को काम में ले सकें। राजस्थान की प्रशंसा हम आज इस सदन में करें तो कोई ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन राजस्थान की बात अखिल भारतीय अधिवेशन में जिस प्रकार चली कि किस तरह राजस्थान में भूमि एलाटमेंट का काम हुआ, तो यह गौरवमयी बात है और अलवर में इसकी मिसाल कई लोगों ने देखी है। राजस्थान में जिसकी खुद की जमीन नहीं है वह दूसरे के यहां काश्त करता था, फिर भी उसका फायदा गरीब आदमी को नहीं मिलता था। इसके साथ-साथ राजस्थान में खाली जमीन ही लोगों को नहीं मिली, उन गरीब लोगों को खेती करने के लिए भी प्लाट्स दिए यह एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे हमारे यहां के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको काफी राहत मिलेगी। लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि केवल ऐसी व्यवस्था कागजों में बना देने से ही कोई बात नहीं होगी। इसके लिये हमें देखना पड़ेगा कि इसका सही मायने में अमल हो रहा है या नहीं। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने राजस्थान सहकारी समितियों में गरीब तबके के लोगों के लिये व शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये यह फैसिलीटीज दी हैं उन्हें अर्जी देते ही मेम्बर मान लिया जायेगा। इसमें एक तिहाई रिजर्वेशन राजस्थान के सहकारी बैंकों में जो ऋण राशि है उनके लिये रिजर्व रखी गयी है ताकि इससे उन बैंकों से इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। वह लोग आटोमैटिक हो उसके मेम्बर बन जायेंगे। यह राजस्थान में ही सबसे पहली बार हमारे देश में किया गया है जिसका

Page No 68

(68)

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

अनुकरण हमारे यहां के दूसरे प्रान्तों में भी किया जाना चाहिये। यह राजस्थान के लिये एक गौरवमयी बात होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेसिलीटीज मिलनी चाहिये। हालांकि, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अपने आप में अच्छा कदम है पर केवल एक अच्छा कह देना ही पर्याप्त नहीं है इसके लिये हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि जिससे गरीब तबके का कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर यह भी कहा जाता है कि हमने हमारे यहां पर अमुक काम कर दिया, अमुक प्रकार के कार्य क्रम हमने गरीब तबके के लोगों के लिये बनाये हैं तो सिर्फ यह कह देने से कि अमुक कार्यक्रम या योजनायें हमने बनायीं, कह देने से काम चलने वाला नहीं है जब तक कि उसको आप प्रेक्टिकलरूप न दे दें। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर पिछले 5 महीनों में कोई भी स्ट्राइक किसी भी फैक्ट्री में नहीं हुई जिसके कारण हमारे यहां पर उत्पादन बढ़ा है यह एक गौरवमयी बात है। हमारे यहां पिछले 6 माह में स्ट्राइक्स नहीं होने के कारण हमारे यहां पर फैक्ट्रीज में ढाई लाख मैन ऑवर काम ज्यादा हुआ है यह हमारे देश की हमारी प्रधानमन्त्री की सूझबूझ के कारण जो इमरजेन्सी लगाई गई उसके कारण ही हुआ। इससे काफी उत्पादन बढ़ा है। पहले हम जो देखते थे कि जगह-जगह हड़तालें हो रही हैं और तालाबन्दी हो रही थी वह अब जयपुर में आपको कोई तालाबन्दी नहीं दिखी जिससे हमारे यहां का उत्पादन सवा गुना बढ़ गया है, और काफी राहत हमारे यहां के मजदूरों को मिली है। हमारी राज्य सरकार ने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये और भी कदम उठाये हैं। यह हमारे देश के प्रधान मन्त्री के आदेशों के अनुसार 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे हैं। इससे हमारे देश का मजदूर वर्ग लाभान्वित होगा। इसमें यह किया गया है कि मजदूरों को भी फैक्ट्रीज में लाभ के हिस्सेदार बनाया जाना चाहिये लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा ख्याल है उसका पूरा फायदा हमारे जो फैक्ट्रीज और इन्डस्ट्रीज के मालिक हैं जो धन्ना सेठ लोग हैं उन्होंने मजदूरों को जो वास्तविक लाभ देना चाहिये वह नहीं दिया है, क्योंकि आज हम जगह जगह ऐसा सुन रहे हैं कि इन्डस्ट्रीज में छंटनी की जा रही है और मजदूरों को परेशानी में डाला जा रहा है तो इसके लिये मैं राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके लिये चैकिंग किया जाना चाहिये। हमें यह देखने की जरूरत है कि कहीं पर मजदूरों के हितों की रक्षा में बाधा तो नहीं डाली जा रही है और अगर कोई बाधा मजदूरों की हितों में डाली जाती है तो हमें उनके खिलाफ में कार्यवाही करनी चाहिये। आज राजस्थान के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, जबसे हमारे देश में हमारी प्रधान मन्त्री ने अपनी सूझबूझ से इमरजेन्सी लगायी है तब से हमारे देश की जनता को काफी राहत पहुंची है जो हम हमेशा सुनते और देखते थे कि रात में हमारी मां-बहने बाहर नहीं निकल सकती थीं, चोरियां होती थीं और आये दिन लूटमार व गुण्डागर्दी होती थी वह अब समाप्त

श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

हो गयी है। यह हमारी देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की सुझबूझ की देन है अब गुण्डों को अन्दर कर दिया गया है जिससे जो गुण्डागर्दी की दहशत थी वह समाप्त हो गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। वैसे तो हमारी राज्य सरकार ने प्रशासन में कुशलता लाने के लिये भ्रष्ट और अकुशल कर्मचारियों को निकाला, उनमें कई आई.ए.एस. और बड़े अधिकारी व कर्मचारियों को निकाला गया है। इससे सरकारी काम में दक्षता तो बढ़ी है, भ्रष्टाचार में भी कमी आई और सरकारी कर्मचारियों में काफी दहशत पैदा हो गयी है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं कुछ और भी निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे राजस्थान में कई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो कि आनन्दमार्गी हैं या आर.एस.एस. के सदस्य हैं जो कि सरकार की टेबुलों के नीचे घुसे हुए हैं। उन्हें भी राज्य सरकार की नौकरियों से हटाने की आवश्यकता है। अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की महान नेता प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की जो मन्शा हमारे देश को ऊंचा उठाने की है वह पूरी नहीं हो सकेगी। इसलिये इन आनन्द मार्गियों के और आर. एस. एस. के जो लोग हैं और हमारी सरकार के कर्मचारी हैं उन्हें तुरन्त नौकरी से हटाया जाना चाहिये ताकि हमारा देश आगे बढ़ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात आपके माध्यम से और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी समय की पाबन्दी के लिये खुद ने जाकर जगह-जगह निरीक्षण किया है और सिर्फ सचिवालय में ही नहीं बल्कि जिला कार्यालयों में जाकर वहां के कार्यालयों के दरवाजे दस बजे ही बन्द करा दिये। इससे हमारे यहां के कर्मचारियों में काफी अनुशासन की भावना बढ़ी है, लेकिन मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इस कार्य को यहीं पर समाप्त नहीं कर देना चाहिये। इसके लिए मेरा आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से यह अनुरोध है हर मन्त्री जब कभी भी दौरे पर जावे तो वहां पर जिलाधीश के कार्यालय व दूसरे कार्यालयों का अचानक निरिक्षण करे ताकि लोगों में अनुशासन की भावना जाग्रत हो और काम में ढिलाई नहीं आये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर राज्य सरकार ने काफी भूमि सुधार किये हैं, उसमें हमारा प्रान्त देश में एक अनुकरणीय प्रान्त है। हमारे देश के अन्दर राजस्थान के भूमि सुधारों के बारे में काफी ऊंचा स्थान है। आज भी राजस्थान हमारे देश के बहुत से प्रान्तों से भूमि सुधारों के मामलों में अग्रणीय है, लेकिन इसमें भी जो हमारे राज्य सरकार ने भूमि सुधार के कानून बनायें हैं उन्हें सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। आज भी हमारे गंगानगर जिले में बड़े-बड़े चक फार्मर राजा महाराजाओं के मौजूद हैं। बीकानेर के महाराजा श्री करणीसिंह के गंगानगर में आज भी बहुत बड़े फार्म हैं जहां पर कई शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राईब्स के लोग काम करते हैं

Page No 70

(70)

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

आज पिछले चालीस साल से वहां पर लोग काम कर रहे हैं। और जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग वहां पर काम कर रहे हैं करीबन, उपाध्यक्ष महोदय; 40-50 से कम नहीं होंगे। आज इन बड़े बड़े अमीर लोगों ने इन्हीं गरीब तबके के लोगों की जमीन को अपने पास कब्जे कर रखी है। आज कई बेनामी ट्रांजेक्शन्स किये हुए लोग बैठे हैं उनको हटाकर गरीब तबके के लोगों में वह जमीन बांटी जानी चाहिये। इसके लिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह आगे आयें। मैं नहीं मान सकता कि माननीय सदस्यों की जानकारी में यह बात नहीं है कि किन-किन लोगों के पास बेनामी जमीनों के कब्जे हैं। अगर उनको अपने कब्जे में नहीं लिया तो हमारे देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के स्वप्न को हम साकार नहीं कर सकेंगे। इसलिये मेरा सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि इस प्रकार के जो बेनामी ट्रान्जेक्शन्स हैं उनके कब्जे राज्य सरकार को दिलाने में साथ दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो राज्य सरकार को बहुत ज्यादा समय लग जायेगा हमारे यहां शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की हालत सुधारने में। आज जो भी बेनामी ट्रांजेक्शन किये हुए हैं इन ही बड़े-बड़े राजा महाराजा व बड़े-बड़े सेठों के किये हुए हैं। आज सिर्फ हमारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वे हरियाणा में भी इसी प्रकार एक भूतपूर्व मन्त्री श्री बीरेन्द्रसिंह ने भी काफी बड़े फार्म बना रखे हैं। इस प्रकार के जो बड़े-बड़े फार्म्स में जो शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोग काम कर रहे हैं उनमें वह जमीन कब्जे में लेकर बांट देनी चाहिए। इस प्रकार आज और भी कई राजा-महाराजा और बड़े-बड़े जमींदारों के पास हजारों एकड़ भूमि है उसे राज्य सरकार को चाहिये कि जल्दी से जल्दी कब्जे में ले मुझे यह अच्छी तरह से मालूम है, जैसे कि अभिभाषण में अंकित है, 20 हजार एकड़ भूमि पर राजस्थान सरकार ने कब्जा प्राप्त किया है। निश्चित रूप से इस सफलता के लिये वह बधाई की पात्र है। इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि इसके लिये और भी प्रयास करना होगा। मैं सोचता हूं कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को उन जमीनों पर कब्जा दिलाया जाय उनकी अलाटमैंट किया जाय तो लोग कह सकते हैं जिन राजा महाराजाओं की जमीनों पर 27 वर्ष से कब्जा था, उन जमीनों पर आज हरिजनों और आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों का कब्जा है। मैं समझता हूं इस ओर राजस्थान सरकार अग्रसर होकर कार्य करे।

आप सब यह जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये बोर्ड का गठन हुआ है। कमीशन बनाये गये हैं। डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत डेयरी स्कीम लगायी जा रही हैं, उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों को, होने वाला है हरिजनों और आदिवासियों के लिये राजस्थान के अन्दर अच्छे कदम उठाये हैं। 70 करोड़ रुपया खेती के लिये कर्जा दिया

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

जाने को है। 24 करोड़ रुपया उनको दे दिया गया है। कुल 70 करोड़ रुपया इन खेती करने वालों को देंगे। बाकी जो दिया जाने को है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से वन विन्डो सर्विस वाली बात हुई है। एक ही विन्डो से जमीन दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं और फर्टीलाइजर भी दे रहे हैं। जो कार्य 27 वर्ष में नहीं हुआ वह आज हो रहा है। हमारे देश की महान् नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश को नेतृत्व दिया। मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान में अगुआई की, निश्चित रूप से उससे राजस्थान का मस्तक ऊंचा हुआ है और यह एक गौरव की बात है। 11 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को राजस्थान नहर पर जमीन दी गयी है। 50 पर्सेन्ट जमीन रिजर्व उन लोगों के लिये रखी है। एक लाख 30 हजार एकड़ जमीन उनको दी है। उसके साथ-साथ यह भी सोचना होगा कि अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के साथ कहीं ऐसा न हो कि राजस्थान सरकार ने तो उनको जमीन का मालिक बनाया, पट्टा दिया, दूसरे साधन सम्पन्न लोग, जिनका आज तक भी असर बना हुआ है, वे लोग नाजायज फायदा न उठायें उसके लिये राजस्थान सरकार को कुछ करना होगा। एक तरफ तो उनको मालिक बनाया जाय और दूसरी तरफ बड़े साधन सम्पन्न लोग उन जमीनों को हथिया लें। इसके लिये राजस्थान सरकार कोई कारगर कदम उठायेगी। अनपढ़ लोग भी हैं। कहीं ऐसा न हो कि उनसे दस्तखत करवा कर कब्जा ले लें। इसके लिये राजस्थान सरकार को आगे आने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, खाने, आज मजदूर जो वहां पर काम करते हैं, उनको ठेके पर न देकर बड़े बड़े लोगों को दी जा रही हैं। इसी प्रकार के माइनिंग रूल्स बने हुए हैं। उसमें यह है कि उस व्यक्ति की हैसियत कितनी है। एप्लीकेशन में एक प्रोफार्मा होता है कि माइन्स किसको मिलेगी, कितनी हैसियत है? मजदूरों का उससे शोषण होता था।

राजस्थान सरकार ने एक कानून बनाया है कि मजदूरों को राइट्स दिये जायें। राजस्थान सरकार ने इस काम को हाथ में लिया है वह बधाई की पात्र है, और यह काम सराहनीय है। मजदूरों को कर्जा नहीं दिया गया है, लोन की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे मजदूर आन्दोलन को कोई फायदा नहीं होगा। राजस्थान सरकार की यह मंशा है कि मजदूरों को स्वयम् को फायदा मिले। उसको कर्जा मिलेगा और उससे वह कार्य कर सकेगा तभी उसको वास्तविक रूप से फायदा हो सकेगा। लोन देने की परम्परा और इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी तब जाकर शोषण को बन्द कर पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष इन्हीं दिनों हरिजनों को मकानों के लिये जमीन का एलाटमेंट हुआ। राजस्थान सरकार ने 7।। लाख को जमीन दी थी। तेजी से काम किया। जिस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग मकानों के बगैर बचे नहीं हैं। राजस्थान सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

के अलावा भी तो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी हालत आज भी कमजोर है, अनुसूचित जाति और जन जाति से अधिक खराब हालत है, तो उनको भी जमीनें देनी चाहिये और लोन दिया जाना चाहिये। धोबी, नाई, कुम्हार जिनकी हालत आज भी अनुसूचित जाति और जन जाति से ज्यादा बदतर है। राजस्थान सरकार को कोई नया कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिये तभी यह सोचा जा सकेगा कि सही माने में गरीब आदमी जमीन का मालिक बन सकेगा और उसको फायदा पहुंचाया जा सकेगा।

राजस्थान सरकार ने छोटी म्युनिसिपैलिटीज और शहरी क्षेत्र में तो एलाटमेंट दिया है, लेकिन राजस्थान की बड़ी-बड़ी म्युनिसिपैलिटीज हैं वहां पर भी अनुसूचित जाति के लोग बैठे हैं। वे भी उसी अनुसूचित जाति के लोग हैं जो कि गांवों में बैठे हैं शहर में रहने से कोई हैसियत बढ़ गई हो मैं नहीं मानता। वैसे लोगों को भी जमीन अलॉटमेंट का काम हाथ में लेना होगा। यह नहीं हो सकता कि राजस्थान में दो नीति अपनाई जायं। सबसे पहले काम हुआ है वहां जहां कि आज तक कुछ नहीं हुआ, इस बात से तो मैं सरकार से सहमत हूं लेकिन शहर में भी जो अनुसूचित जाति के लोग बैठे हैं उनको भी फायदा न हो तो यह हमारे लिए उचित बात नहीं है। इसमें भी, मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार कदम उठायेगी।

देश में पांच रूरल बैंक खोले हैं। राजस्थान में एक बैंक का खुलना यह राजस्थान के लिये गौरव की बात है। यह एक उपलब्धि है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बैंक राजस्थान की सारी स्थितियों को सुधार नहीं सकता। दो लाख रुपयों का लोन दिया गया। जिस प्रकार सागड़ी प्रथा समाप्त हुई, इस बैंक से वह पूरा काम नहीं होगा। बड़े-बड़े साधन सम्पन्न लोग उन लोगों को पैसा देते थे वह देना उन्होंने बन्द कर दिया। इसलिये अब यह सोचना होगा कि उन लोगों को किस प्रकार से कर्जा दिलाया जाय। इसलिए सहकारी बैंकों को ज्यादा तरक्की देना होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सहकारी बैंकों के जरिये से इन सारे कामों को हाथ में लेंगे तभी यह राजस्थान के कोने-कोने में पहुंच सकेंगे, दलित आदमियों को कर्जा दिला सकेंगे। राजस्थान सरकार इसमें मदद करेगी। सम्माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा अपने अपने क्षेत्र में सहकारी मूवमेंट को गतिशील बनायेंगे। आज सहकारी आन्दोलन पिछड़ा हुआ है। हिन्दुस्तान में इसका अच्छा चित्र नहीं है। सभी लोग मिल कर इस मूवमेंट को गतिशील बनायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से देश में काले धन को बाहर निकाला जा रहा है और उसके लिये मैं हमारी महान् नेता प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता कि जिन्होंने बिना बन्दूक चलाये, बिना लाठी चलाये, 14 अरब रुपया बाहर निकाल लिया। हमारी मुद्रा स्फीति पर इसका असर पड़ेगा। इस तरह का वातावरण बनेगा कि मूल्य चीजों के अधिक न बढ़े। यह

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
एक महत्वपूर्ण भूमिका अपने आप में रही है।

अभिभाषण में और भी जिक्र किया है। स्कूल और कालेजों का जिक्र किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी प्रगति हुई है उससे और अधिक प्रगति की आवश्यकता है, जिससे राजस्थान में उसके लाभ से कोई भी नौजवान वंचित न रह जाय और ऐसा न हो कि वह इसलिये पढाई नहीं कर पाया कि उसको पाठ्य सामग्री, किताब आदि उपलब्ध नहीं हो सकी। हमारे महान् नेता बुजुर्ग महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने हमको आजादी दिलायी और हमारी महान् नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आर्थिक आजादी दिलायी। ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा आज देश के अन्दर। जिस प्रकार राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है उसी प्रकार राजस्थान के नौजवानों पर भी काफी बड़ी जिम्मेदारी है। आज देश में, खास तौर से समाज के अन्दर। किस प्रकार का सुधार करना है उसको देश का नौजवान अच्छी तरह से जानता है। आज कई प्रकार की कुरीतियां देश में हैं–दहेज प्रथा चल रही है, आज भी छूआछूत का अन्त नहीं हुआ है, आज भी शिक्षा की दृष्टि से कुछ प्रगति हुई है, काफी प्रगति पहले से हुई है, लेकिन अभी शिक्षा का काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिये हम सबको मिलकर राजस्थान सरकार को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा।

यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के अन्दर यूथ के कार्यक्रम को गति देने के लिये कुछ हुआ है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार यूथ की दृष्टि से अभी भी इग्नोर होकर चल रही है। राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल की हालात जो 8-10 साल पहले थी वह आज भी यों की यों ही चल रही है। खेल का माध्यम ऐसा हो सकता है, साहित्य अकादमी का माध्यम ऐसा हो सकता है जिससे नौजवानों का आकर्षण बढ़े। लेकिन आज जिस प्रकार का बजट राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल को दिया जाता रहा है उसमें चार करोड़ तो केवल ऐडमिनिस्ट्रेटिव खर्च हो हो जाता है। आज से 6-7 साल पहले जो स्थिति थी वही आज भी चल रही है। केवल मात्र 8-10 करोड़ देने से फर्क नहीं पड़ता है, उसमें 4-5 करोड़ तो ऐडमिनिस्ट्रेशन पर हो खर्च हो जाता है। राजस्थान के नौजवानों को इससे कोई लाभ नहीं मिल पाता है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक यूथ बोर्ड की घोषणा की है और कहा है कि राजस्थान के मरुस्थल का विकास हो, राजस्थान के आदिवासियों का विकास हो। मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि 27 साल पहले जो बच्चा था वह आज नौजवान बन गया है, वह यूथ बन चुका है और राजस्थान अन्य प्रान्तों के मुकाबले अभी काफी पीछे है। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यहां पर एक यूथ मंत्रालय की स्थापना करनी चाहिये। कई जगह यूथ विभाग बने हुये हैं। इसलिये मैं सोचता हूं यहां भी नौजवानों के लिये कुछ होना चाहिये और हमारी राजस्थान की सरकार भी उस दृष्टि से सोचने की कृपा करेगी।

आज राजस्थान विश्वविद्यालय में भी अशान्ति का रूप है। मैं यह कहना चाहता हूं

Page No 74

(74)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कि नौजवानों में जब तक अपने आप अनुशासन पैदा नहीं होगा तब तक यह सारी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए विश्वविद्यालयों में जो नौकरशाही है वह विद्यार्थियों के मूवमेंट को ठीक कर देगा, यह मुमकिन नहीं लगता है। इसलिये हमें अपनी विचारधारा के लोगों को उसमें जोड़ना होगा। मुझे याद है हमारे मुख्य मंत्री जो कई बार जिक्र करते हैं कि केवल मात्र प्रस्तावों से, केवल मात्र कागजी कार्यवाहियों से काम नहीं चलेगा, प्रेक्टिकल रूप में उसको हमें उतारना होगा, ताकि राजस्थान में अनुशासन परमानेन्ट रूप से कायम हो सके।

शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों बहुत तेजी से काम किया है, मेरा निवेदन है कि शिक्षा विभाग और भी तेजी से काम करे। मैं जानता हूं कि शिक्षा विभाग की कठिनाइयां सबसे ज्यादा हैं। आर.एस.एस. हमारे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, आनन्द मार्ग हमारे शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और हो सकता है शिक्षा मंत्री जो उसमें कठिनाई महसूस करते हों, लेकिन आर.एस.एस.की छंटनी किये बिना यह सुधार सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिये शिक्षा विभाग को अपनी गतिविधियां और तेज करनी होगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी घंटी जरूर बजी है और आप मेरी तरफ बार-बार देख भी रहे हैं लेकिन मैं दो मिनिट और लेना चाहता हूं। राजस्थान में प्रगति हो रही है। राज्यपाल महोदय ने जिन बातों को अपने अभिभाषण में अंकित किया है उससे राजस्थान के गरीबों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। राजस्थान सरकार को जिस प्रकार की कठिनाई रही है, मैं समझता हूं अब राजस्थान सरकार उसको समाप्त करने में लग रही है।

रॉक फास्फेट, मुझे याद है उदयपुर से मिलने वाला रॉक फास्फेट कान्डला बन्दरगाह होकर बाहर जा रहा है। विशाखापट्टनम होकर हमारा रॉक फास्फेट तथा कान्डला होकर बाहर जाता है। आज उदयपुर इसमें विश्व के दूसरे बड़े देश का मुकाबला करने की स्थिति में है। आज उदयपुर का रॉक-फास्फेट इस पोजीशन में आ गया है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति उससे सुधारी जा सकती है। यह हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की ही दूर-दर्शिता का कारण है कि आज रॉक-फास्फेट इस स्थिति में आ पाया है। अकेले रॉक-फास्फेट से राजस्थान को 10 करोड़ की आमदनी होती है यह हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की दूर-दर्शिता का ही परिणाम है कि उनके प्रयासों से और उनकी दूर-दर्शिता से आज राजस्थान रॉक-फास्फेट के मामले में इतना बढ़ सका है और इतनी आमदनी प्राप्त कर सका है। उनकी दूर-दर्शिता के कारण ही आज यह स्थिति हमारे सामने आई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार मैं देख रहा हूं कि आपकी नजर मेरे पर है कि मैं समाप्त करूं। मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि कोटा के सहरिया आदिवासियों और उदयपुर के भील आदिवासियों के जो 27 साल में आंसू नहीं पोंछे जा सके थे वे हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

पिछले तीन महीनों में पोंछ दिये। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने इस मामले में अपना एक कीर्तिमान स्थान स्थापित किया। मैं समझता हूं सदन के सब माननीय सदस्य इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। मैं इन सारी बातों का जिक्र इसलिये करना चाहता हूं कि कई बार सही मायने में हम अपनी मंजिल भटक जाते हैं और कभी-कभी काम करने की जो स्थिति होती है उससे एक अलगाव की सी स्थिति पैदा हो जाती है, वह न हो और हमारा सबका प्रयास एक जुट होकर काम करने का रहे।

आज हमारी प्रधान मंत्री ने जो एक बड़ा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है और जिसको चण्डीगढ़ में पुनः दोहराया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम केवल कार्यक्रम ही रहेगा जब तक कि गरीब लोगों को उससे कोई फायदा नहीं हो। उनके कार्यक्रम से गरीब आदमी को फायदा होना चाहिये इसलिये मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एज ए कांग्रेसमैन यह कहना चाहूंगा कि यह हमारे लिये एक जीवन और मरण का प्रश्न है। जहां पर हम बैठे हुये हैं, कांग्रेस के पद पर बैठे हुए हैं, चाहे अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में बैठे हुये हैं, हमारे लिये उनका कार्यक्रम एक जीवन और मरण का प्रश्न है। उसको सही रूप में अमली जामा पहना कर ही हम दम लेंगे। केवल मात्र छींटाकशी करने से राजस्थान आगे नहीं बढ़ने वाला है। राजस्थान गरीबी की मंजिल में रहा है और गरीब लोग जो आज ऊंचे नहीं उठ पाये हैं उनके लिए हमारी प्रधान मंत्री जी ने एक कार्यक्रम दिया है जिसके माध्यम से राजस्थान ऊंचा उठ सकता है। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि सब मिल कर उनका आर्थिक कार्यक्रम पूरा करें और सफल बनायें और सब मिल कर करेंगे तभी यह काम पूरा होगा।

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधान मंत्रीजी की महत्वाकांक्षा को अमली जामा पहनाकर जो अग्रणी कदम उठाए हैं वे राजस्थान में ही नहीं अपितु भारत के कोने कोने में प्रशंसा के पात्र हैं। हम सब लोग मिल कर उनके कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ायेंगे, यही मेरा एक मात्र उद्देश्य है।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस थैंक्स मोशन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह तो बात हम रोज ही सुन रहे हैं, कहीं सुन लो, चण्डीगढ़ चले जाओ, पार्लियामेन्ट में चले जाओ, बाजार में चले जाओ कि यह फासिस्ट है, विरोधी फासिस्ट हैं। इनको हमने पकड़ लिया है। यह ऐसा करते थे। ललित नारायण मिश्र को मरवा दिया, यह कर दिया, वह कर दिया। यह देश की उन्नति नहीं देखना चाहते थे। यह तो हम रोज ही सुन रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि सन 1971 के चुनावों के बाद जब कांग्रेस ने इस देश से गरीबी हटाने का वादा किया था उस समय से लेकर इस देश से कांग्रेस कोई गरीबी नहीं हटा सकी। देश उनके विरुद्ध जा रहा था इसलिए उनको एक ही बात सूझी कि किसी

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

तरह से देश पर काबू पाने के लिए कोई ऐसा वातावरण बनाया जाये कि लोग भयभीत हो जायें और भयभीत वातावरण को बनाने के लिये कई दिनों से सोचा जा रहा था। लेकिन उस दरमियान में गुजरात के चुनाव आ गये। वहां कांग्रेस की हार हुई और आगे चलकर इन्दिराजी के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला हो गया। कांग्रेस के अन्दर बहुत ही बड़ी फूट हुई और कहा जाता है कि प्रोफेसर शेरसिंह की कोठी पर बैठ कर जजमेन्ट दे दिया कि प्रधान मन्त्री को चाहिये कि वह छुट्टियां लें। तो 140 आदमियों के विरोध के कारण 26 तारीख को आपातकालीन स्थिति लागू कर दी गई और कहा गया कि विरोधी दल ऐसा करते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि विरोधी फासिस्ट नहीं हैं। फासिस्ट वह होता है जो सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है। हिटलर ने, मुसोलिनी ने सत्ता अपने हाथ में ली थी और उसके बाद अब इन्दिरा जी संसद की सारी सत्ता अपने हाथ में ले रही हैं और यह जो पार्लियामेन्ट है और असेम्बली यह नाम की रह जायेंगी और उसके बाद एक व्यक्ति का राज्य होगा। वह राज्य चलायेगा और फिर कहते हैं कि जितने विरोधी हैं वह फासिस्ट है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हम सीधे लफ्जों में यह कह रहे थे कि हम फासिस्ट नहीं हैं।

(3.02 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

फासिज्म हमारा मिशन नहीं है। हम देश को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं।

यहां उदाहरण दिया गया कि स्टुडेन्ट्स हड़ताल किया करते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्ष गंगानगर में स्टुडेन्ट्स ने हड़ताल की तो उनमें उसकी मांग यह थी कि जो प्रिन्सिपल है वह आनन्दमार्गी है और जनसंघी है इसलिए हम इम्तिहान में भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो क्या यह विरोधियों का एजीटेशन था? क्या यह विरोधियों ने हड़ताल करवाई थी?

तो मैं आपसे अर्ज करूं कि 25 तारीख को निर्णय लिया गया और उसके आधार पर इमर्जेन्सी लागू की गई। उसी के आधार पर देश के अन्दर हजारों आदमी जेलों में पड़े हुए हैं। बाहर चले जाओ, अन्दर आ जाओ–हमें हक नहीं है बोलने का। हमारी बात कहीं नहीं सुनी जा सकती। हक है उधर बैठने वालों को वह हमें गालियां दें। बाजार में खड़े होकर कह दें, प्रेस में कह दें, अखबारों में निकलवा दें लेकिन हम नहीं बोल सकते। यह है समाजवाद, यह है जम्हूरियत जिसकी रक्षा की जा रही है और जिसके नाम पर कहा जाता है कि हम देश के अन्दर नया मोड़ लाना चाहते हैं।

मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यहां पर यह कहा गया कि हम किसानों की उन्नति करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि अगर सीलिंग के मामले को यह सुलझा दें, यह अलॉटमेन्ट ठीक कर दें, तो मैं पहला आदमी होऊंगा कि जो खड़ा होकर इनको धन्यवाद दूंगा लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि गंगानगर के अन्दर जो सीलिंग है और जिसके लिए आज दावा किया जाता

Page No 77

(77)

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

है कि राजस्थान नहरी क्षेत्र में कांग्रेस ने भूमिहीनों को जमीनें दी–कांग्रेस जमीन नहीं देना चाहती है। कांग्रेस तो जमीन बोली में देना चाहती है। सन् 1969 में हम ने वहां पर आन्दोलन किया और 22 हजार आदमियों को जेलों में भेजकर हमने कांग्रेस को मजबूर किया कि हम गरीबों को जमीन दें। लेकिन गरीबों को जमीन नहीं मिली। यह कहा जाता है कि जमीन गरीबों को मिली है। मैं कहता हूं कि जमीन पूंजीपतियों को मिली है और कांग्रेस इसलिए यह कहती है कि कांग्रेस को सत्ता में रहना है। इसलिए जमीन उन लोगों को दी गई है जो कि उस गुट में बैठने वाले लोग हैं।

मैं कहता हूं कि आप चाहे राजस्थान कैनाल क्षेत्र के अन्दर ले लीजिए, आज हमारे यहां रेवेन्यू मिनिस्टर बैठे हुए है वह अब छुट्टी दे दें। हम एलान कर दें कि कोई भूमिहीन यह बता दे कि फलां आदमी के पास नाजायज भूमि है और अगर वह भूमिहीन होगा तो 3 महीने के अन्दर फैसला करके उसको भूमि दे दी जायगी। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 50 परसेंन्ट जमीन राजस्थान कैनाल से नाजायज साबित हो जायेगी, नाजायज निकल जायेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर जमीन नाजायज तौर पर अलॉट हुई है और हकदार लोगों को नहीं मिली है। गंग कैनाल में चले जाइये, मै एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। 78 टी. बी. चक है वहां भी एक आदमी मालिक 24½ मुरब्बे का था। वह जमीन उसने लोगों के नाम से अलॉट करा ली और 15–20 साल से वह काश्त कर रहा है और वहां पर आफिसर नेक होता, अगर आफिसर यह देखता कि वहां मान लो कि उनके ध्यान में यह बात नहीं आई, लेकिन यह तो उनके ध्यान में है कि किश्त देने वाला कोई नहीं है। एक ही आदमी एक किश्त देकर 24½ मुरब्बा की काश्त कर रहा है। फिर कोई पूछने वाला नहीं है। हरिजनों की जितनी जमीन थी वह नॉन–हरिजन एलॉट करवा लेते हैं। आज तक हरिजनों ने अपील कर रखी है और कलेक्टर के पास अपील सन् 68 से चल रही है। उनकी फाइलें तक पेश नहीं होती और आज भी वह उसी तरह से बैठे हुए हैं। कहीं कोई आफिसर काश्त कर रहा है और कहीं दूसरा काश्त कर रहा है। यह हालत है जमीन की काश्त की।

राजस्थान कैनाल को ले लीजिये। यहां मैं यह भी कहूंगा कि अगर आप चाहें तो जयपुर जिले की मैं आपको बात बताऊं। मेरे पास पटवार की लिस्ट है। 18-6-71 को 37 परिवारों को बासना नाम का गांव है जहां भूमि आवंटित की गई और आज तक कब्जा नहीं दिया गया। बार बार लिखने के और असेम्बली में भी प्रश्न आया मैंने भी लिखा लेकिन कोई उसके लिए सुनवाई नहीं है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो कहा जाता है कि हम भूमिहीनों को भूमि दे रहे हैं, यह कहा जाता है कि हम हरिजनों की जमीन वापिस दिला रहे हैं–मैं पदमपुर तहसील से आया हूं और पदमपुर और करणपुर तहसीलों के बारे में कहता हूं कि इस असेम्बली में जिस समय माननीय मंत्री महोदय जवाब दें तो दोनों तहसीलों का

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

एक उदाहरण पेश कर दें कि एक भी आदमी को जमीन दी है क्या और एक भी उदाहरण आप दे दें तो मैं कहूंगा कि आपने बहुत कुछ किया है । न हरिजन को जमीन मिली है और न किसी भूमिहीन को और जमीन नाजायज अलॉट हो रही है । चाहे आप राजस्थान कैनाल को ले लीजिए या दूसरी जगह को ।

सीलिंग की बात कही जाती है । मैं सीलिंग के बारे में अर्ज करूंगा कि जितने भी सीलिंग के केसेज हैं गंगानगर में किसी को दो बीघा ली है और किसी की 2।। बीघा । ऐसे-ऐसे आदमी हैं जो नौ-नौ मुरब्बा के मालिक हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । रायसिंहनगर का प्रधान 9 मुरब्बे का मालिक है । वह कांग्रेस को बहुत गालियां दिया करता था, रात रात में उसने खद्दर की पगड़ी बांध ली और 9 मुरब्बा सीलिंग से बच गया । ऐसा एक उदाहरण नहीं है । मेरे पास निर्मलसर का एक वाकया है । सीलिंग में दो पाइन्ट हैं जिनको तय करवाना चाहिये । एक सीलिंग का पहिला सीलिंग का मामला तय करवाना चाहिये और फिर दूसरा मामला तय होगा । एक आदमी को पूरे सात मुरब्बा जमीन है । उसकी सीलिंग का उसने पहले 66 वाली सीलिंग का फैसला नहीं करवाया । उनके यहां पर एस. डी. एम साहब पहुंचे और डांट-डपट हुई तो कहा कि अब करवा लेते हैं । कहा अच्छा बात कर लेना । उनकी बात हो गई । बात होने के बाद क्या हुआ कि आपसी बात होने के बाद उस आदमी के एक ही लड़का है, उसके तीन लड़के बन गये । दो लड़के हैं नहीं घर में, तीन लड़के और एक खुद मिला कर चार में तकसीम हो गई जमीन । सीलिंग में एक मुरब्बा नहीं आया । एक बीघा जमीन नहीं आ सकी । ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं । इस तरह के उदाहरणों की कमी नहीं है । अभी एक आर्डिनेंस जारी हुआ है जिसके अन्दर यह किया है कि पांच साल के अन्दर के ये केसेज रि-ओपन हो सकते हैं । अब पटवारी क्या करता है । मेरे जैसे गरीब के पास आ गए । उस गरीब के लड़के का स्कूल का सर्टीफिकेट ले लिया । अब कहते हैं कि उन्होंने नाबालिग को जमीन दिलाई है । दो बार पांच हजार वह मार ले गया । आगे बढे तो तहसीलदार आ गया । फिर एस. डी. एम. आ गया । जब इन सारे प्रोसीजरों को पूरा कर लेता है तो उसके बाद जिला पुलिस वाले आ गए । पुलिस वाले भी उसे बुलाते हैं । कहते हैं तेरा लड़का नाबालिग है । हमारे यहां के एस. पी. के यहां पर, अगर आप चाहें तो आज शाम को ही छापा मार कर पता कीजिये कि उसने तीन हजार की एक भैंस कहां से खरीदी । किस सीलिंग वाले से ली । तो ऐसे हालात हैं । दस-दस हजार रुपया ए.एस.पी. ले लेते हैं और इसलिए ले लेते हैं कि तूने नाजायज सीलिंग करवाई है नाबालिग बच्चे के नाम पर । इस तरीके से गरीब को जमीन मिलने वाली नहीं है । मैं अर्ज करूंगा गंगानगर जिले में न तो भूमिहीन को जमीन दिला सके, न जमीन सीलिंग में ले सके हैं और ना ही, मैं आपसे अर्ज करूंगा आप हरिजनों को उनकी जमीन वापिस दिला सके हैं । ऐसे मामले एक नहीं, हजारों की संख्या में हैं । मेरे पास में एक गांव है पासा का

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

जिसमें एक सिक्खा नाम का हरिजन है। मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी। उसके पास में रजिस्ट्री है। किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया उसके बदले मुकदमा चलता है लेकिन उसको जमीन नहीं मिल सकी। मैं अर्ज करूंगा कि आप सीलिंग के मामलों को नहीं तय कर सके और न ही तय करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ लोग नाजायज तौर पर जमीन हासिल करें और हमेशा के लिए कांग्रेस की गोद में पड़े रहें और कांग्रेस अपने राज्य को कायम रखे। मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक आपका पानी का टार्गेट है, मैं सीलिंग की बात को यहीं छोड़ता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक रूल बना दीजिए अगर आप चाहते हैं कि सीलिंग के लिए नाजायज अलाटमेंट नहीं हो तो अगर कोई हकदार आदमी हो और वह किसी की शिकायत करता है तो उसको तीन महीने के अन्दर-अन्दर उसको वह जमीन लेकर अलाट कर दें, अगर हकदार नहीं हो तो उसके लिए नहीं कहता कि गैर हकदार को करें, लेकिन अगर हकदार है और वह किसी की शिकायत करता है तो उससे जो जमीन मिले वह उसको तीन महीने के अन्दर लेकर दे दीजिए तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी जमीन गंगानगर में मिल सकती है। आप सीलिंग के मामले तय करते नहीं। सीलिंग के मामले तय होंगे नहीं। सीलिंग के मामले वहां के वहां पड़े हुए हैं और आप हमेशा यह कहते रहें कि राजस्थान सीलिंग के मामले में सबसे आगे है। शायद इस हेराफेरी में सबसे आगे होंगे। मैं अर्ज करूंगा कि वहां हमारा प्रश्न आता है कि हमने एक प्रोडक्शन का टार्गेट मुकर्रर किया। हम और एरिया को इर्रीगेशन में लाना चाहते हैं। तो मैं यह मान कर चलता हूं कि यह छोटा टार्गेट है, यह बड़ा टार्गेट नहीं है। 162 करोड़ की राजस्थान कैनाल जिसमें से आज तक 130 करोड़ रुपया खर्च किया है और 182 करोड़ की बकाया पड़ी हुई है और उसका 10 हजार क्यूसेक पानी है। पौंग डेम का मामला है, उसमें हमारा फिफ्टी पर्सेन्ट शेयर है। उसके अन्दर इस साल पचास लाख एकड़ फीट पानी जमा हो चुका है। उससे ज्यादा पानी की कैपेसिटी नहीं है और वहां से हर रोज 15 हजार क्यूसेक पानी हम काम में ले रहे हैं। गंग-कैनाल पानी नहीं ले सकती है क्योंकि गंग कैनाल टूटी हुई है। उसमें सीपेज है। राजस्थान कैनाल का पानी है वह छः हजार क्यूसेक से ज्यादा नहीं दे सकता है। छः और तीन मिलाकर नौ हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी का यूटिलाईजेशन नहीं कर सकते हैं और 1·5 हजार क्यूसेक पानी मिल रहा है। छः हजार क्यूसेक पानी का यूटिलाईजेशन करें तो जो एचीवमेंट आप करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। जिला परिषद् की मीटिंग के अन्दर हंगामा हुआ कि पानी बन्द कर दो, बहुत से लोगों की मांग थी कि नहरें बन्द हो जानी चाहिए, इसलिए कि पानी का आप यूटिलाईजेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप यह छः हजार क्यूसेक पानी का यूटिलाईजेशन कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे राजस्थान की जरूरत ही नहीं, यह जो आपका चार लाख हैक्टर का टार्गेट है वह अकेला राजस्थान पूरा कर सकता है। लेकिन आप करना चाहते हैं। आपकी कैनाल्स की हालत खस्ता है,

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

वहां पर पानी नहीं जा सकता है। मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट आप लागू नहीं करना चाहते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि अगर यह एल.एन.पी. बारह मासी कर दें तो उसका नतीजा क्या होगा। आधी जमीन अनकमाण्ड करार हो जाएगी। आप राजस्थान कैनाल से जोड़ना नहीं चाहते। मैं एक सुझाव देता हूं आपको कि आप आउट लेट के सामने गांव के खर्चे पर जो बेटर लेवल है उस पर बाड़ा बांध दें। इसका मतलब यह होगा कि आप जो पिलाई का खर्चा बांधते हैं, पचास-पचास हजार और लाख-लाख रुपया तक वह चला जाता है। उसकी जरूरत नहीं होगी। लोगों को छुट्टी कर दें, आप पिलाई करा दें। आप आउटलेट को चाहते हैं तो उसके खर्चे पर बना दें। एल.एन.पी. भी बारह मासी हो जायगी। अगर आप मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट को पूरा का पूरा लागू नहीं कराना चाहते हैं तो उसका कुछ हिस्सा ही लागू कर दें। कुछ खास हिस्से लागू करने से ही आपका टार्गेट बढ़ेगा। आप ज्यादा आबपाशी कर सकेंगे। तो मैं यह अर्ज करता हूं कि आप नहरों की तरफ ध्यान दें, आप नालों की तरफ ध्यान दीजिए। आज नहर वालों के यहां क्या चल रहा है। एक आदमी को पानी की वारी दे देते हैं। वह फसल बो लेता है तो उसका पानी लेकर दूसरे को देते हैं। लेकिन पानी का यूटिलाईजेशन नहीं होता है जिससे आबपाशी कम आती है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आप इस हालत को देखें।

अब मैं इमरजेन्सी के बारे में फिर अर्ज करूंगा कि जबसे यह आर्डिनेन्स, इमरजेन्सी लागू हुई है, तो सरकार ने विरोधियों पर सख्ती शुरू की है, उनकी आवाज बन्द करना चाहते हैं, मैं यह कह देना चाहता हूं कि क्या होता है। आज विरोधियों को पकड़ कर बिजली के शोक लगाये जाते हैं। आज बिना कारण जेलों में बन्द किया जाता है। मैं तो चाहता था कि हमारे छः साथी जो हमारे बीच में नहीं हैं, हमारे में नहीं हैं उनको यहां आने का मौका दिया जाता। वह अपनी बात कहते। अपने इलाके की बात कहते और आपको जवाब देते। आप जो अपने आपको डेमोक्रेसी का रखवाला कहते हैं तो फिर आप कह सकते थे कि हम डेमोक्रेसी के रखवाले हैं और आपके पास आज क्या है? जिसको मर्जी चाहा छोड़ दें, कानून तो है नहीं, जिसको मर्जी चाहा कल पकड़ लेना आज छोड़ दो, चार दिन छोड़ दो, वे आपको अपनी बात सुनाएं फिर आपको अख्तियार है पकड़ लेना। उनकी बात का असर आप पर होगा या नहीं होगा तो नहीं सही, लेकिन आपसे अर्ज करूंगा कि उनको इस सदन में आने का मौका मिलना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी नहीं थोड़ी बहुत बची है तो वह इस सदन के अन्दर है, बाहर नहीं है। कहीं कुछ कहने का हक नहीं है, बाहर हमारी आवाज बन्द है, हमारी जुबान बन्द है। आवाज तो यहां पर भी बन्द है क्योंकि यहां पर भी कही हुई कोई बात किसी पेपर में नहीं आएगी, लेकिन चलो अपना दिल खुश कर लेते हैं, अपनी बात सुना कर। मैं अर्ज करूंगा कि उनको यहां आने का मौका मिलना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए।

अब मैं लॉ एण्ड आर्डर के बारे में अर्ज करता हूं। चरणसिंह भाटिया वह मिल नहीं रहा है, पुलिस उसको चाहती है और वह नहीं मिला तो उसके छोटे भाई को

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
पकड़ कर ले गई। उसके बिजली का शाक दिया गया, उसकी पिटाई की गई और यहां पर कई दिन तक जेल में बन्द रखा गया और फिर छोड़ दिया गया। जिस पर चाहें मुकदमा चला दें, गोलियां चला दें। यह हम देखते हैं। हमारे लोगों पर गोलियां चलती हैं और जो गोलियां चलाते हैं, उन मुलजिमों को पकड़ा नहीं जाता है। इसलिए नहीं पकड़ा जाता है कि इसमें सरकार और पुलिस का हाथ है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम भी चूकने वाले नहीं हैं...

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : माननीय सदस्य गोलियां चलाने की बात कह रहे हैं। ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आयी है। इसलिए गलत बात कहना उचित नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : पदमपुर से 9–9–75 का पर्चा मंगवा लीजिये। वहां की एफ. आई. आर. पढ़ लीजिये––किस पर गोली चली यह देख लीजिये। इसके बाद कहेंगे तो उस आदमी को भी सदन के सामने लाकर पेश कर दूंगा और यह बतला दूंगा कि पुलिस का खुला हाथ है और वहां पर गोलियां चलती हैं। झूठे मुकद्दमे चलते हैं। उदाहरण चाहेंगे तो पेश कर सकते हैं। इससे आगे नहीं कहना चाहूंगा। जिस दिन चाहा 107 में हमको गिरफ्तार कर ले जाते हैं और जिस दिन चाहा उस दिन छोड़ जाते हैं, और दूसरे दिन 107 में फिर हम लोगों को पकड़ लेते हैं। 108, 110 में भी ले जाते हैं। यह तो एक खुली बात है। झूठे मुकद्दमें चलाये जाते हैं। जो यह दावा करते हैं कि हम फासिस्ट हैं, मेरा आप पर इल्जाम है कि आप इसको साबित कीजिये नहीं तो यह बात झूठी होगी। जनसंघ के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। कई लोगों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और थाने में ले जाकर उनको बिजली के शाक लगाये जाते हैं। मैं यह सब नहीं कहना चाहता, यह सब आपको मालूम है। आज हमें कोसते हैं। लेकिन आपसे इन्साफ चाहते हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात आयी। यह कहते हैं रेट गिर गये। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रेट सिवाय किसान की पैदावार के बाकी सब चीजों में 25 पर्सेन्ट बढ़े हैं। यह सरकार की रिपोर्ट है। एक नवम्बर, 75 की सरकार की रिपोर्ट है। मैं यह अर्ज करूंगा कि किसान की रेट गिरी है। 1970 में 423 के दरमियाने केस में कपास बिका करती थी वही अब 250 तक आ गयी और कपड़ा मिलता था 300 वह आज महंगा हो गया कपास का भाव गिर गया और कपड़े का भाव बढ़ गया। ग्राउन्ड नट का भाव गिर गया और डालडा का भाव बढ़ गया। दूसरी तेल वाली चीजों के भाव भी बढ़े हैं। शुगरकेन के भाव गिरे और खांड के भाव बढ़े। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसान के जिंसों के भाव गिरे हैं। परन्तु उसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान को मिलने वाली चीजों के भाव बढ़े हैं। डीजल का भाव बढ़ा है खाद तो आप ब्लैक में देते ही है। आपको पूछने वाली कोई सरकार नहीं है। सारे राजस्थान के गंगानगर में खाद महंगी दे रहे हैं। 106 में गंगानगर में खाद दे रहे हैं जब कि डीलर

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

90.75 मे देना चाहता है। आप डीलर को मलाऊ नहीं करते हैं। यह गंगानगर में हो रहा है। जो खाद है वह भी बहुत खराब है। बोरियां फटी हुई हैं। वजन कम है। मिट्टी मिली हुई है। यह खाद आप गंगानगर में दे रहे हैं। अभी दो-चार दिन पहले असेम्बली के वहां के खाद की बोरियां बदली हैं और उसका भाव भी आपने 97.88 कर दिया है। यह सिर्फ चार दिन पहिले किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपको जो खाद मिलता है उसमें आपको मार्जिन मिलता है। फिर शहर और देहात में आप यह अन्तर क्यों रख कर चलते हैं? हरियाणा में कोई फर्क नहीं है। पंजाब में कोई फर्क नहीं है। कोआपरेटिव सोसाइटी भी उसी भाव से बेचेंगी। खाद ब्लैक में जाकर बिक रहा है। यह मेरा खुल्लमखुल्ला आरोप है। वहां पर जो खाद मिल रही है उसमें शक्ति नहीं है। उसको आज कोई किसान अपने खेत में नहीं डाल रहा है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं?

मैं यह मानकर चलता हूं कि राजस्थान कैनाल की जमीन पर हरिजनों ने बड़े-बड़े प्लाट बना रखे थे। सरकार वहां पर मंडियां स्थापित करना चाहती है, वह जमीन आपने ले ली है। इसलिए एक बात कहूंगा। मैं तो अपनी दो तहसीलों के बारे में कहूंगा। आज तक आप यह कहते हैं कि हरिजनों को आवासीय प्लाट दे दिये हैं परन्तु इन दो तहसीलों में मेरे क्षेत्र की तहसीलों में हरिजनों को प्लाट नहीं दिये गये हैं। एक को भी पट्टा नहीं दिया गया है। मेरी इन दो तहसीलों में कोई पट्टा नहीं दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं, जब आपने प्लाट ऐलाट किये थे, तो हरिजनों को प्लाट बड़े बड़े लोगों के गांव में एलाट नहीं किये, इस लए कि बड़े लोग नाराज होकर कांग्रेस को न छोड़ दें।

मैं एक बात यह कहना चाहता था कि निरंजनसिंह के पास तीन चक हैं परन्तु उनके अन्दर सीलिंग लागू नहीं हो रहा है उनके सीलिंग की सिफारिश दिल्ली से आयी। देख लेना, पता कर लेना, जांच करा लेना। दिल्ली की सिफारिश है इन गरीब की। सीलिंग लागू नहीं की गई। तीन गांव हैं, 150 मुरब्बा जमीन है परन्तु सीलिंग में नहीं आ रही है और उनके गांव में किसी भी हरिजन को प्लाट नहीं दिया गया है और न ही हरिजन ले सकते हैं। ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर हरिजनों को प्लाट नहीं मिले हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यहां तो आपने प्लाट नहीं दिये, लेकिन ऐसे भी गांव हैं जहां कि आपने प्लाट में रहने वाले हरिजनों को निकाल दिया है। वहां की आबादी को एक ही रात में गैर मुमकिन से मुमकिन में बना दिया। उन लोगों को प्रभु के भरोसे छोड़ दिया। उनके चारों तरफ हल चल रहे हैं और वे उसके अन्दर बैठे हैं और रो रहे हैं। तो उनसे पूछो कि आपने कितने प्लाट लिये? गैर-मुमकिन को मुमकिन बना दिया। चौथे दिन वह एलॉट हो गया। एक भूमिहीन को जो भूमि पाने का हकदार या उसको नहीं मिली और दो–चार दिन के बाद ही उसको हमारे वहां के एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता ने अपने लड़कों के नाम करवा दी और कलेक्टर की मन्जूरी से करवा दी। जीवनदेसर नाम का एक गांव है वहां की पंचायत ने प्लॉट

Page No 83

(श्री गुरदायलसिंह संधु)

दिये वहां के हरिजनों को और कलेक्टर ने वह प्लॉट वाली जगह किसी एक आदमी को एलॉट कर दी । वह बैठे हुए हैं । उनको प्लॉट दिये नहीं आपने । गंगानगर नहर में चले जाओ । ए माइनर के साथ-साथ 1947 से बैठे हुए हैं हरिजन । वहां पर उन्होंने मकान बना लिये थे, लेकिन कलेक्टर ने स्टे आर्डर दे दिया कि यहां पर मकान नहीं बना सकते उन गरीबों को स्टे आर्डर मिल गया और एक पार्लियामेंट के मेम्बर ने मकान बना लिया । उसके और भी मकान हैं, दिल्ली में हैं। एक हजार रुपये किराया लेता है। उसकी सात दुकानें हैं और बिल्कुल थाना सदर के सामने हैं। वहां पता नहीं स्टे आर्डर वाले कहां गये उसको पूछो ? गरीबों के मकान बनने नहीं दिये । यह हालत है आपकी, और आप चाहते हैं कि इस थैंक्स मोशन पर आपको धन्यवाद दें । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमें एतराज नहीं है । अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जरूर आपको थैंक्स देंगे । लेकिन आप इससे भी आगे चले गये ।

कल ही मेरे पास एक आदमी आया था । उसने कहा कि जयपुर शहर में तो इस बात को पूछ नहीं सकते । कृष्ण और राधाजी की शादी भी हो गई तो उसने दो ग्रुपों में लोगों को बांट दिया और वह अदालत में गये, और दामन कुम्हार नाम का वहां का पुजारी था । 7 दिसम्बर को शादी हुई, और शादी का पूरा प्रोग्राम है मेरे पास । अगर आपको देखना है तो पूरा ब्यौरा दिया हुआ है । शादियां हो रही हैं और किसी धर्म को आप छोड़ना नहीं चाहते । उस धर्म के लोगों को भी आप कह देना चाहते हैं कि आपको भी दो टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं । सिखों ने अभी अभी गंगानगर में श्री तेगबहादुरजी का बलिदान दिवस मनाया । 15 मील का जलूस राजस्थान की हिस्ट्री में आज तक नहीं निकल सका । लेकिन कुछ साथी आगये और कहा कि 13 आदमी की हम कमेटी बनायेंगे और हमारी कमेटी जो है इस काम को चलायेंगे । वहीं कांग्रेस के सिवाय किसी दूसरे को अधिकार नहीं है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि 22 तारीख को जयपुर के अन्दर अल्पसंख्यकों का सम्मेलन हुआ । मैंने सोचा शायद हमारी भी वहां पर बात होगी । उन्होंने कहा कि आपकी बात नहीं, यह कांग्रेस के अल्पसंख्यकों की बात है । वहां पर भी कांग्रेस और नॉन-कांग्रेस जहां पर कि सम्मेलन हो रहा है । उसमें हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भाषण दिया जिसके अन्दर कहा कि कांग्रेसी अल्पसंख्यकों का सम्मेलन है यह । उनका भी भाषण है। आप लोग यह कहते हो कि हम लोग देश को आगे नहीं उठना देना चाहते हैं । मैं आपको कह दूं कि गंगानगर जिले में एक कमेटी बनी है उसमें विरोधी कोई नहीं आया । लेकिन मेरे साथी कह देते हैं कि इसकी जांच करायेंगे । मैं कहता हूं कि जांच नहीं कराये । अगर जांच करायेंगे तो कोई आदमी नहीं मिलेगा कमेटी बनाने के लिए। इसलिए इसकी जांच न करायें । जांच का तमाशा देखना हो तो मटोर में क्या हुआ ? वहां पर अब्दुल्ला ने इश्तिहार बांटे, शेख अब्दुल्ला ने । कांग्रेसी गये तो मिर्धा वाली जाट सभा है यह कहा । आप किसान को नीचा दिखाना चाहते हैं । जितने

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

किसान कांग्रेस में हैं उनको जाट सभा कहा जाता है। और उनकी शिकायतें हुई कि यह जाट सभा है। यह शिकायतें हुई। वह खुद कहते हैं कि हमने की हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपके स्वयं में फूट है। आप में फूट हो सकती है और उस फूट को दूर करने के लिए विरोधियों पर यह चार्ज लगाते हैं और उनको यह कहना चाहते हैं कि वह यह करना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप उन्नति की राह पर चलेंगे, सीलिंग के मामले पर चलेंगे तो मैं कहता हूं कि कांग्रेसी इतनी इन्फोर्मेशन आपको या आपकी सरकार को नहीं दे सके जितनी कि मैंने दी। लैंडलेस के बारे में जितनी इन्फोर्मेशन मैंने दी है किसी ने आज तक नहीं दी। लेकिन हम विरोधी हैं इसलिए उस कमेटी के मेम्बर नहीं हो सकते हैं। मुझे एक लाख आदमी ने चुनकर भेजा है, और वह कहते हैं कि हमें आपके लाख आदमियों की जरूरत नहीं। हमारे हलकों में आप हाई स्कूल नहीं खोलेंगे, कोई आयुर्वेदिक हास्पिटल नहीं खोलेंगे, कोई उन्नति का कार्य नहीं होने देंगे, सड़क नहीं होने देंगे। कोई भी कार्य होगा तो आपके क्षेत्र में नहीं खुलने देंगे। मैं चेतरामजी और केदारजी जिस बड़े हलके में रहते थे वहां पर एक भी स्कूल खोल देते तो हमारा मुंह बन्द हो जाता।

इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पदमपुर में एक मिडिल स्कूल है वहां की हैड मिस्ट्रेस बहुत ही करप्ट है। उसके ऊपर चार्जेज हैं कि उसने झूंठी तनख्वाएं उठाई हैं। मेरे पास उनके नाम हैं। जिन-जिन के नाम से उसने तनख्वाहें उठाई हैं। उसके विरुद्ध शिकायत सारी पदमपुर की तहसील ने की, मैंने भी की। कुछ मास्टर उसके विरुद्ध थे कि इस तरह के काम करके हमें वह बदनाम करना चाहती है। उसका कुछ भी नहीं हो सका। उसका नाम मिसेज लाल है। वह हैडक्वार्टर पर हाजिर नहीं होती है। उसका ट्रान्सफर कर दिया गया नोहर। वह चली गई ट्रान्सफर पर, लेकिन उसने कहा कि मेरी शान इसी में है कि वापस पदमपुर आऊं। अलवर से एक मिसेज विमला आई थीं पदमपुर में तो उनके लिए एक महीने के अन्दर अम्बर आर्डर हो गये कि तुम नोहर चली जाओ और उसको वहां पर भेज दो। यह हालत है।

आप आज यह कहते हैं कि इतने कर्मचारी निकाले हैं। अगर करप्ट एलिमेंट को निकालें तो जरूर अच्छा करते हैं लेकिन आप तो बदले की भावना से निकाल रहे हैं। करप्ट एलिमेंट को नहीं निकाल रहे हैं। अगर करप्ट एलिमेंट को निकालते तो पदमपुर और गंगानगर में जितने आफिसर्स हैं उनमें से आधे आफिसर्स जेल में होते। लेकिन उनको नहीं निकाला, क्योंकि वह जयपुर में आकर सलाम करके जाते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि उनकी जायदाद की जांच करा लें कि आज कितनी है और आज से पहले कितनी थी। तो मैं अर्ज करूंगा कि जब आप कर्मचारियों की बात करते हैं तो क्यों एक कर्मचारी जो वहां से ही शुरू करता है नौकरी और वहीं पर जाकर रिटायर हो जाता है। क्यों न उसको बाहर भेजते हैं? वे वहां क्यों रहना पसन्द करते हैं? क्या वह वहां के ठेकेदार हैं? वह रहते हैं तो

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

सरकार की मर्जी से रहते हैं। वह अपने आप तो रह नहीं सकते। यह हालत है कि जो भी कर्मचारी गंगानगर में गया वह वापिस नहीं आया। वह हर बहाने से अच्छी जगह पर रहता है।

तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मेरे पास एक मास्टर आया है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था उसका नाम प्रतापसिंह है। वह जून '71 में रिटायर हुआ था। उसको आज तक पेन्शन व ग्रेचुइटी नहीं मिल पाई, और बण्डल है एप्लीकेशन्स का उसके पास। वह रोज लिखता है कि मैंने बड़ी सेवा की है। इस देश की। कहीं भी पंचायत समितियों में चले जायं तो ऐसे मास्टर दिखाई देते हैं कि उनको पूछ लें कि 24 घन्टों में आप कितने घन्टे ऐसे हैं जब आप होश में रहते हैं और आप स्कूल साल में कितनी दफा जाते हैं। एक यह भी कहता है कि साल में दो दिन भी स्कूल चले जायें तो बहुत बड़ी बात है। अपना भत्ता 20 रु. लेते हैं। करप्शन इतना ज्यादा हो गया है कि पुलिस वाले कहते थे कि अब मौका आया है करप्शन करने का। अगर ज्यादा बोलेगा तो इमरजेन्सी में रख देंगे। करप्शन इससे पहले भी था और अब ज्यादा हो गया है। आप आफिसेज में चले जायें। कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर और एस.ई.एन. दोपहर के 1 बजे खाने के बाद साढ़े 3 बजे आ जायें तो उनकी बड़ी मेहरबानी। आफिसेज में क्लर्क ही नहीं मिलते हैं। कहते हैं कि अभी अभी कहीं चले गये हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपके आफिसेज ठीक नहीं चल रहे हैं। करप्शन बहुत ज्यादा है। काम ठीक नहीं चल रहा है। आप कहते हैं कि नेसेसिटी के लिए दुकानें खोल दी हैं। मैं तो हैरान रह जाता हूं। हमें तो कहीं एक दो दुकान भी खुली नजर नहीं आई। कोई दुकान नहीं मिली है। होता क्या है, इन्सपेक्टर कहते हैं कि बड़ी मौज है। कहते हैं कि प्राइस लिस्ट लगाई है। एक रोडूराम बनिया था, पदमपुर में। उसको कहा कि तेरे पास साढ़े तीन किलो गुड़ है, वह बहियों में क्यों नहीं है। यहां जयपुर में केरोसिन आयल के डिपो हैं। उस पर कोई आंच आफिसर आया। वह कहने लगा कि तेल दे दो। उसने कहा कि हमारे पास नहीं है। वह अन्दर घुस गया। तेल था ही नहीं। वह कहां से पैदा करे? दूसरे दिन सारा स्टाफ आया और उसका सारा सामान उठाकर ले गया। हमारा राशनकार्ड पड़ा था वह भी उठाकर ले गये। मैंने कहा कि हमारा राशनकार्ड तो दे दो। उसको बहुत परेशान किया गया जो कि एक शरीफ आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं कहूंगा, कोई अच्छा काम हो तो हम जरूर साथ देंगे। छोटी छोटी बातों को कहना तो नहीं चाहिए। गंगानगर में आप चले जायें, आप को स्टाम्प नहीं मिलते हैं। एक रुपया, दो रुपया, तीन रुपया के पैसे जमा कराओ स्टाम्प ले लो। मेरी तहसील में 20 रु. में मिलता है। मुझे पता चला कि गंगानगर में स्टाम्प दो हैं। 6, 6 रु. के हैं। जब हम लेने के लिए गये तो यह कहा गया कि यह निशानी के लिए पड़े रहने दो। हमने कहा कि दे दो। एक रुपये से कम का कोई टिकट नहीं है। 25 रु. और 50 रु. के टिकट हैं।

आप भले ही यह कहते हों कि देश आगे जा रहा है। हम पीछे न रह जायें। हम भी यह सोचते हैं कि हम पीछे न रह जायें। मैं जयपुर की कच्ची बस्तियों के

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

बारे में बात करना चहता हूं। कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में माननीय बरकतउल्लाजी ने एक आदेश दिया था कि जो लोग जहां बैठे हैं, उनके लीगल पजेशन को हम मान्यता देते हैं। 21–8–71 को आदेश दिया था और जब 24–3–75 को उस मामले को उठाया गया और आज तो सभी बस्तियां गिराई जा चुकी हैं। उनमें जो रहने वाले थे, उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं है। एक दफा वी. वी. गिरी साहब आये थे। उन्होंने कुछ पट्टे बांटे थे। जिनको दिये गये थे उनका क्या हुआ? अभी थोड़े दिन पहले पन्त जी आये थे। उन्होंने भी पट्टे बांटे थे। आज उनका भी यही हाल है। उनके पास भी जगह रहने के लिए नहीं है। कच्ची बस्तियों के बारे में विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं। उनके पास कोई जगह नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मैं आखिर में एक बात कहूंगा राज्य-सरकार ने किसानों को 14 सूत्री मांगों के सम्बन्ध में एक वचन दिया था। माननीय हरिदेव जोशी ने वचन दिया था। उसमें कुछ बातें थीं। उसमें पहली मेरी मांग थी कि किसानों का कर्जा माफ किया जाये। वह आज किया जा रहा है मगर किसी के पास दो बीघा नहरी जमीन से कम होगी जिसके पास में बीघा नहरी जमीन नहीं होगी उसके साथ में कोई रियायत नहीं देना चाहते हैं। दूसरी मांग यह थी कि गंगानगर क्षेत्र में भारत-पाक युद्ध के समय में जो जमीन थी उसे मेरी जानकारी में सरकार वसूल कर चुकी है। वह जमीन किसानों को नहीं देना ठीक नहीं है। मुझे विश्वास दिलाया गया था और एक कमेटी का गठन किया गया था कि वह उसके बारे में निर्णय देगी। लेकिन आज तक कमेटी का गठन नहीं किया गया। यह कहा गया था कि उसका गठन करके 6 महीने में निर्णय लिया जायगा। लेकिन 6 महीने गुजर गये। कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को किसानों के साथ में किये गये वायदों को भूलना नहीं चाहिए। उनको पूरा करना चाहिए। आपने लिखकर दिया है। जुबानी बात नहीं है। मैं यही कहते हुये अर्ज करूंगा आप जो अच्छे काम करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। आज जम्हूरियत खत्म हो चुकी है। आप जम्हूरियत के नाम पर विरोधियों को कुचलना चाहते हैं। अगर जम्हूरियत का हक है तो हजारों लोगों को जेल में क्यों डाला है? 26 जून को एमरजेन्सी का ऐलान हुआ था। उस दिन से लोग आन्दोलन कर रहे हैं। रोज ही लोग जेल जाते हैं। हर शहर में जाते हैं। हजारों और लाखों आदमी जेलों में पड़े हुए हैं। मैं मानता हूं कि लोग आपके साथ नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो आप चुनाव कराते। आपको समझ आ गई है। इसलिए आप चुनाव नहीं करा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, उसका मैं विरोध करता हूं। अन्त में आपसे कहूंगा कि आप सुधार करने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपके साथ हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द जैन!

श्री वृद्धिचन्द जैन : (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभि-

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
भाषण पर श्री गिरधारीलालजी व्यास ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जिसका समर्थन श्री फूलचन्द्रजी जैन ने किया है उस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए, मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

26 जून, सन् 75 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिससे कि हमारे प्रजातन्त्र की नींव मजबूत हुई। इस कदम का विदेशी शक्तियों ने, अमेरिका जैसी शक्तियों ने, ब्रिटेन जैसी शक्तियों ने विरोध किया परन्तु यह जो कदम था यह हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए, देश के लोकतन्त्र की रक्षा के लिए उचित कदम था यह कदम उठाकर हमारे देश की रक्षा करने में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो कार्य किया है वह इतिहास में एक उज्जवल रेकार्ड रहेगा।

उसके बाद में प्रथम जुलाई, 1975 को 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम देश के सामने रखा और वह आर्थिक कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे हम गरीबों की उन्नति कर सकते हैं, उससे हम अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्ग के लोगों की स्थिति को सुधार सकते हैं। यह जो कदम उठाया गया है उसको क्रियान्वित करना है, हमारे देश को, प्रांत के गवर्नमेंट को क्रियान्वयन करना है तो इससे गरीब वर्गों की स्थिति को अच्छी तरह से सुधारा जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और इस आर्थिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिर्फ राज्य सरकार पर ही निर्भर रहने से काम नहीं चलने का है। इस समय सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है इस कार्यक्रम को सफल करने की, इस आर्थिक कार्यक्रम को सफल करने की। दूसरी पार्टीज जो हैं वे अपने देश में कमजोर हैं या इस प्रकार की पार्टीज हैं जो कि हिंसा पर विश्वास करती हैं जो फासिज्म प्रवृत्ति वाली पार्टी हैं और देश को नीचा लाना चाहती हैं, देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं। तो हमारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से समर्थित कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है इस कार्यक्रम को सफल करने की। इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तो हमको यह देखना है कि कांग्रेस के अन्दर जो तत्व हैं, जो इस आर्थिक कार्यक्रम के समर्थन में नहीं हैं या जो आर्थिक कार्यक्रम में रोड़े अटकाते हैं उनको कांग्रेस से निकालना चाहिए। ऐसी भी स्थितियां आ गई कि आर्थिक कार्यक्रम की आड़ में जो आर. एस. एस. के तत्व हैं, जनसंघी तत्व हैं, जो साम्प्रदायिक तत्व हैं वे भी इस कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, वह भी इसमें विश्वास करते हैं, वे भी घोषणा करते हैं, हमें उनसे बहुत ही सावधान रहना है। अगर हमने उनसे सावधानी नहीं बरती और यह शक्ति कांग्रेस में घुसेगी तो कांग्रेस को बहुत कमजोर कर देगी और जो हम आर्थिक कार्यक्रम को सफल करना चाहते हैं, आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वयन करके गरीबों की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, उसमें हम सफल नहीं हो सकते। मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि इस आर्थिक कार्यक्रम को सफल बनाने

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

के लिये गवर्नमेन्ट मशीनरी का भी सहयोग बहुत आवश्यक है गवर्नमेन्ट मशीनरी ने भी इसमें सराहनीय कार्य किया है उसको प्रशंसा की जानी चाहिए। यद्यपि मैं उन गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के जो करेप्ट प्रेक्टिसेज एडाप्ट करते हैं उनके विरोध में हूं, परन्तु उन्होंने जो पट्टों का वितरण, आवासीय पट्टों के वितरण का कार्य किया है वह सराहनीय है। अगर यह कार्य पंचायतों पर डाल दिया जाता तो यह कार्य पंचायतों के द्वारा नहीं किया जा सकता था, उनके सामने कई कठिनाइयां थीं, उनके सामने उनको हल करने के लिये बहुत मुश्किलें थीं परन्तु राजकीय अधिकारियों में और कर्मचारियों ने इस कार्य को बड़े ढंग से और अच्छी तरह से पूरा किया, उसमें खामियां भी हो सकती हैं। हमारे जिलों में जहां कि यह समस्या नहीं है, टार्गेट ज्यादा करने के लिये, वहां पर भी अधिक पट्टे वितरण किये परन्तु क्योंकि जब इस प्रकार को होड़ लग जाती है तो अधिकारी वहां जाते हैं ज्यादा पट्टे वितरण करने के लिये। मैं कहना चाहता हूं कि जो पट्टे वितरण किये गये उसके अन्दर जो 150 स्क्वायर गज के जो पट्टे दिये गये वह रेगिस्तानी क्षेत्र के लिये बहुत ही कम पड़ते हैं। 150 वर्गगज में कोई किसान न तो अपने मवेशी रख सकता है, न उसमें अपना गुजारा कर सकता और निवास नहीं कर सकता। इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्र के लिये यह चाहिए कि 150 वर्गगज के पट्टों के बदले में दुगने यानी 300 वर्गगज के क्षेत्र के पट्टे वितरण करने चाहिए और यह राज्य सरकार को निर्णय जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। अगर इस प्रकार के 150 वर्गगज के पट्टे डेजर्ट एरिया में वितरण किये तो इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इन पट्टों के वितरण होने के बाद में, जब हम उनको पट्टे दे देते हैं परन्तु बाद में उनको बसाने का कार्य बहुत ही महत्व-पूर्ण कार्य है। मैं यह जानना चाहता हूं गवर्नमेन्ट से जानना चाहता हूं कि इनको जो पट्टे दिये गये उसमें कितने लोगों को बसाया गया है, जो फिगर्स दिये गये हैं शिड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 21 हजार लोगों को 8.59 करोड़ रुपये देकर मकानों के लिये ऋण दिया गया, लेकिन मकान पूरे नहीं बने हैं, पहले स्तर पर बन रहे हैं, कहीं नींव खुद रही है, कुछ मकान बने हैं और कुछ अल्प आय के वर्ग के लिए कहा कि 11 करोड़ की राशि खर्च होकर मकान बने हैं तो इस प्रकार 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर सभी 8 लाख मकान कम्पलीट हो जायं और 4,000) रु. के हिसाब से खर्च किया जाय तो 3 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं जो हमारी राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में नहीं है तो प्रश्न उठता है कि उनको किस प्रकार से बसाया जाय। मैं कहना चाहता हूं और गवर्नमेंट को समझना चाहिए, प्रेक्टिकल एप्रोच लेना चाहिए कि उनको कच्चे मकानों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे केरल में किया गया वैसे ही अपने यहां कच्चे मकानों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हम उनको ईंट दे सकते हैं तो वह दें और सामान की भी सुविधा दे सकते हैं। इस समय अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों में पक्के मकान बनाने के लिए होड़ आवेदन-पत्र पेश करने

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

को लग रही है। हमारे जिले में आवेदन-पत्र प्रस्तुत हुए हैं और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जिले के साथ घोर अन्याय व उपेक्षा बरती है। सिर्फ एक ही सोसाइटी को ऋण मिला है, बाकी किसी सोसाइटी को ऋण नहीं मिला है। वह सोसाइटी भी लड़खड़ा रही है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कच्चे मकान बनाने की योजना बनाए तभी जाकर प्रेक्टिकल एप्रोच होगा और लोग बस सकेंगे। 8 लाख लोगों को जो पट्टा दिया गया उनमें से कितने लोग जमीन पर जाकर बसे? रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहुत कम लोग बसे हैं, दूसरे जिलों में जहां ऐसी एक्यूट समस्या है। वहां उन्हें बसाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि मकान बनाने की जो आवश्यक मांग है उसकी पूर्ति हम करते हैं, यह आवश्यक चीज है। मकान के साथ में खाने-पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, यह तभी हो सकता है जब जीवन स्तर ऊंचा हो, हम कर्जे से मुक्त हों। अभी भी राजस्थान में 50 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीबी के स्तर के नीचे हैं। उनकी स्थिति को किस प्रकार से सुधारा जाए, यह गंभीर प्रश्न है। हमने चार योजनायें बनाईं, परंतु उनके बाद भी गरीब की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, रईस रईस होता गया, उसके लिए देख रहे है कि काले धन की समस्या कैसी है, समानान्तर आर्थिक पहलू हमारे सामने आया। अभी लोगों ने 14 अरब रुपए का काला धन और संपत्ति बताई। तो गरीब की स्थिति सुधारने के लिए हमें कदम उठाने हैं। उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? उसके लिए सबसे बड़ी बात है भूमि सुधार की। अगर उनको जमीन मिल जाती है और उस जमीन से उनकी इकोनॉमी चली जाती है और जीवन स्तर ठीक हो जाता है तब तो ठीक है। इसलिए भूमि सुधार के लिए जो कदम हमने उठाए हैं उसमें राज्य सरकार ने 68 लाख एकड़ जमीन वितरित की और अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को 40 प्रतिशत वितरित की। सीलिंग के अन्दर जो फिगर्स हमें प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार हमने 2 लाख 30 हजार एकड़ जमीन प्राप्त की और 88 हजार एकड़ जमीन हमने वितरित कर दी। अब जो जमीन सीलिंग कानून में आई है और जिस प्रकार का कानून बना हुआ है उसमें किसान को रद्दी से रद्दी जमीन दी गई। पहले वाले कानून में मुआवजा 20 गुणा रेट का था उससे भी वे संतुष्ट नहीं है, अब मुआवजा ज्यादा है। जो पहले ही गरीब हैं उनको आप क्या आर्थिक सहयोग देंगे? किस प्रकार जमीन का वह रुपया देगा और वह देने की स्थिति में नहीं है तो कैसे काश्त और हल की व्यवस्था कर सकेगा? तो गरीबी मिटाने के लिए ये गंभीर प्रश्न हैं।

अब प्रश्न उठता है, जहां तक मेरी जानकारी है, बैंक से, कोआपरेटिव्ज से हम किसान को 7 से 10 प्रतिशत ऋण दे पाते हैं और अभी भी 90 प्रतिशत महाजन के ऋणों से किसान ग्रस्त हैं। अब 90 प्रतिशत कर्जे से वह ग्रस्त है और कर्जे से हमें उन्हें मुक्त करना है। अभी हमारे गिरधारीलालजी व्यास ने अपने भाषण में कहा कि 2 लाख रुपये कर्जा रूरल बैंक ने दे दिया। बाड़मेर जिले में, पशुपालकों को कर्जा नहीं मिला सिर्फ कोआपरेटिव सोसाइटीज से काम

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

नहीं चल सकता। कोआपरेटिव सोसाइटीज में बहुत करप्शन है। मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि अपने को कोआपरेटिव मूवमेंट जिसके आधार पर हम आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं जो शोषण को हटाने का आधार है, बिचौलियों को खतम करने का आधार है, उसे हमें मजबूत करना है। अभी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों को भी इन्क्लूड किया गया है, 2 लाख से 2½ लाख सदस्य भर्ती हुए हैं उनके मैनेजिंग कमेटी में भी 1/3 सदस्य रहेंगे, उनको शार्ट टर्म लोन 1/3 दिया जायगा परंतु प्रश्न यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मैनेजिंग कमेटी में लेने में अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है? क्या मैनेजिंग कमेटीज में ऐसे कमजोर लोग आए हैं जिनकी कोई आवाज नहीं, आशा है, इस बारे में भी मंत्री महोदय उत्तर देंगे। इन मैनेजिंग कमेटियों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को अगर लिया जाए तो उसके लिए जिला कांग्रेस कमेटियों की राय लीजिए, संबद्ध विधायकों की राय लीजिए ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की आवाज हो और अपनी तरक्की कर सकें। इसलिए इस कोआपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने के लिए सरकार का ध्यान गया है, हम गरीबी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।

भूमि सुधार के बारे में अभी जो कानून बनाया अतिक्रमणियों को सजा दिलाने को, 15 गुणा से 50 गुणा की दर हमने निर्धारित की, क्राप एटेच करने के आदेश दिए, उसमें भी कानून का दुरुपयोग किया गया। जो गरीब व्यक्ति भूमिहिन व्यक्ति हैं जिनको एक बार लैंड एलाटमेंट कर दिया फिर बाद में एलाटमेंट कमेटी की बैठक नहीं हुई और उस कारण उनका पजेशन चलता रहा तो उन पर भी 50 गुणा जुर्माना और क्राप एटेच करना, यह उचित नहीं है।

दूसरी तरफ इस प्रकार के लोग हैं जिनके पास जमीन ज्यादा है, वे नाजायज तरीके से काश्त करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। परंतु जो भूमिहीन काश्तकार हैं जिनके पास जमीन नहीं हैं उनके खिलाफ इस प्रकार के सख्त कदम उठाना 50 गुणा रेंट वसूल करना उचित नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार को जिलाधीशों को आदेश देने चाहिए। नहीं तो हो सकता है जो भूमिहीन हैं जो गरीब लोग हैं, वह गरीब से और ज्यादा गरीब हो जायेंगे। आज जिनके पास फसल बोने के लिये पैसा नहीं था जिनके पास खाने-पीने की व्यवस्था नहीं थी उनसे आज राज्य सरकार जो जबरन वसूली कर रही है उससे हमारे वहां के गरीब तबके की हालत खराब हो जायेगी। आज वसूली के लिये जो प्रत्येक गांव में पांच पर्सेन्ट और दस परसेन्ट गरीब हैं उन गरीबों से जबरन वसूली कर रहे हैं जिन लोगों के पास कोई जमीन नहीं और जमीन जो है उनके पास जमीन होते हुए भी कोई साधन नहीं है बैल वगैरह के, जिन्होने काश्त नहीं की है और उनसे भी आप वसूली करने जा रहे हैं। जो काश्त करने की स्थिति में नहीं हैं उनसे आप वसूली नहीं देने के कारण उनके ऊंट व बैल वगैरह को अटेच कर रहे हैं तो उसको मजबूरन साहूकार के पास जाना पड़ता है। आप चाहते हैं कि काश्तकार साहूकार के फन्दे में नहीं फंसे तो उसके

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

लिये आपको इस प्रकार की प्रटेक्ट करने की व्यवस्था को खत्म करना होगा। आज जब भी आप किसान के ऊंट, बैल वगैरह प्रटेक्ट करने जाते हैं तो वह साहूकार के पास जाता है तो महाजन उसे कहता है कि हम तो तुम्हारे ऊंट वगैराह कुड़क नहीं करते हैं, हम तो तुम्हारे अगर फसल खराब हो जाती है तो हम जो तुम देते हो उसी को ले लेते हैं या फिर अगले साल ले लेते हैं और गवर्नमेन्ट तुम्हें इस प्रकार परेशान कर रही है आज आपका जिला स्तर पर पटवारी बेचारे गरीब काश्तकारों का शोषण करते हैं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम गरीबी मिटाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए हमारे गरीब किसान को राहत देनी पड़ेगी। आज हमारे यहां पर राज्य सरकार ने ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने भी सागड़ी प्रथा यानी जबरन मजदूरी के विरुद्ध कानून बनाया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में तो यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार ने 135 लोगों के खिलाफ केसेज बनाये, उन्हें गिरफ्तार किया है जिन्होंने कि सागड़ी लोगों को बना रखा था। सभापति महोदय, सागड़ी प्रथा के अन्तर्गत हमारे यहां पर कई लोगों को जबरदस्ती गिरवे रखा जाता था काम तो कोई करे और उसका लाभ सागड़ी रखने वाला उठाता था। लोगों के लड़कों को गुलाम बनाया जाता था तो, सभापति महोदय, आज के युग में यह चीजें चलने वाली नहीं हैं। राज्य सरकार ने इसके लिये कदम उठाये हैं वह स्वागत योग्य हैं। इस प्रकार राज्य सरकार ने जो हमारे टीनेन्सी एक्ट में सुधार किये हैं उसका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके लिये तो सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने चाहे उसमें हमारे कांग्रेसी सज्जन भी क्यों न हों अगर कांग्रेसी पार्टी के लोगों ने बेनामी जमीनें ले रखी हैं उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिए जिन कांग्रेसी लोगों ने सीलिंग कानून की अवहेलना की है उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। सभापति महोदय, आज भी हमारे यहां पर कुछ राजस्थान में ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें हजारों एकड़ जमीन के बेनामी ट्रान्जेक्शन्स हुए हैं। आज भी गंगानगर जिले में यह हमारे लिये एक बहुत बड़ी प्रोब्लम है, एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हल करने की आवश्यकता है। इसके लिये मुझे विश्वास है कि हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जो कि करप्शन के सख्त खिलाफ हैं और काफी स्ट्रांग वह इन बेनामी ट्रान्जेक्शन्स के लिये जरूर कार्यवाही करेंगे। इसके लिये चाहे कोई कांग्रेसी लोग ही क्यों नहीं हों उनके खिलाफ में एक्शन लेने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिये। आज जो मूवमेंट हमने गरीबी हटाने का किया है उसके लिये हमें इस ओर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अब दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर राज्य सरकार ने रेगिस्तान को समाप्त करने के लिये मरु विकास बोर्ड की स्थापना की है यह एक अच्छा कदम है इसी प्रकार ट्राईबल बोर्ड भी ट्राईबल एरिया के विकास के लिए बनाया है। लेकिन, सभापति महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मरु विकास मण्डल की एक भी बैठक नहीं हुई है। मरु विकास कमीशन बना है उसके

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

क्या फंक्शन्स होंगे उसके लिए भी कार्यवाही नहीं हुई है। उसने कोई काम नहीं किया है। इस प्रकार डी.पी.ए.पी. के जो कार्यक्रम हैं जिसका कि मैं भी एक सदस्य हूं जिसकी सूचना मुझे दिसम्बर में पड़ी की मैं भी उसका सदस्य हूं और उसकी मीटिंग 26 जनवरी को होगी। सभापति महोदय, डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड की जो गति है वह धीमी है उसको हमे तेजी से लागू करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, जब हमारे यहां पर फैमिन आता है उस वक्त हमें अकाल में लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं उस अकाल के स्थायी हल के लिये हमने जो कदम उठाये हैं वह सराहनीय कदम हैं। जो बोर्ड का गठन किया गया है, जो कमीशन बनाया गया है वह एक सराहनीय कदम है। लेकिन चूंकि इनकी प्रगति धीमी है अतः हमें यह प्रेरणा नहीं देते हैं। इसी प्रकार डी.पी.ए.पी. के प्रोग्राम्स का जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बताया गया है उसके अन्तर्गत कई कदम उठाये गये हैं। इसमें जालौर जिले में 132 के.वी. लाइन लगायी जा रही है इसी प्रकार जैसलमेर में भी विद्युत् की 132 के.वी. लाइन जा रही है उसका उल्लेख है, लेकिन उसमें बाड़मेर का कहीं भी उल्लेख नहीं है। हमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं भी यह उल्लेख नहीं मिलता है कि बाड़मेर में 132 के.वी. लाइन को लाया जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई ने कहा···

श्री रघुनाथ विश्नोई: शायद आपको जानकारी में नहीं है मैंने कहा कि जालौर से बाड़मेर जायेगी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मन्त्री): आप इनके कहने का मतलब नहीं समझे। उनके कहने का मतलब यह है कि जालौर से बाड़मेर की तरफ 132 के. वी. लाइन लाई जा रही है।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: 132 के.वी. लाइन लाने का जो निर्णय लिया गया है। उसमें बाड़मेर का खुलासा नहीं किया गया है वह स्कीम करोड़ों रुपयों की है पर बाड़मेर का उसमें उल्लेख नहीं है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर सदन में आज से कई साल पहले आश्वासन दिया गया था कि पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स और तहसील हैडक्वार्टर्स तक राज्य सरकार बिजली पहुंचा देगी। लेकिन मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि बाड़मेर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर अधिकांश पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स और तहसील हैडक्वार्टर्स बिजली से कनेक्टेड नहीं है। अभी भी बाड़मेर जिले की सिन्दरी पंचायत समिति, धोरियाना पंचायत समिति, बायतू पंचायत समिति व शिव पंचायत समिति विद्युत् से वंचित है। इसी प्रकार चौहटन पंचायत समिति भी विद्युत् से वंचित है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बाड़मेर जिले की पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स को और तहसील हैडक्वार्टर्स को विद्युत् से जोड़ा जाना चाहिये।

सभापति महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह है पानी की समस्या के बारे में है। हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो पानी की समस्या के बारे में काम हुआ है वह सराहनीय है। हमारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

योजना में पानी के लिए जो खर्च नहीं किया गया वह हमारे यहां चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खर्च किया गया है। यह एक सराहनीय कदम है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी हमारे बाड़मेर जिले में पानी की बहुत भारी कठिनाई है आज भी हमारे प्रान्त में 33 हजार गांवों में से 22 हजार गांवों में यह समस्या है जिसमें 16 हजार गांव ऐसे हैं जहां आज भी पानी की एक्यूट प्रोबलम है उसके हल करने के लिये हमने हमारी पंचम पंचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था की है उसके लिए राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? आज बाड़मेर जिले के कई हजार गांवों में ड्रिंकिंग वाटर की गम्भीर प्रोबलम है आज भी हमारे यहां पर कई जगह लोगों को 6-6 और सात-सात और कई जगह तो आठ आठ मील से पानी लाना पड़ता है इसके लिए राज्य सरकार को कार्यक्रम बनाकर तुरन्त कदम उठाने की जरूरत है यह बहुत ही आवश्यक है इसके लिए जो हमारी प्रधान मन्त्री ने बीस सूत्री कार्यक्रम या 21 सूत्री कार्यक्रम जो भी चलाये हैं इसमें इसका हवाला नहीं है तो हमें पानी की समस्या के लिए 22 सूत्री कार्यक्रम बनाकर इसे जोड़ना चाहिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसको महत्व देना जरूरी है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वैसे तो राज्य सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को राहत पहुंचाने के लिये कई कदम उठाये हैं लेकिन जब तक राज्य सरकार शराब बन्दी के लिये कदम नहीं उठायेगी तब तक मैं समझता हूं कि आप गरीब लोगों को राहत नहीं पहुंचा सकेंगे। एक तरफ आप गरीबी दूर करना चाहते है दूसरी तरफ आप शराब से ही राज्य सरकार को आमद बढ़ाकर उन लोगों का विकास करने की बात करते है। मैं समझता हूं इससे आप उनका एक तरफ विकास करके दूसरी तरफ विनाश कर रहे है। इससे गरीबी बिल्कुल नहीं हटेगी। इसके लिये मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार 20 सूत्री कार्यक्रम की तरह हमारे आचार्य विनोबा भावे की सलाह पर केन्द्रीय सरकार ने 12 सूत्री कार्यक्रम शराब बन्दी के लिये बनाया है उसको लागू नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों की गरीबी दूर नहीं कर सकेंगे। इसलिये इसके लिये राज्य सरकार को कार्यवाही करना अनिवार्य है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में आया है उसका समर्थन करता हूं और राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को चाहिये कि विद्युत् का विकास हमारे यहां किया जाय और गरीबों की उन्नति के लिये जो भी आर्डिनेन्सेज आये हैं उन सभी को पास करके गरीबों की गरीबी दूर की जाय और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की जो स्कीम बनायी गई हैं उनका इम्प्ली-मेन्टेशन जिला स्तर व ब्लाक स्तर पर पूरी तरह से लागू किया जाय और इसके लिये पूरी शक्ति और ताकत लगा दें तो राज्य सरकार बहुत बढ़िया गरीबों के लिये कार्य कर सकेगी।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल गहलोत ।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करूंगा।

कुछ समय पहले समाजवादी दल के नेता पदमपुर से आने वाले माननीय सदस्य लोकतन्त्र का मखौल उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि लोकतन्त्र रहा ही नहीं। जिन लोगों ने जिस तरह का वातावरण पैदा किया और जो उस वातावरण के प्रति जिम्मेदार हैं और उस वातावरण को काबू में रखने के लिये जब कदम उठाये गये तो अब उनको दोष दिया जा रहा है।

लोकतन्त्र की परिभाषा कई विद्वानों ने कई तरह की है। एक विद्वान का कहना है कि लोकतन्त्र जनता का राज्य और जनता के लिए और जनता के द्वारा Government of the people, by the people and for the people है।

एक विद्वान ने लोकतन्त्र का मतलब यह लिया है 'कानून का राज्य' Rule of the law दूसरे विद्वान ने कहा है लोकतन्त्र का मतलब है चर्चा से, वाद-विवाद से Government by debate discussion and consent.

परन्तु एक विद्वान ने कहा है कि लोकतन्त्र की परिभाषा है वह यह है—

Government by self-discipline एवं अनुशासन से सरकार चलाना सच्चा लोकतन्त्र चाहिये तो वह है सच्चा लोकतन्त्र जहां व्यक्ति अपने आपको अंकुश में रखते हैं; मर्यादाओं में काम करते हैं, न सरकार को इस्तिफा देने के लिए बाध्य करते हैं न बाध्य करने के लिए इस्तिफा देते हैं, न यह कहते हैं कि विद्यार्थी पढ़े नहीं, न यह कहते हैं कि कारखानों में हड़ताल करिये, और न ही यह कहते हैं कि उपभोक्ता इस हालत में आन्दोलन करें।

इस तरह से लोकतन्त्र का मखौल उड़ाने वाले जब लोकतन्त्र का विरोध करते हैं और मजाक उड़ाते हैं तो हंसी आती है। 26 जून, 1975 को आपातकालीन स्थिति की घोषणा इसी चीज की घोषणा थी कि हम स्व अनुशासन खो चुके हैं। उसको फिर से लागू करने के लिए प्रधान मंत्री ने आपात कालीन स्थिति की घोषणा की।

सभापति महोदय, आपातकालीन स्थिति हमें एक रास्ता दिखाती है कि हम आगे बढ़ें। अलोकतान्त्रिक तत्वों को काबू में रखें, उनको लोकतन्त्र को नष्ट न करने दें। गरीब लोगों के साथ किये गये वायदों को पूरा करने दें। हमारे देश की और राज्य की सरकार इस ओर कटिबद्ध है। हमारी प्रधान मंत्री ने जो 20 सूत्री नया आर्थिक कार्यक्रम दिया है उस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। मैं इसको तीन भागों में विभाजित करता हूं।

पहला भाग यह कहता है कि समाज के विभिन्न तत्व हैं, अमीर और गरीब की आय और सम्पत्ति में कम से कम विषमता रहे, अर्थात् इसको लागू करने के लिए गांव की जोत की सीमा, शहरों में सम्पत्ति सीलिंग और इस सम्बन्ध में जो बिल आ रहा है,

(श्री अमृतलाल गहलोत)

मैं यह कहूंगा कि काले धन की घोषणा करना भी एक कदम है, आय की सीमा बढ़ने पर टैक्स बढ़े यह भी एक कदम है, समाज के विभिन्न तत्वों में जो धन और सम्पत्ति की विषमता है, उसको कम करना।

दूसरा कार्यक्रम है वह है आर्थिक उन्नति करना। उत्पादन बढ़ाना यह भी आर्थिक उन्नति है। राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो। पचास लाख हैक्टेयर भूमि में अधिक सिंचाई करना, नये थर्मल स्टेशन्स स्थापित करना, हैंडलूम इन्डस्ट्री लगाना, श्रमिक शान्ति कायम रखना आदि ये विविध कार्यक्रम हैं वे तमाम देश के उत्पादन को बढ़ाने जा रहे हैं और इनका आर्थिक कार्यक्रम में समावेश किया गया है।

तीसरा जो कार्यक्रम है वह यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधायें–यह उसको उपलब्ध कराई जायं।

इन तीनों ही मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है। मैं आपके सामने संक्षेप में उन कार्यकलापों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से कदम उठाये गये हैं उनका विवरण प्रस्तुत करना चाहूंगा।

सबसे पहले मनुष्य के जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वह है भोजन। भोजन के सम्बन्ध में यह निर्विवादित बात है कि जितना व्यक्ति गरीब होगा उतना ही ज्यादा अनाज का उपयोग वह करेगा। कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष बहुत ही आशातीत नतीजे निकले हैं। कहते हैं कि इस वर्ष राजस्थान राज्य का अन्न का उत्पादन 80 लाख टन होगा। इस देश का 11॥ करोड़ खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है। राजस्थान में देश की जन संख्या 4॥ प्रतिशत और खाद्यान्न का उत्पादन 7॥ प्रतिशत। 1.8 मिलियन टन खाद्यान्न उपलब्ध होने जा रहा है। 3 मिलियन टन हमारे पास अधिक उपलब्ध रहेगा।

संसार भर में जहां मुद्रा प्रसार हुआ है इन्फ्लेशन है उसके दो-तीन कारण हैं। इस वर्ष भी और तीन वर्ष पहले भी सोवियत रूस में भयंकर अकाल था और पश्चिमी यूरोप में भी भयंकर अकाल था। तीन वर्ष पहले चीन और रूस में अकाल था। चीन रूस और पश्चिमी यूरोप के देश कनाडा और युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की ओर दौड़ते हैं। युनाइटेड स्टेट्स इन देशों की कमजोरी को अच्छी तरह से समझता है। वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके भाव चढ़ा देते हैं। जहां एक डालर में वह एक बुशल गेहूं बेचता था वहीं 5 डालर प्रति बुशल बेचता है। जो अधिक उत्पादन करता है उसकी यह हालत है। उससे भी ज्यादा भयंकर हालत है। 31 दिसम्बर 1975 की मध्य रात्रि को मालूम पड़ा 13 मुल्कों ने जो कि पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं और जिनका एक संगठन है, जिसको ओ. पी. ई. सी. कहते हैं Organisation of Petrol Export Countries इसमें दक्षिणी अमेरिका के देश भी शामिल हैं अरब कन्ट्रीज के साथ। इन मुल्कों ने 31 दिसम्बर की 12 बजे जो एक बैरल के भाव थे, उनको तिगुना कर दिया और और उसको 9.48 डालर पर बैरल कर

(श्री अमृतलाल गहलोत)

दिया। रातों रात तिगुना कर दिया। भारत की मुद्रा पर इस का भी असर पड़ा और जहां 350 करोड़ का आइल इम्पोर्ट करते थे उसकी जगह उतने ही आइल का भाव 10 अरब रुपया हो गया। यह अधिक भार पड़ा ओ.पी.ई.सी. के निर्णय के कारण। 1 हजार करोड़ का अधिक आयात करने से हमारी आर्थिक स्थिति पर अधिक भार पड़ा। 1 अक्टूबर 75 से दस परसेन्ट की इन देशों ने और वृद्धि की और इस प्रकार 1100 करोड़ का इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। सोवियत रूस में निरन्तर अकाल से भी इफेक्ट पड़ा। 10 पर्सेन्ट, 15 पर्सेन्ट भाव बढ़ जाने के बावजूद भी औद्योगिक वस्तुओं में भावों का गिरना यह इस बात का द्योतक है कि आर्थिक परिस्थितियों पर राज्य सरकार ने और देश की सरकार ने काबू पा लिया है। इन परिस्थितियों में लोकतन्त्रीय तरीके से कदम उठाया और उत्पादन बढ़ाने से भी अनाज के भावों पर असर पड़ा है। एक विद्वान् का कहना है—

If foodgrain prices fall the prices of other commodities will also fall.

अनाज के भाव गिरेंगे तो उससे संलग्न दूसरे भाव भी गिरेंगे अर्थात् अब यह परिस्थिति हो गई है कि खाद्य पदार्थों और कृषि चीजों के भाव काफी ठीक हो चुके हैं लेकिन अब इससे अधिक भाव गिरे तो किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा और उनका जो इन्सेन्टिव है उसको धक्का पहुँचेगा। अब कम से कम भाव गिरें, इस प्रकार का कदम उठाना पड़ेगा। परन्तु हर वर्ष अच्छा नहीं होता है, कभी इन्द्र भगवान की कृपा हो जाती है तो कभी इन्द्र भगवान की कृपा नहीं होती है। इस वर्ष जो भाव गिरे हैं उसमें कम से कम भाव निर्धारित करके चलना चाहिये कि इस भाव पर कन्ज़ूमर को अवश्य मिलना चाहिये। और हमारे पास बफर स्टाक भी इतना होना चाहिये कि कभी काफी कमजोर वर्ष भी पड़ जाय तो हमें विदेशों की तरफ न देखना पड़े अर्थात् बरसात ठीक नहीं हुई तो नतीजा यह होगा कि फिर से इनफ्लेशन होगा। अतः प्राइस सपोर्ट और बफर स्टाक इन दोनों पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार ध्यान दें।

अभी की जो पोजीशन है यदि शीत-लहर न हुई तो मैं, सभापति महोदय, निवेदन करता हूँ कि इस वर्ष बफर प्रोडक्शन होगा इसलिए उचित मूल्य निर्धारित करें वरना किसानों को प्रोत्साहन नहीं बढ़ सकेगा।

दूसरी वस्तु है वस्त्र का जो प्रोग्राम नं. 10 है। वैसे कन्ट्रोल का कपड़ा मार्केट में बहुत मिलता है। इस कपड़े के निर्माण में नौकरशाही और मिल मालिकों की बहुत बड़ी साजिश है। कन्ट्रोल के कपड़े का इतिहास बहुत पुराना है। यह सन् 1943 से चलता आ रहा है। पहले यह स्टेन्डर्ड क्लाथ कहलाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको निकाला था और इसके भाव भी मुकर्रर किये थे किन्तु वह भी फेल हुआ है। बाद में जो गवर्नर बने, मुझे नाम तो याद नहीं है उन्होंने भी कहा था यह फेल हो गया है। उसके बाद कई बार कन्ट्रोल जारी होता है और कई बार फेल होता

(श्री अमृतलाल गहलोत)

है। सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं, हालांकि राज्य सरकार का सीधा जिम्मा नहीं है यह फिर फेल होगी, अगर यहां के मिल मालिकों पर और नौकरशाही पर अंकुश नहीं लगाया गया तो। एक फार्मूला है मल्टीपल डिफरेन्स होता है। उस फार्मूले से कन्ट्रोल के कपड़े के भाव निर्धारित किये जाते हैं। लेकिन इसमें इनफीरियर कपड़े के भाव ऊंची से ऊंची कीमत के रखना और टेक्सटाइल आफिस के आफिसर्स मिले हुये होते हैं इससे वह फेल हो जाता है। मैं कहता हूं अपने राजस्थान में, माननीय सभापति महोदय, मैं सहकारिता मंत्री से निवेदन करता हूं पिछली बार एक करोड़ रुपयों की बिक्री पड़ी हुई थी; कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि उस तरह का कपड़ा अभी भी लोगों के पास पड़ा है। मिलों ने साजिश की है, इससे कन्ट्रोल का कपड़ा कोई उठा नहीं रहा है और इसलिए नहीं उठा रहा है कि वह इनफीरियर है। मिल मालिकों का सेबोटेज करने में हाथ है-नौकरशाही और मिल मालिक मिले हुए हैं। इसके बारे में मेरा सभापति महोदय, एक सुझाव है कि एक सर्वे किया जाय। मैंने व्यक्तिगत सर्वे की है और वह यह है कि केवल 12-13 किस्म के कपड़े को स्टेन्डर्डाइज किया जाय। आज मिल मालिकों ने डेढ़ लाख वेरायटी बना दी है। किसी दुकान में कपड़ा लेने घुसो तो फ्लोरेसेन्ट ट्यूबस के नीचे जो आंखों को चौंकाती करती है घटिया कपड़े को भी चमका देती है और खरीददार को बेवकूफ बनाया जाता है।

सभापति महोदय, इसी सम्बन्ध में मैंने जापान और यू.एस.ए. की मिलों का एक पेपर पढ़ा है। आज जापान में सारा कपड़ा स्टेन्डर्डाइज है। उनकी मिलें कुछ ही वेरायटी बनाती हैं जैसे यू.एस. 34 और 38-39 मिलें बनाती हैं वह सब स्टेन्डर्ड कपड़ा बनाती है। उनकी किस्म निर्धारित होती है, लेकिन यहां की मिलें हर बार चेन्ज कर देती है। अगर हमारे देश में कन्ट्रोल के कपड़े को सफल बनाना है तो स्टेन्डर्डाइजेशन करना पड़ेगा, उसके अन्तर्गत 12-13 किस्म का कपड़ा फिक्स कर दिया जाय आज न हमको पापलीन का कपड़ा मिलता है न पजामे के लिये लट्ठा मिलता है और न सिलवार कुर्ते के लिए ही कोई कपड़ा ठीक से मिलता है और न पहनने के लिये हमको खादी ही मिलती है। अनावश्यक कई किस्में बनाकर स्कीम को फेल किया गया है। अतः मानव की जो यह मूलभूत आवश्यकता है वस्त्र की उसके लिये मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि टेक्सटाइल मिलों को निर्देश दें कि केवल वे निर्धारित किस्म के कपड़े ही बनायें। स्टेन्डर्ड कपड़े, मास प्रोडक्शन और मास कन्जम्पशन ये तीन चीजें हैं जो मनुष्य के कपड़े की समस्या को हल कर सकती हैं।

अब मनुष्य की तीसरी मूलभूत आवश्यकता आवास की है। आवास की समस्या दिन ब दिन कठिन होती जा रही है। 26 जनवरी 76 तक 5 लाख 46 हजार भू-खण्डों का ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटन किया गया और राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि दो लाख भू-खण्डों का और आवंटन कर दिया गया है। इससे करीब कुल मिलाकर 8 लाख हो

(श्री अमृतलाल गहलोत)

चुके हैं। राजस्थान में कम से कम 50 लाख परिवार बसते हैं....

(4.38 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

जिसमें 10 लाख परिवार बड़े शहरों में बसते हैं। अब इस 40 लाख परिवारों में से 20 प्रतिशत को इस डेढ़ साल में भू-खण्ड दे देना, मैं समझता हूं बहुत ही सराहनीय काम है और कोई भी समझदार आदमी इस कदम को सराहे बिना नहीं रह सकता है। 20 प्रतिशत को प्लाट दे दिये जायं तो यह एक बड़ी भारी प्रगति की निशानी है। आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं कि 20 प्रतिशत परिवारों को जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, गरीब तबके के लोग, भूमिहीन लोग सब आ गये। मैं समझता हूं मानव की तीसरी मूलभूत आवश्यकता आवास की है जिसको राज्य सरकार ने बड़ी मुस्तैदी से हल किया है और यह राज्य सरकार की एक उपलब्धि है, लेकिन मैं अपना रोना भी माननीय मंत्री महोदय को सुनाना चाहता हूं। शहरों में भू-खण्डों की बहुत आवश्यकता है। जितना बड़ा शहर होगा उतनी ही भू-खण्डों की कीमतें ज्यादा होंगी और उतना ही बड़ा शहर गन्दा होगा। कलकत्ता, बम्बई बड़े शहर हैं उसमें गन्दापन भी ज्यादा है, ऊंचे ऊंचे मकान हैं और भू-खण्डों की कीमतें भी ज्यादा हैं। कलकत्ता और बम्बई की भयंकर गन्दी बस्तियां हैं जहां मनुष्य नारकीय जीवन बिता रहे हैं उसी प्रकार जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में भी ऊंचे ऊंचे मकान हैं गन्दे भी और भू-खण्डों की कीमतें भी अधिक हैं। पिछले तीन-चार साल में मेरे शहर में माननीय मदेरणा साहब पधारे थे, उन्होंने एक नई स्कीम चालू की थी। उसके पश्चात् 4 हजार, 5 हजार प्लाटों का आवंटन किया और उस स्कीम के अन्तर्गत गरीबों से रुपये भी जमा करवाये लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल हो गये उनको भू-खण्डों पर कब्जा नहीं दिया गया। जो निहित स्वार्थ के लोग थे वे उन जमीनों पर स्टे ले आये। ये अदालतें हमको काम नहीं करने देती हैं उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक सूचना मिली है और मैं स्वायत्त शासन मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नया आर्डिनेन्स जारी करने का विचार किया है उसके तहत राज्य सरकार ने अधिकार लिया है कि उनकी जमीन के ऊपर सरकार कब्जा कर ले। मैं समझता हूं कि या तो आर्डिनेन्स हमारे सामने सेशन के बाद आयेगा या फिर इसी सेशन में बिल आ जायेगा। जब सड़क निकालने के लिए राज्य सरकार सशक्त हो चुकी है तो क्यों नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन विभाग अपने आप में सशक्त करती है कि उन जमीनों का कब्जा कर ले जिसके लिए हमारा टाउन प्लानिंग विभाग नियुक्त कर चुका है। मैं निवेदन करूंगा कि शहरी क्षेत्र में आवास की समस्या बद से बदतर होती जायेगी। हम हर एक को मकान नहीं दे सकते, लेकिन अपना सिर ढकने के लिए सर्दी, गर्मी, और बरसात से बचाव के लिए जमीन का टुकड़ा लोगों को दे सकें जिससे वह अपने परिवार को बचा सकें। अतः उपाध्यक्ष महोदय, शहरों की यह सबसे बड़ी समस्या है। मैं आशा करता

(श्री अमृतलाल गहलोत)

हूं कि ऑर्डिनेन्स या तो सेशन के बाद आयेगा और पहले आ गया तो फिर वह बिल बन ही जायेगा और अधिक से अधिक सरकार निहित स्वार्थ के लोगों से जमीन लेकर भूमिहीनों को देगी, ऐसी मैं आशा करके चलता हूं। आपने देहातों में 20 परसेन्ट लोगों को जमीन दे दी है। मैं आशा करता हूं कि शहरों में भी कोई आदमी ऐसा नहीं बच सके कि जिसके पास भू-खण्ड नहीं हो।

उपाध्यक्ष महोदय, जीवन की चौथी मूल-भूत आवश्यकता शिक्षा है मैं शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि इस समय 167 मिडिल स्कूलों को सेकेण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, शहरों की शिक्षा की समस्या बहुत जटिल है। हमारे यहां पर राज्य सरकार द्वारा चलाये गये स्कूल हैं। लेकिन केवल उनसे पार पड़ने वाली बात नहीं है। उससे दुगुनी और चौगुनी स्कूलें आज एडेड स्कूल हैं। राज्य सरकार ने पिछले दो सालों में सर्वे करके और कमेटी बैठाकर सारी स्कूलों का पुनः वर्गीकरण कराया। यह पुनः वर्गीकरण की योजना अभी भी लिफाफे में बन्द पड़ी है और उसको नहीं खोला जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी योजना थी कि जो अच्छा काम करने वाली संस्थायें हैं उसके अनुपात में उसको अनुदान दिया जायगा। पहले जो अच्छा काम करने वाली संस्थायें थीं उनको बहुत कम अनुदान मिलता था और जो बुरा काम करने वाली थीं उनको 90 परसेंट तक अनुदान मिलता था। लेकिन रि-केटेगेराइजेशन में अनुदान काम के नतीजे के माफिक दिया जायेगा। यह योजना क्यों नहीं क्रियान्वित की जा रही है इसलिए कि वित्त मंत्रीजी 4 लाख रुपया स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी पुनः वर्गीकरण की योजना को लागू नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां शिक्षा का 74 करोड़ का बजट है और बार बार हाउस में आश्वासन दिया था कि यह लागू की जायेगी, वह योजना लिफाफे में बन्द पड़ी है। किस कारण से बन्द पड़ी है इसलिए कि 4 लाख रुपया नहीं है। 74 करोड़ के प्रवोरशन में 4 लाख नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा मजाक है। मैं कहता हूं; उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कई स्कूलें बन्द पड़ी हैं और हो रही हैं और अगर यह योजना क्रियान्वित नहीं की गयी तो बच्चों का जीवन अंधकारमय हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए जो 4 लाख रुपया मांगा है इसका शीघ्र निपटारा कीजिये और पुनः वर्गीकरण की योजना को लागू कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जीवन की पांचवीं मूलभूत आवश्यकता स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। वैसे 103 आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं। उसका कारण यह है कि राज्य सरकार द्वारा ज्यादा धनराशि स्वास्थ्य के लिए नहीं दी गई है। हालत यह हुई कि मेरे क्षेत्र में मेडिकल कालेज है उसका निर्माण कार्य चल रहा था वह आज बन्द हो गया। पूछा कि क्यों बन्द हो गया तो मालूम पड़ा कि पैसा नहीं है। म अथन-

(श्री अमृतलाल गहलोत)

निर्माण के लिए पैसा है, न दवाई के लिए पैसा है और न भोजन के लिए पैसा है और आज हालत यह हो रही है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम कल्याणकारी राज्य के नजदीक नहीं जा रहे हैं। हमारे यहां राजस्थान में जहां 10 हजार के पीछे एक डाक्टर है वहां पंजाब में 4 हजार के ऊपर एक है। स्वास्थ्य के बारे में राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो न तो अच्छी हैल्थ बन सकती है, न वह सैनिक बन सकता है और न अच्छा नागरिक बन सकता है। एक अंग्रेजी में कहावत है :

"Health is the horse on which you ride."

अत: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें और जो कुछ प्रगति की गयी है वह संतोषजनक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लॉ मिनिस्टर के रूप में शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं। उन्होंने विधि विभाग में सुधार किये उसकी भी मैं चर्चा कर दूं। राजस्थान हाईकोर्ट बनने के बाद आर. जे. एस. का कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना। पहले एक थे हमारे यहां के श्री वांचू साहब और अब श्री पी. एन. सिंगल जो कि पहले इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थे और उसके बाद में वह इधर आ गये और सेशन्स जज बन गये और आर. एच. जे. एस. में हो गये। वह सुप्रीम कोर्ट में जज बन गये। दूसरे विधि मंत्री जी ने कोशिश करके हजारों केसेज हमारे यहां हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं और लोगों को न्याय शीघ्र नहीं मिल रहा था। 1974 में एक नया हाईकोर्ट जज बनाया और 1975 की साल में भारत सरकार ने उसके लिए सहमति दे दी। इस प्रकार अब 14 स्थाई जज हैं और 4 एडीशनल जज हैं। अर्थात् अब 14 हाईकोर्ट के जजेज होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि एक अजीब किस्सा है जो सभी लोग जानते हैं। इसी साल दो तीन महीने पहले हमारी हाईकोर्ट का इन्सपेक्शन करने के लिए हमारे देश के चीफ जस्टिस श्री अजितनाथ रे आये और उनके पास वकील लोग एक रिप्रेजेन्टेशन लेकर मिले। उन्होंने उसमें कहा कि जजेज का ट्रान्सफर होना चाहिए। यहां जो जजेज रहते हैं वह सदा यहीं रहते हैं और यहीं के होते हैं और उनके काफी संबंध होते हैं इसलिए इनसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलता, एक ही जगह पर रहने के कारण। इसलिए यहां का जज यहां नहीं होना चाहिए। बाद में चीफ जस्टिस ने उनकी बात पर ध्यान दिया और चीफ जस्टिस ने कहा कि :

"Judges must be prepared for transfer."

यह बड़ा स्वस्थ वातावरण होगा। यहां के जो जजेज होते हैं तो किसी का बेटा तो किसी का भाई वकालत करता है और लोग आज यह सोचते हैं कि कौन से जज का कौन नजदीक का वकील है, उसी को केस देंगे। यह प्रेक्टिस बहुत जोरों से है। अत: निष्पक्ष और सस्ता न्याय चाहिए तो यहां का जज यहां नहीं रहे और

(श्री अमृतलाल गहलोत)
बाहर का आयेगा तो वह निष्पक्ष रूप से काम करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अच्छे लोगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और अच्छी न्याय पद्धति के लिए जजेज परमानेन्ट नहीं रहने चाहिए ट्रान्सफर होनी चाहिए।

दूसरे कोर्टस् की संख्या काफी अच्छी हैं। सन् 1973 में 172 मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्टस् थीं और अब 237 हो गयी हैं। अर्थात् दो साल के अन्दर 104 नयी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्टस बनी हैं। हमारे प्रदेश में इस समय 46 डिस्ट्रिक्ट्स एण्ड सेशन्स जज हैं और 27 जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं। पिछले दो तीन सालों में जब जुडीशियरी को सेपरेट किया गया तो अदालतों की संख्या में वृद्धि की गयी और मैं तो समझता हूं कि "जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड" माने न्याय पाने में देरी होती है तो निष्पक्ष न्याय नहीं मिलता। अर्थात् जितना शीघ्र न्याय हो उतना ही अच्छा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कदम उठाये वह अच्छे थे। आपने कोर्टस की संख्या बढ़ा दी है इसलिये अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों और बिजली के बारे में मैं आपके सामने निवेदन कर दूं बिजली के बारे में हमारा आर्थिक कार्यक्रम एक कार्यक्रम है जिसको सुपर थरमल स्टेशन कहा जाता है। इस तरह के थरमल स्टेशन हमारे यहां पर चाहिए जिसकी कैपेसिटी एक हजार मेगावाट की हो। आज सुबह ही एक प्रश्न था थरमल पावर के बारे में, कोटा के बारे में वह थरमल पावर चार सौ मेगावाट के बारे में था। एक होता है थरमल स्टेशन और दूसरा होता है सुपर थरमल पावर स्टेशन जो कि अन्तर्राष्ट्रीय टैक्नोलाजी है उसके मुताबिक यह सुपर थरमल स्टेशन एक हजार मेगावाट का होता है जो कि कोयले की खानों के आस पास लगाया जाता है, जिनकी विसिनिटीज के पास वहां बिजली पैदा करके ट्रांसमीट करते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आज से आठ रोज पहले, उपाध्यक्ष महोदय, यदि राजस्थान आटोमिक पावर प्रोजेक्ट यदि शुरू नहीं किया जाता, जो प्रोजेक्ट छः महीने से बन्द पड़ा हुआ था वह यदि पावर जनरेट शुरू नहीं कर देता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यहां पर पावर कट हो जाता। न किसानों को पावर मिल पाता, न उद्योगों को पावर मिल पाती। परन्तु पावर मिलने से अभी तो काम चल गया लेकिन क्या आप समझते हैं कि भाखरा हर वर्ष ओवर फ्लो होता रहेगा। भाखरा बनने के बाद इस वर्ष ओवर फ्लो हुआ है। क्या चम्बल की घाटी के तीनों बांधों में हमेशा पानी आता रहेगा। यह बात आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि यदि अगले साल बरसात कम हुई और भाखरा और चम्बल की घाटियों के बांधों में पानी नहीं आता है और आटोमिक पावर प्रोजेक्ट छः छः महीने बन्द रहे तो आप कितने ही स्टेप्स लेलें यहां के उत्पादन को क्षति पहुंच सकती है। आपका यह बहुत ही दूरदर्शिता-पूर्ण काम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस प्रश्न पर सोचे, एक डिपेंडेबल सोर्स आफ पावर हो। यदि वह नहीं होता है, और [illegible] थरमल पावर को सुपर थरमल [illegible] नहीं जोड़ते हैं तो मैं

(श्री अमृतलाल गहलोत)

आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर अगले साल बरसात ने कुछ धोखा दिया तो हमारे यहां पर इण्डस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सारे बैठ जायेंगे।

जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के सम्बन्ध में मैं बहुत निराशावादी हूं इसलिए निराशावादी हूं कि हमारे पड़ोसी राज्यों में, हरियाणा और पंजाब में कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा जो सड़क से जुड़ा हुआ नहीं हो। सारी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, उपाध्यक्ष महोदय, केवल छः करोड़ रुपया सड़कों के लिए रखा गया है और छः करोड़ से कुछ सड़कें नहीं जुड़ सकती हैं। सड़कों से नहीं जुड़ने के कारण न तो किसानों को उत्पादन लाने का सस्ता रास्ता मिलेगा और न हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। अतः सड़कों का होना अत्यन्त जरूरी है, और, उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज के बारे में मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं। मेरा हित उससे सम्बन्धित है। इस वक्त कृषि उपज मंडी समिति के मार्फत काफी संख्या में वस्तुओं पर फीस लगाई गई है और उससे समिति को पन्द्रह बीस करोड़ की आय होगी। इससे जो आय होगी उसमें अधिकतर सड़कों के विकास के काम में लगाया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि अगले पांच साल में दस करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से भी लें तो भी पचास करोड़ रुपया लग सकता है। पंजाब और हरियाणा में जो सड़कों का विकास हुआ वह पैसा राज्य सरकारों ने नहीं लगाया है बल्कि 27-28 करोड़ रुपया एन्युअल, प्रति वर्ष कृषि मंडी की तरफ से आता है और यही वजह है कि वहां पर सड़कें बनी हैं। मैं आशा करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ प्रतिक्रियावादी तत्व इसका विरोध करते हैं कि मण्डी फीस नहीं लगनी चाहिए। इसका न तो जनता विरोध करती है और न किसान विरोध करते हैं बल्कि निहित स्वार्थी लोग विरोध करते हैं। मण्डी फीस न लगे तो न तो विकास हो और न विनाश ही हो। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कदम उठाए हैं उससे पीछे न हटें और जो प्रतिक्रियावादी तत्व हमारे इस प्रगतिशील कदम का विरोध कर रहे हैं उनकी बातों में न आवें। उनकी बातों से प्रभावित नहीं हों।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने काफी समय ले लिया फिर भी...

श्री उपाध्यक्ष : विधि मंत्रीजी।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 23वां प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं जो निम्न प्रकार है :

कार्य सलाहकार समिति की बैठक 6 जनवरी, 1976 को अपराह्न 3.30 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 7 जनवरी, 1976 से 23 जनवरी, 1976 तक लिये जाने वाले कार्य का

(श्री खेतसिंह)

बटवारा निम्न प्रकार किया जाय :

बुधवार, 7 जनवरी, 1976	– राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद ।
गुरुवार, 8 जनवरी, 1976	– बैठकें नहीं होंगी ।
शुक्रवार, 9 जनवरी, 1976	– राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद ।
शनिवार, 10 जनवरी, 1976 रविवार, 11 जनवरी, 1976	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, 12 जनवरी, 1976	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद ।
मंगलवार, 13 जनवरी, 1976 बुधवार, 14 जनवरी, 1976	बैठक नहीं होगी ।
गुरुवार, 15 जनवरी, 1976	(1) राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1975 (2) राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975 (3) राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975; और (4) राजस्थान स्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 1975 पर विचार और पारण ।
शुक्रवार, 16 जनवरी, 1976	(1) राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1975 (2) राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1975 (3) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1975; और (4) मजदूरी विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 पर विचार एवं पारण ।
शनिवार, 17 जनवरी, 1976 रविवार, 18 जनवरी, 1976	बैठक नहीं होगी ।

Page No 104

(104)

(श्री खेतसिंह)

सोमवार, 19 जनवरी, 1976	(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1975
	(2) राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1975; और
	(3) राजस्थान सागरी प्रथा उन्मूलन (निरसन) विधेयक, 1975 पर विचार एवं पारण।
मंगलवार, 20 जनवरी, 1976	(1) राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973
	(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1975
	(3) राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियंत्रण) विधेयक, 1975; और
	(4) रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 पर विचार एवं पारण।
बुधवार, 21 जनवरी, 1976	(1) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975
	(2) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975
	(3) राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976; और
	(4) राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) संशोधन विधेयक, 1975 पर विचार और पारण।
गुरुवार, 22 जनवरी, 1976	(1) राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण समाप्ति) विधेयक, 1975
	(2) वर्ष 1975-76 के लिए अनुपूरक मांगें (प्रथम संकलन) व इनसे संबंधित विनियोग विधेयक
	(3) वर्ष 1970-71 के लिए अतिरिक्त मांगों और उनसे सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर विचार व पारण
शुक्रवार, 23 जनवरी, 1976	— गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस।

105

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि कार्य सलाहकार समिति के 23 वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

सदन की कार्यवाही कल बुधवार, दि. 7 जनवरी, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 4.58 पर बुधवार, दिनांक 7 जनवरी, 1976 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई) ।

Page No 106

(106)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 11 की सूची)

वर्ष	खारिज अवस्था में प्राप्त वाहनों की संख्या	मरम्मत के काबिल प्राप्त वाहनों की संख्या	थोड़ी सी मरम्मत के बाद चलाने काबिल वाहनों की संख्या
1964	1		
1965	1		
1966	2		
1967	4		
1970	3		
1971	5	13	
1972	1	3	
1973	11	65	10
1974	–	10	10
1975	2	5	–
कुल	30	96	20

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए गये तारांकित प्रश्नोत्तर

हिंगलोट मध्यम सिंचाई योजना

16. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील छबड़ा, जिला कोटा में हिंगलोट मध्यम सिंचाई योजना का सर्वे पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो कब पूरा किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि म. प्र. सरकार से इस योजना के लिए जो वांछित सहमति चाहिए थी, वह लेली गई है ? यदि हां, तो कब ? और उनका क्या जवाब प्राप्त हुआ ? प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि म. प्र. सरकार को सहमति के लिए नहीं लिखा गया तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि पिछले 28 वर्षों में इस क्षेत्र में किसी भी सिंचाई योजना पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है ? यदि हां, तो फिर कब तक यह योजना लागू करने का इरादा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सर्वेक्षण चालू है।

(2) जी नहीं, इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार चालू हैं।

(3) तहसील छबड़ा व छीपाबड़ोद में अब तक विभाग से कोई नई योजना नहीं ली जा सकी है। हिंगलोट सिंचाई योजना ही है जिसका सर्वेक्षण किया जा रहा है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय, जयपुर

17. श्री करनसिंह (डोग) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के जीव-भौतिक शास्त्र एवं जीव रसायन शास्त्र विभाग अलग अलग कर दिये गये थे ? यदि हां, तो उन विभागों के विद्यापन संघ का बंटवारा अभी तक क्यों नहीं हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि विभागों के विद्यापन संघ के बंटवारा न होने के कारण जीव रसायन विभाग में स्नातकोत्तर के पंजीकरण रुके पड़े हैं ?

(3) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के स्नातकोत्तर के छात्रों को इस वर्ष छात्रवृत्ति न मिलने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 18(100)एम.ई./71/ग्रुप-1 दिनांक 23-5-73 के द्वारा जीव भौतिक शास्त्र (Physiology) एवं जीव रसायन शास्त्र विभागों का बटवारा किया गया था। विद्यापन संघ का बटवारा भी उक्त आदेशानुसार किया जा चुका है।

(श्री स्वास्थ्य मंत्री)

(2) स्नातकोत्तर छात्रों का माह जनवरी, फरवरी, 75 में चयन किया जाकर उनके फार्म पंजीकरण हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दिये गये थे । जिनका अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में निर्धारित योग्यता रखने वाले रीडर न होने के कारण नहीं किया गया ।

(3) सभी योग्य स्नातकोत्तर छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा चुकी है ।

अलवर में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा गिरफ्तार किये गये कर्मचारी

18. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में सन् 1975 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा किस 2 कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इन कर्मचारियों के मुकदमों में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ? इनमें से कौन मौत्तिल किये हैं और यदि नहीं किये गये हैं तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में सन् 1975 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जिन 11 राज्य कर्मचारियों को रंगे हाथों ट्रेप द्वारा गिरफ्तार किया गया उनकी सूची संलग्न है ।

(2) इन कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमों की वर्तमान स्थिति संलग्न सूची में दर्शाई गई है । इन 11 कर्मचारियों में से क्रम संख्या 1, 5, 8, 10 एवं 11 निलम्बित किये हुए हैं । अन्य कर्मचारियों के अभी तक निलम्बित न किये जाने के कारण संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं ।

सूची

क.सं.	अपराध सं.	विरुद्ध	कार्यवाही	निलम्बित है या नहीं	निलम्बित नहीं करने का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	22/75	श्री केदारनाथ एस. आई., जिला अलवर	चार्जशीट नं. 73/75 दिनांक 12-12-75 दिया जाकर न्यायालय में प्रेषित किया गया।	निलम्बित है।	
2.	23/75	श्री कांतिचन्द्र जोशी, जिला ट्रांसपोर्ट आफिसर, जिला अलवर	अनुसंधान जारी है।	निलम्बित नहीं है।	मामले की पुनः जांच करवाई जा रही है।
3.	29/75	श्री चन्द पटवारी तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर	अनुसंधान जारी है।	"	प्रथम प्रतिवेदन की सूचना कलेक्टर को नहीं मिलने से निलम्बन नहीं किया गया।
4.	30/75	श्री हंसराज पटवारी, खानपुर, जिला अलवर	अनुसंधान जारी है।	"	" "
5.	27/75	श्री बसन्तीलाल पटवारी, तह. बहरोड़, जिला अलवर	अनुसंधान जारी है।	निलम्बित है।	

1	2	3	4	5	6
6.	41/75	श्री ओमप्रकाश गुप्ता, यू.डी.सी. पुनर्वास आफिस, अलवर	अपराध में अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 67 दि. 25-12-75 दिया जाकर वास्ते मंजूरी न्यायालय में प्रेषित किया गया एवं संबंधित कर्मचारीगण के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।	निलम्बित नहीं है।	अन्तिम प्रतिवेदन न्यायालय में विचाराधीन है।
7.	44/75	श्री महादेव प्रसाद पटवारी, जिला अलवर	अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, सम्बन्धित विभाग से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करनी है।	"	मामले की पुनः जांच करवाई जा रही है।
8.	58/75	श्री किशनचन्द पटवारी, अलवर	अनुसंधान जारी है।	निलम्बित है।	
9.	68/75	श्री श्यामलाल पटवारी, राजगढ़, अलवर	अनुसंधान जारी है।	निलम्बित नहीं है।	जिलाधीश द्वारा पुनः जांच करवाई।
10.	72/75	श्री विशम्बर दयाल पटवारी, कोट-कासीम, अलवर।	अनुसंधान जारी है।	निलम्बित है।	
11.	75/75	श्री हरभगवान एफ. सी. नं. 80 थाना रामगढ़।	अनुसंधान जारी है।	निलम्बित है।	

शाहपुरा गांव में विद्युत् सब-स्टेशन

19. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सच है कि शाहपुरा जिला जयपुर में 132 के.वी.ए. का विद्युत् सब–स्टेशन कायम किए जाने हेतु विगत 4 वर्ष से मांग की जा रही है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या विद्युत् मण्डल यह महसूस नहीं करता है कि शाहपुरा क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह सब-स्टेशन कायम किया जाना आवश्यक नहीं है ?

(3) शाहपुरा क्षेत्र की वर्तमान विद्युत् कनेक्टेड लोड कैपेसिटी तथा भावी लोड कैपेसीटी के अनुमान क्या हैं ? तथा इसकी पूर्ति की क्या योजनायें हैं ? तथा पंचायत समिति, विराटनगर (बैराठ) एवं शाहपुरा के सम्पूर्ण विद्युतिकरण का क्या और कब तक का प्रोग्राम है ?

उत्तर

(1) इन वर्षों में शाहपुरा में 132 के.वी. सब-स्टेशन के लिये समय समय पर मांग अवश्य की गई है, किन्तु किसी स्थान पर 132 के.वी. सब स्टेशन लगाना केवल मांग पर ही निर्भर नहीं करता अपितु इनके लिये स्थान का चयन तकनीकी साध्यता, क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतिकरण अथवा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कारण बैठने वालों को बिजली की आवश्यकता प्राथमिकता, योजना काल में उपलब्ध धनराशि आदि को ध्यान में रख कर किया जाता है। इन्हें निश्चित करने के लिए काफी तकनीकी जांच पड़ताल की आवश्यकता होती है जो की जा रही है।

(2) प्रश्न 1, के उत्तर में वर्णित जांच के लिये आवश्यक सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं। शाहपुरा एवं नवदीकी क्षेत्र के लिये पूरी जांच के पश्चात् ही मण्डल यह निर्णय कर सकेगा कि 132 के. वी. सब-स्टेशन कहां बनाना उपयुक्त होगा।

(3) इस क्षेत्र में इस समय करीब 9 एम. वी. ए. का लोड है। भविष्य में आने वाली मांग का अन्दाजा उपरोक्त सर्वे परिणाम के पश्चात् ही किया जा सकता है। बैराठ व शाहपुरा क्षेत्र के सम्पूर्ण विद्युतिकरण का अभी कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया है।

नशीली वस्तुओं से आय

20 श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में सरकार द्वारा कितनी प्रकार की नशीली वस्तुएं बेची जा रही हैं ? ठेकों पर दी जा रही हैं, अथवा उनके बेचने की छूट दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नशीली चीजों से राज्य सरकार को कितने रुपये सालाना की आय (नेट इन्कम) होती है ?

(3) उक्त वस्तुओं को किस मात्रा में करीब कितने लोग प्रयोग में लेते हैं ? क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार की जानकारी की है ?

(श्री मूलचन्द सारुरिया)

(4) क्या उक्त नशीली वस्तुएं मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार राज्य में पूर्ण नशाबन्दी हेतु वचनबद्ध है ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण नशाबन्दी की जा सकेगी ?

(6) क्या राज्य सरकार ने कभी पूर्ण नशाबन्दी की घोषणा की थी ? यदि हां, तो कब व किस तारीख से ? तथा पूर्ण नशाबन्दी अभी तक क्यों नहीं हो पाई ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा निम्न नशीली वस्तुयें राज्य में बेची जाती हैं या ठेके पर दी जाती हैं:–

1. अफीम–सरकार के माध्यम से बेची जाती है।

2. विदेशी शराब–अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) प्रणाली द्वारा बेची जाती है।

3. देशी शराब ,,

4. भांग ,,

5. चीरे हुये पोस्त डोडे ,,

(2) उक्त नशीली वस्तुओं से वर्ष 1974-75 में राज्य सरकार की शुद्ध आय (नेट इन्कम) 14 करोड़ 20 लाख और 38,000 रु. की हुई।

(3) सन् 1974-75 में 304 व्यक्तियों ने लगभग 75 किलो अफीम का उपयोग किया। उक्त वर्ष में राज्य में अन्य मादक पदार्थों का निम्न प्रकार से विक्रय हुआ :–

1. देशी मदिरा–1 करोड़ 38 हजार एल. पी. लीटर।

2. विदेशी मदिरा–27 लाख 71 हजार 979 लीटर।

3. भांग–45 हजार 128 किलोग्राम।

4. चीरे हुये पोस्त डोडे–11 लाख 26 हजार किलोग्राम।

(4) उक्त पदार्थों के सेवन करने वालों की संख्या आदि का विवरण संकलित नहीं किया जाता। सभी नशीली वस्तुयें स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होती हैं।

(5) जी हां, राज्य के 8 जिलों और 6 तहसीलों में इस समय पूर्ण शराबबन्दी है। शेष जिलों में शराबबन्दी करने का कार्य तभी आगे बढ़ाया जा सकेगा जबकि भारत सरकार आर्थिक सहायता देने को सहमत हो जाय।

(6) राज्य सरकार ने जुलाई, 1968 में क्रमशः तारीख 1-4-72 तक सारे राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी करने का निर्णय लिया था। फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों में नशाबन्दी कानून लागू किया गया। परन्तु राज्य के बढ़ते हुये वित्त संकट को ध्यान में रखते हुये मई सन् 1972 में सरकार ने निर्णय लिया कि जब तक राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं हो जाती तब तक पूर्ण नशाबन्दी शेष जिलों में लागू करने के कार्यक्रम को स्थगित रखा जाय। इस निर्णय के बावजूद भी राजबहादुर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने ता. 1-4-75 को दो और जिलों में पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि नशाबन्दी का कार्यक्रम अन्य जिलों में तभी

(आबकारी मंत्री)
बढ़ा सकेगी जबकि भारत सरकार ठोस वित्तीय सहायता देना स्वीकार करेगी।

इस समय राज्य के निम्न क्षेत्रों में पूर्ण नशाबन्दी लागू है।—

(1) डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू और नागौर के जिले एवं उदयपुर जिले की 6 तहसीलें।

ई. एस. आई. अस्पताल ब्यावर में डाक्टरों की व्यवस्था

श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ब्यावर के ई. एस. आई. अस्पताल में कितने डाक्टरों की पोस्ट सेंक्शन हैं, अभी कितने डाक्टर काम कर रहे हैं और ये डाक्टर कब से काम कर रहे हैं? तारीखें बताने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि 5 डाक्टरों की जगह अभी दो डाक्टर ही कार्य कर रहे हैं? बाकी तीन डाक्टर कौन-सी तारीख में गये।

(3) क्या यह भी सही है कि वहां एक लेडी डाक्टर का रहना आवश्यक है जिससे श्रमिकाओं को अपनी बीमारी के सम्बन्ध में सहायता मिल सके? यदि हां, तो ये लेडी डाक्टर यहां कब से नहीं हैं? क्या इस अव्यवस्था से श्रमिकों को भारी कष्ट नहीं उठाना पड़ रहा है?

(4) राज्य सरकार इस प्रकार का व्यवहार ब्यावर के मजदूरों के साथ क्यों कर रही है और अब डाक्टरों की कब तक व्यवस्था करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) इस चिकित्सालय में डाक्टरों के 5 पद सी. ए. एस. के स्वीकृत हैं वर्तमान में दो डाक्टर कार्यरत हैं जिनके कार्य करने की तारीख उनके सम्मुख अंकित है।

क्र. सं.	नाम	कार्य करने की तिथि
1.	डा. ए. के. घोष	8-3-73
2.	डा. मोहम्मद वारीश चुगल	4-12-69

(2) जी हां। वर्तमान में तीन डाक्टरों के पद रिक्त हैं वे दिनांक 31-8-75, 5-8-75 एवं 22-9-75 से रिक्त चले आ रहे हैं।

(3) जी हां। लेडी डाक्टर दिनांक 22-9-75 से नहीं है। औरतों को बीमारियों के लिये फिलहाल श्रमिकों के एक ए. के. चिकित्सालय ब्यावर में डाक्टर से अपना उपचार करवाती हैं। महिला डाक्टरों की कमी से यह पद रिक्त है, जन सेवा आयोग से चयन होते ही नियुक्ति कर दी जावेगी।

(4) राजस्थान में डाक्टर्स एवं महिला डाक्टर्स के ईरान तथा लीबिया चले जाने के कारण कमी आ जाने से रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। अब इन रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिये डाक्टर्स के चयन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

गांधी नगर में अधिकारियों के अस्थाई निवास की व्यवस्था

22. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांधी नगर, जयपुर में अधिकारियों के अस्थायी निवास के लिए कितने क्वार्टर्स मौजूद हैं ? और इनमें कौन-कौन अधिकारी कब-कब से निवास कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्वार्टर्स में तीन मास से अधिक समय तक एक ही अधिकारी को निवास करते रहने देने का प्रावधान नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नामों की सूची मय पद दर्शाते हुए सदन के पटल पर रखने की कृपा करें जो तीन मास से अधिक समय से उक्त क्वार्टर्स में निवास कर रहे हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार तीन मास से अधिक समय से रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 24 फ्लेट हैं, इस अस्थाई निवास का नाम ट्रान्जिट होस्टल है और इसमें जो अधिकारी रह रहे हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। सूची (अ)।

(2) 31–12–1975 तक एतदर्थ नियमों के अभाव में निवास की अवधियों पर कोई निश्चित प्रतिबन्ध नहीं था। परन्तु 1–1–76 से अब नियम बना दिये गये हैं। वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सूची (ब)

(3) जी नहीं। अब नियम बन जाने के कारण उसमें निर्धारित अधिकतम अवधि के आधार पर नियमानुसार नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

Page No 115

(115)

सूची (ब)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पद	तारीख जब से रह रहे हैं	प्लेट नं.
1	2	3	4
1.	श्री एस. गेमावत, उप सचिव गृह विभाग, जयपुर	25-12-73	16
2.	श्री वी. एन. गुप्ता, चीफ प्रोवेशनर आफिसर, समाज कल्याण विभाग	1-1-74	3
3.	श्री डी. एस. सूरी, ए. ओ., ए.जी. आफिस	1-1-74	6
4.	श्री बी. बी. अरोड़ा, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर एस. एस. ए. एम सी. आई. डी. पी. एच. डी., जयपुर	1-1-74	7
5.	कुमारी भोली चक्रवर्ती, प्रोवेशनर आफिसर, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर।	1-1-74	11
6.	श्री आर. के. सोमी, असिस्टेंट इन्जिनियर, ए. ई. आर., जयपुर।	1-1-74	12
7.	श्री आर. एस. गुप्ता, सहायक अभियन्ता, सा. नि. विभाग–2 जयपुर।	1-2-74	2
8.	श्री बी. एस. जैन, रजिस्ट्रार असिस्टेन्ट, रजिस्ट्रार, कोपरेटिव डिपार्टमेन्ट, जयपुर।	6-5-74	23
9.	डा. एस. सी. माथुर, रीडर, एस. एम. एस. हास्पीटल, जयपुर।	27-8-74	8

1	2	3	4
10.	श्री एस. सी. भंडारी, एडीशनल कमीश्नर, डिपार्टमेन्ट इन्क्वायरी, जयपुर	7–7–74	24
11.	डा. बी. एस. चौहान, डिप्टी सी. एम. एण्ड एच. ओ., जयपुर	12–8–74	10
12.	श्री शंकर नारायण एक्स. ई. एन. पी. डब्लू. डी. बी. एन्ड आर., जयपुर	22–8–74	17
13.	श्री जी. एस. पटवारी, एडीशनल एस. पी. सी. आई. डी., जयपुर	24–8–74	22
14.	श्री प्रीतमसिंह, डिप्टी सी. एम. एण्ड एच. ओ. मेडीकल एण्ड हैल्थ, जयपुर	17–11–74	20
15.	श्री जे. एस. राव, उप आयुक्त अधीक्षक–2 कामर्शियल टेक्सेशन, जयपुर	3–12–74	5
16.	श्री पी. एस. मनहेचा, असिस्टेन्ट डायरेक्टर, पब्लिक फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोग शाला, जयपुर	5–4–75	13
17.	श्री अरुण शरण, आई. पी. एस. ए. एस. पी., जयपुर	12–5–75	19
18.	श्री पी. सी. माथुर, डिप्टी इन्सवालेशन इन्जीनियर ए. आई. आर.	23–5–75	15
19.	डा. डी. के. जेमीनी, डिप्टी सी. एम. एण्ड एच. ओ.	1–8–75	14
20.	श्री बलवन्तसिंह आई. पी. एस. एस. पी. पुलिस, जयपुर।	11–10–75	9
21.	श्री एन. एन. वर्मा उप सचिव, वित्त विभाग।	1–11–75	1

1	2	3	4
22.	श्री पी. एल. वशिष्ठ, ए.डी.एम., जयपुर।	1-11-75	21
23.	श्री प्रतापसिंह, ए. ओ. पी. डब्लू. डी. बी. एण्ड आर., जयपुर	1-12-75	18
24.	श्री एस. एन. लड्ढा, विशिष्ट सचिव, वित्त विभाग	7-12-75	4

(118)

सूची (ब)

क. सं.	अधिकारी का नाम व पद	तारीख जब से रह रहे हैं।	क्वार्टर नं.
1	2	3	4
1.	श्री एस. शेखावत, उप सचिव गृह विभाग, जयपुर	25-12-73	16
2.	श्री बी. एन. गुप्ता, चीफ प्रोबेशनर आफिसर, समाज कल्याण विभाग	1-1-74	3
3.	श्री डी. एस. सूरी, ए. ओ. एजी. आफिस	1-1-74	6
4.	श्री डी. बी. अरोड़ा, असिस्टेन्ट डाईरेक्टर एस. एस. ए. एल. सी. आई. डी. पी. एण्ड डी, जयपुर	1-1-74	7
5.	कु. भोली चक्रवर्ती, प्रोबेशनर आफिसर, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर।	1-1-74	11
6.	श्री आर. के. सोनी, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, ए. ई. आर. जयपुर।	1-1-74	12
7.	श्री आर. एस. गुप्ता, सहायक अभियन्ता, सा. नि. विभाग-2, जयपुर।	1-2-74	2
8.	श्री बी. एल. जैन, रजिस्ट्रार असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कापरेटिव डिपार्टमेन्ट, जयपुर।	6-5-74	23
9.	डा. एस. सी. माथुर, रीडर, एस. एम. एस. होस्पीटल, जयपुर।	27-6-74	8
10.	श्री एस. सी. भंडारी, एडीशनल कमीश्नर, डिपार्टमेंट इन्क्वायरी, जयपुर।	7-7-74	24
11.	डा. बी. एस. चौहान, डिप्टी सी. एम. एण्ड एच. ओ., जयपुर।	12-8-74	10
12.	श्री शंकर नारायण, एक्स. ई. एन., पी. डब्यू. डी. बी. एण्ड आर., जयपुर।	22-8-74	17

1	2	3	4
13.	श्री बी. एस. पटवारी, एडीशनल एस. पी. सी. आई. डी., जयपुर।	24-8-74	22
14.	श्री प्रीतम सिंह, डिप्टी सी. एम. एण्ड एच. ओ. मेडीकल एण्ड हैल्थ, जयपुर।	17-11-74	20
15.	श्री जे. एस. राव, उप आयुक्त, अपील्स–2 कामर्शियल टेक्सेशन, जयपुर।	3-12-74	8
16.	श्री पी. एस. मनहेचा, असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक फारेन्सिक विज्ञान प्रयोग शाला, जयपुर।	5-4-75	13
17.	श्री अरुण शरण आई. पी. एस. ए. एस. पी., जयपुर।	12-5-75	19
18.	श्री पी. सी. माथुर, डिप्टी इन्स्वालेशन इन्जीनियर ए. आई. आर.	23-5-75	15
19.	डा. डी. के. जैमीनी, डिप्टी सी. एम. एण्ड एच. ओ.	1-8-75	14

———

ग्राम नेनोल का बांध

23. श्री [illegible]नाथ विश्नोई (सांचौर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में एक लघु सिंचाई बांध ग्राम नेनोल में बांधा गया था? अगर हां, तो कब एवं उससे संभावित कितना फायदा हुआ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त बांध बंधने के बाद से लेकर आज दिन तक आगे के नाले का पानी पुराने नाले में न आकर गुजरात सरहद की तरफ चला गया है एवं इससे काश्तकारों के सैकड़ों खेत खराब हो गये हैं? अगर हां, तो कितने एकड़ काश्त की भूमि खराब हुई है?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त बंधे पर नाले पर गलत जगह स्लूस बनवा दिया गया है? अगर हां, तो क्यों? अब बंधे पर नाले के अन्दर सही स्थान पर फाटक कब तक लगवा दिया जावेगा? क्या यह भी सत्य है कि उक्त बंधे से पानी बंध जाने से आगे के बंधों में एवं आगे पानी नहीं आने से कुओं में पानी कम पड़ गया है, जिससे रबी की खेती कम होने लगी है एवं कुओं का पानी खारा होने लगा है? अगर हां, तो पुराने नाले में ज्यादा पानी डालने के लिये एवं सही नाले के कोर्स में पानी डालने के लिए विभाग द्वारा भविष्य में [illegible] तक क्या कार्यवाही की जावेगी?

(4) क्या भविष्य में अगली वर्षा के पूर्व उक्त बंधे पर फाटक लगवा दिया जावेगा ताकि पानी गलत जगह जाने से रुक सके?

उत्तर

(1) जी हां। इस बांध का निर्माण वर्ष 1973-74 में पूरा किया गया और इसी बांध में प्रथम बार सेवज हुई। बांध से 209 एकड़ क्षेत्रफल पेटा काश्त अनुमानित था।

(2) जी हां। योजनानुसार बांध के बाईवाश का पानी घूमकर नदी में ही जाना था परन्तु बीच में मेड़बन्दी के कारण व कुछ लोगों द्वारा पानी जाने के लिए नाली अधिक खोद दी जाने के कारण पानी डिप्रेशन्स में होकर व गांव के पास गांवाई तालाब के टूटने या तोड़े जाने से, गुजरात की ओर चला गया जिससे कुछ क्षेत्र खराब हुआ। जिसके आंकड़े राजस्व विभाग से भी उपलब्ध किये जा सकते हैं।

(3) जी नहीं।

नदी के बीच में स्लूस बनाने की मांग नई है। इससे निष्क्रिय संचय (dead Storage) भी खाली हो सकेगा। यह मोरी (स्लूस) इस मार्च तक बनवा दी जावेगी। पिछले वर्षों में वर्षा कम होने के कारण कुओं में पानी कम हुआ है, इस बांध के कारण नहीं। अच्छी वर्षा के वर्ष में कुओं में पानी बढ़ता ही है। रबी की खेती में बांध के कारण कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही कुओं का पानी भी खारा हुआ है।

(4) जी हां।